राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम सत्र, १६६६ का ४७ वां दिवस [संख्या ३६

१] [२

गुरुवार,

दिनांक १४ अप्रेल, १६६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. १० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(खाद्य, गृह, खनिज, मुख्य-मंत्री कार्यालय, कृषि, जन स्वास्थ्य, नियुक्ति, सिंचाई, पशु-पालन, सामान्य प्रशासन एवं स्वायत्त शासन--विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास ।

सरकारी गल्ले की दुकानों पर तुलारे

७६५. **गिरधारीलाल व्यास** (आसींद): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) जयपुर में सरकारी गल्ले की दुकानों पर जो सैलसमेन तथा तुलारे रखे गये हैं उनकी नौकरी की शर्तें क्या रखी गई हैं ? तत्संबंधी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) इन्हें कितनी प्रतिशत छीजत देने का आदेश था ? क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां तो क्या परिवर्तन किया गया है और क्यों ?

(३) इन सेल्समेन तथा तुलारों को क्या कोई बोनस दिये जाने का भी प्रावधान था ? यदि हां तो क्या ? क्या इस प्रावधान के अनुसार उन्हें बोनस दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या इन व्यक्तियों को वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और कितने माह का वेतन नहीं दिया गया है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर सेल्समेन तथा तुलारों की नौकरी की शर्तें निम्न प्रकार रखी गई थी :–

(अ) प्रत्येक दुकान पर सेल्समेन व तुलारे का भी कार्य करने वाले सेल्समेन की नियुक्ति ७५) रुपए माहवार व बोनस प्रति दिन १० बोरी बिक्री के पश्चात् प्रति बोरी के विक्रय पर १० पैसा बोनस दिये जावें ।

(ब) जहां तुलारा अलग से रखा जावे उस जगह में सेल्समेन को ६०) रुपए माहवार व बोनस प्रतिदिन १० बोरी के विक्रय के पश्चात् प्रति बोरी १० पैसा दिया जाए ।

Page No. 2

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

(स) हां तुलारे की नियुक्ति अलग की जावे उसे ४०) रुपए माहवार व बोनस प्रतिदिन १० बोरी के विक्रय के पश्चात् ५ पैसा प्रति बोरी बोनस दिया जाये।

(२) गेहूं के क्रय एवं विक्रय के प्रोसेस (Process) में कुल १ प्रतिशत छीजत निर्धारित की गई थी। राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानें आरम्भ होने के पश्चात् हिसाबी जांच के समय यह पाया गया कि जिलों में सस्ते अनाज की दुकानों के सेल्समेनों को भिन्न २ रूप से छीजत दी जा रही है। अतः आवश्यक पूछताछ के पश्चात् दिनांक १२-.-६५ के द्वारा राजकीय सस्ते गल्ले के सेल्समेन को १.४ प्रतिशत छीजत देने के निर्देश किये गए।

(३) जी हां, प्रश्न के भाग एक में स्पष्ट किया जा चुका है। प्रावधान के अनुसार उन्हें बोनस दिया जारहा है।

(४) जी हां, केवल फरवरी व मार्च १९६६ का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। इनकी हाजरी की जांच जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रसद अधिकारियों से मांगी जा रही है। आने पर शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेल्समेन सरकारी कर्मचारी हैं और उनको किस श्रेणी में रखा गया है और उसको मुलाजिम के समान हक मिले है या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : किस श्रेणी के बराबर माना गया है और उनकी क्या हैसियत है उसकी जानकारी नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि इन सेल्समैनों को ५-५, ६-६ महीने तक पेमेंट नहीं दिया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं कह चुकी हूं कि सिर्फ फरवरी व मार्च १९६६ का बाकी है जिसका जॉच पड़ताल के बाद भुगतान किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तनख्वाह और बोनस के जो नियम आपने बताए उनमें आरंभ से लेकर आज तक संशोधन हुए हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो १ परसेंट छीजत बताया, इसका क्या मतलब ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : छीजत शर्तों में नहीं है नौकरी की शर्तों में वेतन और बोनस है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया छीजत के मामले में कि एक परसेंट छीजत देते हैं इसका क्या अर्थ है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप क्या पूछना चाहते हैं, मन पर या क्विंटल पर यह तो क्विंटल पर होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब एक क्विंटल पर एक किलोग्राम मिलेगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो भी हिसाब निकलता हो। एक क्विंटल पर एक

Page No. 3

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

प्रतिशत बाद में १।४ कर दिया। पहले एक था।

श्री **भैरोंसिंह** : १।४ कर दिया, जब आपने कर दिया तो जिस माल की तुलाई पहले हो गई थी उस माल पर १।४ का हिसाब कैसे लगाया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वह तो निश्चित तारीख के बाद तय किया इसलिए बाद में....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस छीजत के आधार पर उन तुलारों की वसूली के लिए उनका वेतन रोका गया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि इन सेलसमैनों के हिसाब आपने पूरे चुकता कर दिए मगर अभी भी बोनस नहीं दिया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसा मैंने कहा फरवरी और मार्च बाकी है उसके अन्दर बोनस भी हो सकता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बोनस बिलकुल नहीं दिया, कब दिलाएंगे, आश्वासन तो दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप जानकारी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर बोनस नहीं दिया गया है तो वह भी बराबर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तीन में बिल्कुल स्पष्ट है कि बोनस दिया गया है या नहीं। इसका मतलब यह है कि अब तक दिया है या नहीं तो इस बारे में बताएं कि बोनस दिया गया या नहीं दिया गया ? दे दिया गया तो कितने दिनों का नहीं तो कितना बाकी है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं निवेदन कर चुकी हूँ कि मेरे पास में विस्तृत जानकारी नहीं है कि जो फरवरी और मार्च को बकाया है उसमें बोनस है या नहीं। अगर नहीं है तो जरूर दिया जायगा। उसके पहले का भी अगर नहीं दिया है तो दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : तो सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि नियमों के अनुसार बोनस जो मिलना चाहिए था वह दे दिया गया है या नहीं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं कह चुकी हूं इस बारे में।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न का जवाब नहीं है। प्रश्न नं० तीन साफ है। इन सैलसमैन तथा तुलारों को क्या कोई बोनस दिये जाने का भी प्रावधान था ? यदि हां तो क्या ? क्या इस प्रावधान के अनुसार इन्हें बोनस दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? आप न तो कह रही हैं कि नहीं दिया गया न कह रही हैं कि दिया गया।

श्री अध्यक्ष : वह कह रही हैं कि दिया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : हमने पूछा है दिया गया है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब कुछ को मिल गया है कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिला है।

श्री भैरोंसिंह : जिनको नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला ? जब नियमों में प्रावधान था तो बोनस क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जितनी मेरी जानकारी है वह स्पष्टत: निवेदन कर चुकी हूं। कितना बोनस बाकी है इसका विवरण मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन जितनी भी बकाया है, दी जायगी। अब क्यों नहीं दी गई यह जानकारी नहीं है आप चाहेंगे बाद में तो आपको पेश कर सकती हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने जो प्राइवेट दुकानें खोल दी हैं उनको कमीशन देते हैं १. ७०, २. ७० फी बोरी मगर उन तुलारों को छीजत का एक परसेंट रखा है। क्या आपने एक प्रतिशत और २. ७० का हिसाब किया ? आप एक किलो छीजत देते हैं यह क्या उसके मुकाबले में उचित है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं प्रश्न दो के जवाब में कह चुकी हूँ कि सारे जिलों की जांच पड़ताल के बाद में यह आवश्यक समझा गया कि उनको एक किलो से १।४ कर दिया जाय।

श्री श्रवणलाल (हिंडौन–सु०) : क्या यह सही है कि तहसील हैड क्वार्टर, जिला हैड क्वार्टर या पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स पर आपने जो सस्ती गल्ले की दूकानें खोलीं हैं वहां कर्मचारियों को एक–एक, डेढ़–डेढ़ साल का वेतन अभी तक नहीं मिला है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : हो सकता है।

श्री श्रवणलाल : क्या कारण है ? बकाया देने के लिए क्या विचार है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अलग–अलग मामलों में अलग–अलग कारण हो सकते हैं। जिनको नहीं दिया गया है उनका भुगतान जरूर किया जायगा।

श्री श्रवणलाल : सवाल इस बात का है कि जैसे मैं हिंडौन सब–डिवीजन की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक कर्मचारी ऐसा है जिसकी डेढ़–डेढ़ साल तक बकाया है तहसील में मारे मारे फिरते हैं कोई सुनवाई नहीं होती आज तक पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या इन तुलारों की जो नियुक्ति है वह परमानेन्ट है और जिस समय उनके पास गल्ला नहीं था, कोई कार्य नहीं था उस समय का वेतन भी उनको दिया जायगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वेतन का जहां तक सवाल है उनको नियुक्ति से लेकर जब तक हटाया नहीं दिया जायगा तब तक और बोनस दस बोरी बिक्री के ऊपर दिया जायगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जिस समय साल साल ६–६ महीने से गल्ला नहीं था, कोई कार्य नहीं उन्होंने किया और उनको हटाने के आदेश नहीं हुए और वे तनख्वाह

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

क्लेम करते हैं तो आप देते नहीं कहते हैं कि क्योंकि उन दिनों काम नहीं था, तो क्या आप उसकी जांच करेंगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जांच करूंगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि सरकार ने जो ये दुकानें खोली हैं वे नो-प्रोफिट नो लोस की बेसिस पर चलती हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सरकार ने गेहूँ के भाव निर्धारित किए हैं, उनमें लोस भी होता है, प्रोफिट भी होता है, बाकी नो प्रोफिट नो लोस की जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो आपने एक किलो से पाव किलो छीजत का किया है वह किस आधार पर किया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

पुलिस विभाग के निलम्बित अधिकारी व कर्मचारी

७६६. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) पुलिस विभाग के कितने अधिकारी व अन्य कर्मचारी अभी निलम्बित किये हुए हैं ? पदवार संख्या बताने की कृपा करें ।

(२) दो वर्षों से अधिक समय से कितने अधिकारी व सिपाही निलम्बित हैं ?

(३) नियमानुसार एक कर्मचारी कितने अर्से तक निलम्बित रखा जा सकता है ?

(४) नियम विरुद्ध लम्बे समय तक निलम्बित रखे गये व्यक्तियों के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ।

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१ पुलिस विभाग में इस समय १ इन्सपेक्टर, २० सब-इन्सपेक्टर्स, ५६ मुख्य आरक्षी व २६१ आरक्षी निलम्बित हैं ।

(२) इनमें से २ वर्षों से अधिक समय से निलम्बित ५ सब-इन्सपेक्टर्स, ६ मुख्य आरक्षी एवं ३४ आरक्षी हैं ।

(३) जिनके विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं उनको छोड़ कर शेष को साधारणतया दो वर्षों से अधिक समय तक जहां तक हो सके निलम्बित नहीं रखने के आदेश हैं ।

(४) न्यायालयों में सरकार मुकदमों से सम्बन्धित कर्मचारियों के अलावा नियम विरुद्ध कोई कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनके, न्यायालयों से मुकदमें नहीं चल रहे हैं और छः महीने से ज्यादा समय से निलम्बित हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे आंकड़े मैं अभी नहीं दे सकता, छः महिने से, ७ महीने से या ८ महीने से निलम्बित हैं । पूछा गया था कि दो साल से अधिक कोई निलम्बित नहीं हैं ? तो जवाब दिया–जी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नहीं। एक महीने दो महीने या आठ महीने के लिए नहीं पूछा गया।

श्री भैंरोंसिंह : क्या राज्य सरकार के यह आदेश हैं कि छः महीने से अधिक समय तक निलम्बित नहीं रखा जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदेश दो साल के लिए तक हैं। पहले साल में इन्क्वायरी ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर प्रति तीन माह रिपोर्ट करनी पड़ती है प्रोग्रेस की और आखिरी अवधि दो साल है।

श्री भैंरोंसिंह : उप मन्त्रीजी ने जो कहा है उसको देखते हुए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के इस प्रकार के आदेश नहीं हैं कि छः महीने से अधिक निलम्बित नहीं रखा जाय ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) ऐसे आदेश हैं कि ६ महीने में उनके केसेज को निपटा दिया जावेगा।

श्री भैंरोंसिंह : यह आप उनको जानकारी करा दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने दो साल मेग्जिमम कहा है।

प्रश्न संख्या ७६७

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीलाल गोठवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दयाचन्द सोन।

गलत चालान पेश करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

७६८. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु०): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जालोर जिला के सांचोर तहसीलदार ने फूडग्रेन व एसेन्शियल लाइसेन्स ऑर्डिनेंस के तहत कितने व्यक्तियों का चालान सब डिवीजनल ऑफिसर जालोर की अदालत में पेश किया गया ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि तहसीलदार द्वारा गलत चालान पेश करने के कारण मुलजिमान बरी हुए ? यदि हां, तो ऐसे गलत चालान करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मन्त्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) तहसीलदार सांचोर ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जालोर की अदालत में एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत ६ चालान प्रस्तुत किये।

(२) जी नहीं। दो मुकदमों में मुलजिमान को सजा हुई है, तीन मुकदमों में मुलजिमान बरी हुए हैं और एक मुकदमा अभी अदालत में विचाराधीन है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : तीन चालान खारिज हुए इसके क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप क्या बोले समझ में नहीं आया। आप दुबारा बोलें।

Page No. 7

श्री दयाचंद सोन : यह तो आप समझने की कोशिश करें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं यह पूछ रहा हूं कि तीन चालान खारिज हुए हैं तो क्या कारण है? सेम्पल आ जाते हैं तब ही चालान किये जाते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ३ खारिज नहीं हुए हैं। दो को सजा हुई। दो बरी हुए और एक अभी अदालत में चल रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस प्रश्न के खण्ड २ में स्पष्ट पूछा है कि क्या यह सत्य है कि तहसीलदार द्वारा गलत चालान पेश करने के कारण मुलजिमान बरी हुए? क्या सरकार ने अध्ययन किया कि मुलजिमान बरी हुए उसके क्या कारण हैं और जजमेंट में क्या इस प्रकार के रिमार्क्स थे कि तहसीलदार ने अननेसेसरी है पेश करने के लिए चालान पेश किया था?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसे कोई रिमार्क्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी नहीं है या रिमार्क्स नहीं हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो सूचना मेरे पास है उसमें रिमार्क्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इसको फिर से मंगा कर देख लें।

श्री दिग्विजयसिंह।

टोंक जिले में सुरक्षा कोष में धनराशि की वसूली

७६६. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सुरक्षा कोष अथवा मुख्य मंत्री कल्याण कोष के लिये टोंक जिले में हर पंचायत समिति से दस दस हजार रुपये इकट्ठे किये गये हैं! यदि हां, तो क्या ऐसे आदेश थे?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त राशि पंचायत समिति ने वहां के नागरिकों से चन्दा के रूप में वसूल कर के जमा करवाई है? यदि नहीं, तो उक्त दस हजार किस तरह से जमा किये गये?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने जी नहीं कह दिया। उस मिटिंग में मैं भी उपस्थित था डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर आये थे। पंचायत समिति के फन्ड से ड्रा करके दिया गया।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : जिस तरह से सवाल पूछा है उसके उत्तर में जी नहीं कहा है। वैसे जिला परिषद् की मीटिंग १८.६.६६ को हुई थी उसके अन्दर जैसा आप कहते हैं दस दस हजार का वैसा टारगेट निश्चित नहीं हुआ था किन्तु टोटल पंचायत समिति से २ लाख ८० हजार सुरक्षा फन्ड के लिये जिला परिषद द्वारा निश्चय किया गया। ६६ हजार के लगभग पंचायत समिति शहरी क्षेत्र और पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र से एकत्रित होकर सरकारी खजाने में जमा हो चुका है।

श्री दिग्विजय सिंह : दस दस हजार पंचायत समिति से लिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दस दस हजार लेने का सवाल नहीं था और न लिया गया। जिला परिषद् की अध्यक्षता में पंचायत समितियों के प्रधानों की मिटिंग हुई थी, उसमें अलग अलग टारगेट्स हुए थे। पंचायत समिति के ओन फन्ड से दस दस हजार रुपया दिया गया यह पूछा गया। उसके लिये जी नहीं कहा।

श्री दिग्विजयसिंह : यह फन्ड्स जनता द्वारा एकत्रित करके देने का निश्चय किया था। वैसा न करके पंचायत समिति के ओन फन्ड से दिया गया, वहां से जमा कराया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शुरू में पंचायत समिति में पैसा इकट्ठा करके ट्रेजरी में जमा करा दिया होगा और जमा करा देना चाहिये भी क्योंकि पास में नहीं रखा जाता। उसके बाद उस फन्ड में से इधर जमा करा दिया।

श्री दिग्विजयसिंह : कोई जनता से पैसा इकट्ठा नहीं किया गया और जो भी पैसा रखा गया सुरक्षा कोष में वह सब पंचायत समिति के ओन फन्ड से लिया गया। जनता से कोई पैसा नहीं लिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात मुझे सही नहीं मालूम होती क्योंकि जो मेरे पास आंकड़े हैं उनके अनुसार पंचायत समिति क्षेत्र शहरों में ६१ हजार और ग्रामीण क्षेत्र, म्युनिसिपलिटी, टाउन वगैरह का ४४ हजार रुपया एकत्रित किया गया। कहीं से चार हजार, कहीं से ७ हजार इस तरह से इकट्ठा किया गया। पंचायत समिति के अपने ओन फन्ड से देने की बात कही गयी है यह बात सही नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सवाल जिस तरह से पूछा गया है शायद उत्तर भी सही नहीं है। टोंक जिले से ३ लाख रुपया एकत्रित करने का नागरिकों ने निश्चय किया था। पंचायतों ने पहले अपने फन्ड से कर लिया और राशन कार्ड बने हुए हैं शक्कर के आठ आना या एक रुपया फी राशन कार्ड निश्चित कर दिया। इस प्रकार वालेन्टियरी कॉन्ट्रिब्युशन हुआ कस्बों से।

प्रश्न संख्या ७७०

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिसखां।

(अनुपस्थित-कृपया, आगे देखिये)

श्री मोहनराज

पाली जिले में जासूसों की गिरफ्तारी

७७१. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि वर्ष १९६५ में पाली जिले में पाकिस्तान की ओर से जासूसी करते हुए कुछ पाक एजेन्ट पकड़े गये ? ऐसे कुल कितने लोग थे ?

(२) इस प्रकार जासूसी करने वाले गिरफ्तार किए गये लोगों की कुल संख्या राजस्थान में कितनी है ? कितने छोड़ दिये गये और कितने व्यक्ति अभी जेलों में बन्द हैं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजन नाथ आचार्य) : (१) सन् १९६५ में पाली

Page No. 9

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जिले में पाकिस्तान की ओर से जासूसी करते हुए कोई भी पाक एजेन्ट गिरफ्तार नहीं हुआ ।

(२) सन् १९६५ में राजस्थान के अन्य जिलों में पाकिस्तानी केवल जासूसी करने वाले कुल ११ व्यक्ति गिरफ्तार हुए । उनमें से ४ व्यक्ति धारा ३० ए (बी), डी आई आर के अधीन डिटेन किये गये जो अभी तक जेल में बन्द हैं । इसके अलावा ७ व्यक्ति ३९।४१(५) भी. सुरक्षा कानून व धारा ३।९ ओफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये जिनके विरुद्ध अपराध में अनुसंधान चालू है ।

श्री मोहनराज : क्या यह सही है कि १९६५ में सोजत में बरात में आये हुए लोगों में से ३ व्यक्तियों को जासूसी करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया और एक सप्ताह तक डिटेन्शन में रखा गया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने प्रश्न नं० (१) में उत्तर दे दिया है ।

श्री मोहनराज : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या जासूसी के सम्बन्ध में सोजत में जो गिरफ्तारियां की गई उसकी कोई जानकारी नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जानकारी जासूसी के सम्बन्ध में की । जासूसी के सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : ३ व्यक्ति सोजत में जासूसी में गिरफ्तार हुए थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी नहीं ।

श्री मोहनराज : क्या यह सही है कि सोजत में रेलवे पुल के नीचे एक तकिया बना हुआ है उसके नीचे एक फकीर रहता था उसको गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जानकारी मेरे पास नहीं है । गुजरात की पुलिस आयी और उसने क्या सूराख लगाया यह मुझे पता नहीं ।

श्री मोहनराज : यह गंभीर बात है गुजरात राज्य की पुलिस आकर उस फकीर को रेलवे के पुल के नीचे से गिरफ्तार करती है, कई लोगों से पूछताछ होती है । गुजरात राज्य की पुलिस द्वारा ले जाया जाता जब उसको राणी पर लाया गया तो स्टेशन पर मैं खुद मौजूद था उससे सूराख मिले हैं-उसने अजमेर के कुछ लोगों के नाम बताये थे जिनका सीधा सम्पर्क ढाका से होता था, वे वहां से निर्देश पाते थे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहां के पुलिस विभाग को नहीं हो इससे ज्यादा खेद की बात और क्या हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के स्टेटमेन्ट होते हैं कि अजमेर के कुछ आदमी ढाका से सम्बन्ध रखते थे राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम उठाया ?

श्री अध्यक्ष : यह तो जनरल सवाल पूछ लिया है ।

श्री भैरोंसिंह : जो सोजत में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया उसीसे संबन्धित है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) टोंक में भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके सम्बन्ध में पाक से सम्बन्ध होने का अन्देशा था जिनके खतो-किताबत बराबर पाकिस्तान से होते थे, वे वहां से ऑब्जेक्शनेबल लिट्रेचर भी मंगवाते थे, इस सम्बन्ध में भी आपको जानकारी है क्या ?

प्रश्न संख्या ७७२

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट ! श्री जुझारसिंह ।

जयपुर शहर में दूध वितरण की व्यवस्था

७८२. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम के तहत कुल कितना दूध बांटा जाता है और वह दूध जयपुर शहर की दूध की आवश्यकता के अनुपात में कितनी प्रतिशत आवश्यकता को पूरी करता है ?

(२) जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम के तहत दूध, कहां कहां से, कितनी मात्रा में इकट्ठा किया जाता है और उस पर प्रति किलो कितना औसतन खर्चा पड़ जाता है व दूध किस रेट से बेचा जाता है ?

(३) मिल्क सप्लाई स्कीम के चालू होने से अब तक इसका प्रशासनिक ढांचा क्या रहा है उसमें तब्दीली करने के क्या कारण हैं ? इस स्कीम से सालाना मुनाफा या नुकसान क्या होता रहा है ?

(४) इस स्कीम के मैनेजर की मदद के लिये टेकनीकल एडवाईजर की जगह पर किस क्वालिफिकेशन के आदमी को लगाया गया है और उसका क्षेत्र में क्या अनुभव है ? राजस्थान में डेयरी की ट्रेनिंग पाये हुए कितने व्यक्ति हैं और उनका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

(५) क्या जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम को स्थापित करने से पूर्व आसपास के देहाती इलाके में दूध की उपलब्धि का सर्वे कर लिया गया था ? यदि हां, तो गाय व भैंस का दूध किस किस मात्रा में उपलब्ध हो सकता है और दूध की कमी के बावजूद केवल गाय का ही दूध डेयरी के लिये खरीदने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री पशुपालन (श्री भीमसिंह) : जयपुर दूध वितरण योजना के तहत कुल करीब ५,००० लीटर दूध रोजाना वितरित किया जाता है जो कि जयपुर शहर की खपत का लगभग १ । २० हिस्सा है ।

जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत निम्न रूटों से निम्न मात्रा में दूध एकत्रित किया जाता है ।

रूट का नाम	मात्रा
दूदू	१००० लीटर
फागी	६०० लीटर
जमवारामगढ़	७०० लीटर
बस्सी	७०० लीटर
गौरस भंडार	३०० लीटर
बीकानेर	३००० लीटर
	६६०० लीटर

(श्री भीमसिंह)

दूध इकट्ठा करने की अधिकतम दूरी ५० मील है व निम्न भावों में खरीदा जाता है।

डेयरी से २० मील की दूरी तक
६२ पैसे प्रति लीटर

डेयरी से ३५ मील की दूरी तक
६० पैसे प्रति लिटर

डेयरी से ३५ मील से ऊपर
५८ पैसे प्रति लीटर

दूध को गांवों से इकट्ठा करने का व पेस्चुराइज्ड करने के खर्चे का औसत अभी नहीं लगाया गया है परन्तु दूध. को बाजार भाव के मुताबिक ८० न०पै० प्रति लिटर की दर से बेचा जाता है और सरकारी विभागों व थोक खरीदने वाले ऐजेन्टों को ७६ न०पै० दिया जाता है।

दूध योजना के चालू होने से जब तक यह योजना प्रोजेक्ट ऑफिसर के द्वारा प्रशासित की जाती थी। परन्तु बाद में एक सीनियर आर० ए० एस० की नियुक्ति जनरल मैनेजर की जगह की गई है व उनको हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट क्लास प्रथम व पदेन उप सचिव के अधिकार भी दिये गये हैं। जनवरी ६२-६३ से ६६ तक इस स्कीम से अब तक रेकरिंग ६,०३,४२५ व नोन रेकरिंग १६,१६,७६२) खर्च हुआ है। हानि लाभ के आकड़े संलग्न हैं।

(४) जनरल मैनेजर की टेकनिकल एडवाईज के लिये एक डेयरी ऑफिसर की नियुक्ति शीघ्र ही की गई है। राजस्थान में डेयरी का डिप्लोमा आई० डी० डी० (इन्डियन डेयरी डिप्लोमा) पास किये हुये ६ और पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ एक ऑफिसर है और वे विभिन्न सरकारी पदों पर निम्नानुसार कार्य कर रहे हैं।

(१) श्री अविनाशस्वरूप माथुर, आई० डी० डी० डेयरी प्रोजेक्ट ऑफिसर।

(२) श्री बसन्तीलाल छाबड़ा, आई. डी.डी. लाइव स्टाक डवलपमेन्ट ऑफिसर।

(३) श्री आर०एस० मुकर्जी, आई.डी.डी. अ० गोशाला डेवलपमेन्ट ऑफिसर।

(४) श्री मेघराज शर्मा, आई.डी.डी. लेक्चरार, ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा।

(५) श्री बी० के० माथुर, डेयरी ऑफिसर, जयपुर।

(६) श्री अम्बालाल सिंघवी, आई.डी.डी, सुपरिन्टेन्डेन्ट केटल ब्रीडिंग फार्म, रामसर।

(७) श्री सीताराम हल्दिया, बी० कोम. आई०डी०डी० (शीप एन्ड व वूल) सुपरिन्टेन्डेन्ट, केटल ब्रीडिंग फार्म बस्सी।

(८) श्री दीनदयाल, आई० डी० डी०, सुपरिन्टेन्डेन्ट, केटल ब्रीडिंग फार्म नागौर।

डेयरी में कार्य कर रहे ऑफिसर

(अ) श्री छैलबिहारी शर्मा, एम० एस सी० (डेयरी) प्रसार अधिकारी।

(ब) श्री जे० पी० डाडे, आई० डी० डी०, शिफ्ट मैनेजर एवं प्लान्ट ऑपरेटर, जयपुर दुग्ध वितरण योजना।

(श्री भीमसिंह)

(५) जयपुर दुग्ध वितरण योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व आस पास के देहातों का सर्वे किया गया था। यद्यपि अधिकांश में भैंस के दूध के ज्यादा मात्रा में मिलने के ही आंकडे हैं परन्तु गाय को विकसित करने के उद्देश्य से ही सरकार ने जयपुर दुग्ध योजना में सिर्फ गाय का दूध ही लेने का निर्णय लिया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : आपने सूची दी है चार साल की आपका नुकसान हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले साल में सत्रह हजार का नुकसान था जब ६५-६६ में २ लाख १७ हजार का नुकसान हो गया। यह आपके इन्वेस्टमेन्ट से दस गुना नुकसान हो गया। नुकसान बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : जैसे जैसे दूध के इकट्ठा किये जाना शुरू हुआ है प्रोपोरशनेटली एक्सपेन्डीचर बढ़ा है इसका कारण यह है कि लोसेज ज्यादा गये हैं। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि लोसेज को कम किया जाय ज्यादा इन्कम करके।

श्री जुझारसिंह : १९६३–६४ में १ लाख ८४ हजार लिटर दूध खरीदा और ६५–६६ में ९ लाख लिटर दे रहे हैं, यदि बीस गुना दूध बढ़ा लिया तो इस हिसाब से प्रॉफिट भी आठ टाइम्स बढ़ना चाहिये। ओवर हैड एक्सपेन्डीचर ज्यादा दूध खरीदने के कारण फायदा होना चाहिये। यह नहीं है तो आपका प्रबन्ध सेटिस्फेक्ट्री नही है ?

श्री भीमसिंह : इसमें ऐसा है कि वैहिकल्स को भी ज्यादा रन करना पड़ा ज्यादा दूर दूर से दूध इकट्ठा करना पड़ा। दूध को प्राप्त करने के लिए एक्सपेन्डीचर ज्यादा करना पड़ा।

श्री जुझारसिंह : आपका यह प्लान्ट कितना दूध सप्लाई केटर करने के लिए है ?

श्री भीमसिंह : बीस हजार की केपेसिटी है जब कि इस समय सात हजार और कुछ लिटर है।

श्री जुझारसिंह : बीस हजार के प्लान्ट में सात हजार लिटर ले रहे हैं इतने में ही आपको करीब १ लाख सात हजार का नुकसान पड़ रहा है अगर बीस हजार लिटर लेने लगेंगे तो नुकसान की मात्रा उतनी ही ज्यादा बढ़ जायगी ?

श्री भीमसिंह : नुकसान कम से कम हो इसकी कोशिश की जा रही है।

प्रश्न संख्या ७७३

श्री अध्यक्ष : Next. श्री जुझारसिंह !

(प्रश्न नहीं पूछा गया—कृपया आगे देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' !

हरिजनों पर हमला, ग्राम भाटखेड़ी

७७४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा–सु०) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम भाटखेड़ी जिला झालावाड़ में भूमि अलॉटमेंट के

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

मामले में हरिजनों पर हमला किया गया था ? यदि हां, तो इस हमले में कितने हरिजनों के भारी चोटें आई ?

(२) क्या यह सही है कि इन हरिजनों में से एक व्यक्ति शफाखाने में पहुंचते ही मर गया ? इस मरने वाले व्यक्ति की डाक्टरी रिपोर्ट में किस किस प्रकार की चोटों का जिक्र है ?

(३) उपरोक्त कांड में किस किस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया ?

(४) यह कहां तक सही है कि स्थानीय सब-इन्सपेक्टर ने उपरोक्त हरिजनों की रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया ?

(५) क्या यह सही है कि इन हरिजनों ने एस० पी० झालावाड़ को भी इस हमले की जांच करने और मारने वालों को गिरफ्तार करने के लिए प्रार्थना की थी ?

(६) उपरोक्त घटना किस तारीख को हुई थी और मारने वालों की गिरफ्तारी कब की गई ? क्या यह सही है कि हरिजनों को मारने वाले सब के सब मीणा जाति के लोग हैं ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां। ३ हरिजनों के भारी चोटें आई थीं।

(२) मृतक नगा चमार अस्पताल में दाखिल होते ही नहीं मरा था, भर्ती कराने के तीन दिन बाद उसकी मौत हुई है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी खोपड़ी पर भारी चोट पहुंचने से फ्रेक्चर हुआ और उस चोट के दवाब के कारण मृत्यु होना पाया गया।

(३) उपरोक्त कांड में निम्नलिखित २४ व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया :

(१) दरियावसिंह (२) अमरसिंह
(३) करनीसिंह (४) सुरतानसिंह
(५) किशनसिंह (६) बापूसिंह
(७) बलवन्तसिंह (८) सज्जनसिंह
(९) अर्जुनसिंह (१०) डूंगरसिंह
(११) सरदारसिंह (१२) भवानीसिंह
(१३) चन्दरसिंह (१४) प्यारसिंह
(१५) अनारसिंह (१६) मांगीलाल
(१७) केशरसिंह (१८) भगवानसिंह
(१९) दुलैसिंह (२०) रामसिंह
(२१) नेनूसिंह (२२) मानसिंह
(२३) रामसिंह (२४) भुजार सुनार राजपुतान

(४) जी नहीं। रिपोर्ट होते ही स्थानीय एस० एच० ओ० ने मुकदमा कायम करने से मना नहीं किया, वरन् मुकदमा दर्ज कर लिया।

(५) जी हां।

(६) घटना दिनांक २४-८-६५ को हुई। १५ अपराधी ता० ३१-८-६५ को, ५ अपराधी ४-९-६५ को एवं ४ अपराधी ९-९-६५ को गिरफ्तार हुए। मारने वाले मीणा जाति के नहीं, वरन् २३ सोधिया ठाकुर तथा १ सुथार है। मीणा एक भी नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : रिपोर्ट जब दर्ज कर ली, घटनास्थल पर हरिजनों की लाशें पड़ी हुई थी, तो थानेदार वहां कब पहुंचा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक आदमी घायल हुआ जो पांच दिन बाद मरा। रिपोर्ट होने के बाद जितना जल्दी हो सका

Page No. 14

(श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य)

मौके पर वह पहुंचे है तफतीश करने के लिए ।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : लाशें पड़ी थीं, ग्राप कहते है, केवल ग्रादमी की मौत हुई, क्या पुलिस जब पहुंची तो तीन चार ग्रादमियों की लाशें पड़ी हुई थी ?

श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य : लाशें नहीं, ३ को चोटें ग्राने को कहा था।

श्री रावतराम : क्या एक ग्रादमी के सिवाय ग्रौर कोई व्यक्ति नहीं मरा ?

श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य : तीन को भारी चोटें ग्राई है, यह कहा गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ग्राप यह बता दीजिये कि वह मुकद्दमा किस तारीख को किस जुर्म में रजिस्टर किया गया था ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : १४७ ग्रौर १४८ में रजिस्टर हुग्रा ग्रौर पांच दिन के बाद ३०२ में परिवर्तित हो गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मुकद्दमा दर्ज होने के बाद ग्ररेस्ट कब की गई ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : ग्राखिरी प्रश्न के पैरा में बतलाया है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : ग्रध्यक्ष महोदय, घटनास्थल पर क्या पटवारी मौजूद था ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : पटवारी मौजूद था, कानूनगो मौजूद था ग्रौर जब भूमि बता कर लौट रहे थे तो लौटते वक्त यह घटना हुई थी । हमला हुग्रा था ।

श्री दलपतसिंह (ग्राबू) : ग्रध्यक्ष महोदय, हमला करने का क्या कारण था ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : कारण यह था कि २०० बीघा जमीन हरिजनों को दी गई ग्रौर कानूनगो ग्रौर पटवारी नापने को गये ग्रौर नाप कर लौट रहे थे कि हमला हो गया । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको जमीन देने के विरुद्ध रिजन्टमेन्ट था ।

श्री रावतराम : क्या सरकार को मालूम है कि हरिजनों ने इस घटना से पहले पुलिस को ग्रौर स्थानीय ग्रधिकारियों को यह जिक्र कर दिया था कि इससे उनको जान का खतरा है ग्रौर इसलिये हमारी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय ? क्या यह दरख्वास्त पुलिस कर्मचारियों को लिख कर दी गई थी ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : ऐसी जानकारी मुझे तो नही है ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : जो जमीन एलॉट की गई थी, क्या वह बिना नाम की पड़त जमीन थी या उस पर किन्हीं का कब्जा था ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : कब्जा होना जाहिर नहीं पाया गया ।

श्री ग्रध्यक्ष : Next. श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल !

जयपुर के ग्रनाज के व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा

७७५. **श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ५-१-६५ को प्रसारित सीमा के १० मील के क्षेत्र में व्यापार के लिये ग्रनाज की खरीद-बिक्री निषेध ग्रादेश के उल्लंघन के सिलसिले में जयपुर के १९ व्यापारियों के खिलाफ मुकद्दमा दायर किया गया था ?

Page No. 15

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार की सूचना सरकार के पास अन्य लोगों के बारे में भी उपलब्ध थी ? यदि हां, तो फिर उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई और इनके खिलाफ ही क्यों की गई ?

उप मन्त्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां, जयपुर के १० व्यापारियों के खिलाफ मुकद्दमा दायर किया गया था ।

(२) जी हां, अन्य लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करना उचित समझा जाकर जमानत की रकम में से २१०) २५०) रुपये जब्त किये गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डिस्क्रिमिनेशन करने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिन व्यापारियों ने सौ बोरी या इससे कम बेचा उनको विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत लिया गया और जिन्होंने ज्यादा बेचा उन पर मुकद्दमा दायर किया गया ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह सही है कि नियमानुसार कम्पाउन्ड करने का कोई अधिकार कलेक्टर को नहीं है ?

खाद्य-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : कम्पाउन्ड कोई नहीं किया गया । कलेक्टर ने सोचा तीन-चार सौ या पांच सौ बोरी माल जिन्होंने भेजा है उनके खिलाफ तो मुकद्दमा दायर कर दिया जाय पर जिन्होंने तीस-चालीस या सौ से कम भेजी हैं उनके खिलाफ लाइसेन्सिंग आर्डर के तहत कार्यवाही करने का अधिकार विभाग को है तो उसके अन्तर्गत कार्यवाही करना उचित मान कर उन पर जुर्माना कर दिया ।

श्री कुरेशी की गिरफ्तारी

७७६ **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उप गृह मन्त्री के निजी सहायक श्री कुरेशी को डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ? अगर हां, तो कब व क्यों ?

(२) उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में सबसे पहले सूचना कब प्राप्त हुई थी व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य के उत्तर देने को खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मुख्य मन्त्रीजी से दिलवाया जावे क्योंकि इसका सारा रिफ्लेक्शन उप गृह मन्त्रीजी पर आ रहा है इसके अन्तर्गत ।

श्री अध्यक्ष : यह आपका कहना सही नहीं है कि उन पर आंच आती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो सप्लीमेन्ट्री पूछे जावेंगे उनमें उन पर भी इनडाइरेक्टली इसका असर पड़ेगा । इसलिये इसका उत्तर मुख्य मन्त्रीजी से दिलवाया जावे तो अच्छा होगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इससे तो फिर पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है और उत्तर भी होता है इसलिये हर सूरत में मैं अधिकारी हूं इसका उत्तर देने का ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह प्रश्न पूछकर मैं सदन को यह जानकारी कराना चाहता हूं कि इसमें उप गृह मन्त्री भी आते हैं । इसलिये इस प्रश्न का उत्तर मुख्य मन्त्री

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जी दें। इसका सारा रिप्लेक्शन उप गृह मन्त्रीजी पर आवेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे उत्तर तो देने दिया जावे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सवाल यह है कि जितने सब्जीमेन्ट्री होंगे उनमें ये डाइरेक्टली इन्वोल्ड हैं इसमें इसलिये उत्तर स्पष्ट नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : इसलिये तो वे ज्यादा अच्छा जवाब दे सकेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये अवोइड करेंगे, जवाब ही नहीं देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न दो तीन मर्तबा सदन के सामने आ चुका है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उप गृह मन्त्री को हटाने का प्रश्न भी इसमें है, उनको हटाने के प्रश्न पर वे क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हटाने के लिये तो जनता से कहिये। उनके वोट से आया हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा कि, अध्यक्ष महोदय, कोई बेशर्मी की भी हद होती है। मुख्य मन्त्रीजी मौजूद हैं, वे उत्तर दे सकते हैं, पर फिर भी आप खड़े हो रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह आग्रह किया है कि उत्तर मुझ से दिलवाया जावे। आपको उससे सन्तोष न हो तो फिर जैसा अध्यक्ष आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर तो सुनिये, फिर अगर और जानकारी करना चाहें तो पूछिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) जी हां, श्री कुरैशी को दिनांक १५ जनवरी, ६६ को भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा ३६।४१ व इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा ३।६ तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२० (बी) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था जब कि वे उप गृह-मन्त्री के पी० ए० नहीं थे।

(२) सरकार के पास श्री कुरैशी के विरुद्ध प्रथम संदेहात्मक सूचना ३ नवम्बर ६५ को प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की गई व उनके विरुद्ध विस्तार से जांच की गई। उनका स्थानान्तरण पहिले तो किसी अन्य विभाग में किया गया व तदुपरान्त उन्हें निलम्बित किया गया। उनके विरुद्ध अभी पुलिस जांच कर रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आपने पहले खण्ड में उत्तर दिया है उसमें डेट नहीं बताई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौनसी डेट?

श्री कृष्णकुमार गोयल : किस तारीख को अरेस्ट किये गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बताया न कि १५ जनवरी, ६६ को।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो उत्तर दिया है कि यह उप गृह मन्त्री के पी० ए० नहीं थे तो क्या बता सकते हैं कि जिस समय शिकायत हुई और शिकायत के ऊपर गिरफ्तार किये गये उस पीरियड में ये क्या थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनका दूसरे महकमे में ट्रान्सफर हो चुका था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस समय शिकायत नवम्बर ६५ में प्राप्त हुई उस समय उप- गृह मन्त्री के ये पी० ए० थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपको नवम्बर ६५ में सूचना प्राप्त हुई तो यह किस सूत्र से प्राप्त हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सूत्र, अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा मददगार है। वह कहीं नष्ट न हो जाय, इसलिये मैं उस सूत्र को नहीं बताऊंगा। वह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदार है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस सूत्र से सूचना प्राप्त हुई, उसमें डिप्टी मिनिस्टर नहीं थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिप्टी मिनिस्टर स्वयं जानकारी रखते थे। बहुत ही सतर्क थे चीनी आक्रमण के वक्त, और बहुत ही सतर्क थे इण्डो-पाक युद्ध के वक्त। इस व्यक्ति की हलचल को वे इधर-उधर देखते रहे और आफिस से भी बाहर बैठाते रहे। और इनको इधर उधर के टाइप के सिवाय और कोई काम नही देते रहे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने मेरी बात का जवाब फिर भी नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ३-११-६५ को उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई उसके अन्दर डिप्टी मिनिस्टर. होम स्वयं नहीं थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस सूचना के अन्दर एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, अध्यक्ष महोदय, और महत्वपूर्ण सूत्र के साथ डिप्टी मिनिस्टर की सम्मति और उसकी शंकाएं दोनों मिलकर सूत्र बना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न को अवॉयड करना चाहते हैं। ३-११-६५ को जब कि यह व्यक्ति डिप्टी होम मिनिस्टर का पी. ए. था तो इसके बाद कौनसी तारीख को दूसरे कौनसे स्थान पर ट्रान्सफर किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में वापिस चला गया तो फिर दूसरी जगह वे कर दिये गये इसी विभाग में। वह मैटीरियल नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ३ नवम्बर के बाद उनका आपके यहां से ट्रान्सफर कब हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३-११-६५ को सूचना प्राप्त होते ही।

श्री अध्यक्ष : ये सारे प्रश्न पूछने से क्या मतलब ? यह कोई आवश्यक नहीं, ट्रान्सफर कभी भी हो। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि अभियुक्त उपमन्त्री हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जी हां, मैं यही कहना चाह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं इस पर काफी बहस हो चुकी है और काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : एक सप्लीमेन्टरी....

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, एक सप्लीमेन्टरी भी नहीं ।

श्री विजयसिंह झाला : जब यह एन्टी-नेशनल-एक्टीविटीज़ करते हैं तो इनका ट्रान्सफर क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं समझता हूं कि यह बातें पूछने की आवश्यकता नहीं है । अगर आपको गंभीरता से कहना है कि उप-मंत्रीजी भी सम्मिलित हैं तो टेढ़ी-मेढ़ी बातें क्यों करते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : जब चीन का एग्रेशन हुआ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह से प्रश्न और पूछें और एक्पर्शन करें, मैं इसको उचित नहीं समझता ।

श्री विजयसिंह झाला : बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण क्या है इसका निर्णय मैं करूंगा ।

(विराम)

श्री रावतराम !

पानी की खोज के परिणाम

७७७. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने चूरू जिले के विभिन्न स्थानों पर मीठे पानी की खोज करने हेतु बोरिंग करवाया है ? यदि हां, तो जिले में यह बोरिंग कहां-कहां करवाया है और वहां पानी की स्थिति क्या रही तथा कितने फुट नीचे पानी मिला है ? गावों के नाम व पूरे विवरण सहित सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) जिन स्थानों पर पानी मीठा व पर्याप्त मात्रा में मिल गया है वहां आगे सरकार की क्या योजना है तथा जहां पानी खारा निकला है उन गावों को मीठा पानी सप्लाई करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उप-मंत्री, जनस्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जिन स्थानों पर पानी मीठा व पर्याप्त मात्रा में मिल गया है वहां सरकार आवश्यक सामग्री एवं वित्त व्यवस्था उपलब्ध होने पर जल वितरण योजना बनाने का विचार रखती है । तथा जहां पानी खारा निकला है उन गांवों को मीठा पानी आस-पास के क्षेत्रों से जहां पर पानी मीठा व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है पहुँचाने की योजना तैयार करा रही है ।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचि मुझे दी गई है एक तो शिकायत यह है कि इसमें जो नाम दिये हैं वह समझ

Page No. 19

(श्री रावतराम)

में नहीं आते कोई तो गौहटा, लौह और कहीं छोह है लेकिन फिर भी कुछ अन्दाजे से यह अन्दाजा लगाया है कि कुछ गांव हैं जिनमें लिखा है खारी पानी होने के कारण तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो खारी पानी है यह कितने फुट पर मिला और उसके बाद में और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश क्यों नहीं की ? जब कि बोरिंग करने वालों को जाना चाहिए कम से कम १२०० फुट तक ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहरसिंह ! हर एक कुए के बारे में नहीं बताया जा सकता कि कहां खारा पानी मिला और कहां मीठा पानी निकला ।

(विराम)

श्री मोहरसिंह !

सेवा-नियमों में संशोधन की आवश्यकता

७७८. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि अगस्त, १९६२ में खर्चे में कमी करने के कारण कई विभागों के स्थायी और अस्थायी पदों को कमी में लाकर खत्म कर दिया गया ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सरकार के यह आदेश थे कि एब्जार्ब्शन नियमों के अनुसार सेवा नियमों में संशोधन करके एब्जॉर्ब्ड राज्य कर्मचारियों को उचित स्थान पर वरिष्ठता (सीनियोरिटी) तय करके लगाया जायेगा ?

(३) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि स्थायी व राजस्थान लोक सेवा आयोग से चुने हुये व समान वेतन श्रृंखला में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को अब तक सेवा-नियमों में संशोधन न होने के कारण अब तक दूसरे विभाग में, जिनमें एब्जॉर्ब किये गये हैं, अस्थाई माने जा रहे हैं व उनकी सीनियोरिटी भी तय नहीं हुई है और उनको ४ वर्ष से वेतन-वृद्धि नहीं मिली है ?

(४) क्या यह सही है कि सरप्लस करने से पूर्व जो वेतन उनको मिलता था वह भी आज प्रोविजनल आधार पर मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों और ४ वर्ष तक सेवा-नियमों में संशोधन क्यों नहीं हो सका है ?

(५) अब सेवा नियमों में संशोधन का काम कब तक समाप्त हो जावेगा ?

उप-मंत्री, निवृत्ति (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां।

(२) सरकारी आदेशानुसार विभागीय अध्यक्षों द्वारा ही सेवा-नियमों में आवश्यक संशोधन कराके सरप्लस कर्मचारियों का उचित स्थान तय करना चाहिए था ।

(३) विभागाध्यक्षों को यह आदेश दिये गये थे कि सरप्लस कर्मचारियों को जहां लगाया जाता है वहां उनको उचित वरिष्ठता दिलाने के लिए यदि आवश्यकता हो तो नियमों में संशोधन के लिये कार्यवाही की जावे । कार्यवाही की जा रही है ।

(४) प्रत्येक मामले में अलग-अलग स्थिति है । सेवा-नियमों में संशोधन का कार्य जारी है ।

(श्री उप-मन्त्री, नियुक्ति)

(५) मामला सरकार के विचाराधीन है और निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

श्री मोहर्रसिह : यह कौनसी योजना में निर्णय लिया जायेगा ? चार साल तो हो गये ।

श्री चन्दनमल बैद : इसी योजना में ले लिया जायेगा ।

श्री मोहर्रसिह : कब तक ?

श्री चन्दनमल बैद : बहुत शीघ्र ही ।

श्री मोहर्रसिह : ऐसे कितने कर्मचारी हैं कि जो इस आदेश से प्रभावित है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह संख्या बताना तो कठिन है क्योंकि कई साल में सरप्लस हुए हैं । यह संख्या काफी हो सकती है लेकिन ठीक नम्बर बताना मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिह !

श्यामगढ़ में धान का स्टॉक

७७६. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नांवा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसीलदार नांवा ने शिकायत होने पर ता० १८-८-६४ को ग्राम श्यामगढ़ के एक धान के व्यापारी के यहां बड़ा भारी स्टॉक पकड़ा, जिस में सावंतगढ़ व मालासुखा दो गांवों में जो कि गड़ी हुई खाइयां भी सम्मिलित थीं. कुल कितना अनाज इस फर्म के स्टॉक में पाया गया ?

(२) चालू माह का स्टॉक इस फर्म ने तहसील में कितना दिया ? मौके पर और बहियों में इन्द्राज किस प्रकार था ?

(३) क्या यह सही है कि अमुक व्यक्ति टैक्स से बचने व धान का अनधिकृत व्यापार करने की नीयत से २-३ नाम से व्यापार करता आ रहा है, जो बहियों से साबित है व बरवक्त चैकिंग उक्त बात तहसीलदार के ध्यान में लाई गई थी ?

(४) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि उस वक्त क्षेत्र में अनाज की भारी कमी व मांग होते हुए भी, तहसीलदार ने अनधिकृत स्टॉक का विक्रय न कर सरासर पक्षपात व कानूनी जुर्म किया ?

(५) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार द्वारा निष्पक्ष जांच व कार्यवाही न करने पर श्री हीरालाल अग्रवाल, श्यामगढ़ निवासी शिकायतकर्ता ने दिनांक ६-११-६४ को समस्त संबंधित अधिकारीगण व खाद्य मंत्री जी को की, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(६) क्या इस घोटाले व सर्वत्र चर्चित मामले की जानकारी क्षेत्रीय विधान सभाई द्वारा खाद्य मंत्री जी को दिनांक २-१२-६४ के देने पर कोई कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां, जांच ग्राम श्यामगढ़ में मै० सूरजमल सीताराम के यहां गेहूं १० क्वीन्टल, जौ १३८ क्वीन्टल, गुज्जी ३० क्वीन्टल पाया गया । सांवतगढ़ व मालासुखा गांव में उक्त फर्म के पास कोई गल्ला नहीं पाया गया । जिन काश्तकारों के पास

Page No. 21

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

इन गांवों में जो अनाज जांच कर पकड़ा गया उन्होंने स्वयं का होना बतलाया। फर्म के पास जितना स्टॉक पाया गया बताया जा चुका है।

(२) चालू माह की पाक्षिक रिपोर्ट में मै० सूरजमल सीताराम ने स्टॉक में गेहूं १० क्वी० २० किलो, जौ १२६ क्वी० २६ किलो, बाजरा २७ क्वी० ४८ किलो, गुज्जी २० क्वी० ७८ किलो बताया था। मौके पर की गई जांच के दौरान जो अनाज पाया गया प्रश्न के भाग (१) के उत्तर में बता दिया गया है। बहियां सेल्स टैक्स विभाग में होने के कारण इन्द्राज का पता लगाना सम्भव नहीं हो सका।

(३) मै० सूरजमल सीताराम को राजस्थान फूडग्रेन लाइसेंसिंग ऑर्डर, १९६४ के अन्तर्गत लाइसेन्स नं० ५९ दिया हुआ है। बहियां आदि सैल्स टैक्स विभाग में विचाराधीन होने के कारण खाद्य विभाग द्वारा अभी यह बताना कठिन है कि उक्त फर्म २-३ नाम से व्यापार करती है। टैक्स से बचने आदि की शिकायत खाद्य विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(४) उपखण्ड अधिकारी, परबतसर की जांच से यह मालूम हुआ कि किसी व्यापारी अथवा तहसीलदार नावां के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, परन्तु फिर भी उपखण्ड अधिकारी परबतसर को पुनः जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(५) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(६) जांच उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह सही है कि सर्वप्रथम शिकायत होने पर तहसीलदार, नावां ने जांच की वह असली कागजात इस मिसल में नहीं हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हमारे पास कागज आये नहीं हैं इसलिए कौन से कागज गायब हैं कौन से नहीं। लेकिन इसकी जांच तहसीलदार कर रहा है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : सर्व प्रथम जब शिकायत की गई कि उक्त व्यापारी के पास भारी मात्रा में गल्ला है तो तहसीलदार, नावां ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मैं नहीं कह सकता।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या बहियां अभी भी उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, वह सैल्स टैक्स वालों के पास हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : १॥ साल का अर्सा हो गया और जांच नहीं हुई और बहियां भी उपलब्ध नहीं हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर सैल्स टैक्स वाले किसी व्यापारी की बहियां लेते हैं तो जब तक वह पूरी फाईल की स्टडी नहीं कर लेते हैं तब तक लौटाते नहीं हैं और फिर लौटाने का तो उनके हक की बात है। बहियां जब वापिस व्यापारी के पास आयेंगी तो हम जांच करेंगे।

Page No. 22

श्री हनुमानसिंह चौधरी : एस० डी० ओ०, परबतसर ने क्या जांच की ?

श्री अध्यक्ष : सैल्स टैक्स विभाग से आपने मंगवाने की कोशिश की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं की। हमारा तो थोड़ा एक्सेस स्टॉक का सवाल है और सैल्स टैक्स वालों को यह शिकायत है कि यह दो तीन नाम से काम करते हैं तो उनका मामला बड़ा है और हमारा छोटा है।

श्री अध्यक्ष : तो आपका अधिकारी वहां जाकर बहियां देख सकता था।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब हमने एस० डी० ओ० को कहा है कि अब बहियों को देखें।

श्री अध्यक्ष : बहुत देरी हो गई और आप जरा इस मामले को गंभीरता से देखें।

प्रश्न संख्या ७८०

महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)।

श्री भीमसिंह !

ग्राम बंबाल में बांध

७८१. श्री **भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि तहसील परबतसर के ग्राम बंबाल में बांध का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि यह बांध नागौर जिला जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में होने के फलस्वरूप पास के अन्य कई गांवों के कुओं में भी पानी सामान्य सतह से काफी ऊंचा उठ जावेगा, जिससे सिंचाई का कार्य भी शाश्वत रूप से होता रहेगा तथा पीने के पानी की समस्या भी काफी हद तक हल हो सकेगी ?

(३) क्या इस क्षेत्र के लोगों द्वारा भी समय-समय पर मन्त्री महोदय तथा उच्चाधिकारियों के पास इस बांध के सम्बन्ध में मांग की जाती रही है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित बातों को मद्देनजर रखते हुए तथा रेगिस्तानी क्षेत्र को प्राथमिकता देने की दृष्टि से इस बांध का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई : (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(३) जी हां, विभाग को इस विषय में मांग प्राप्त हुई है।

(४) इस योजना से ५० एकड़ से कम सिंचाई होने की सम्भावना है जब कि इसकी लागत का लगभग ४ लाख का तखमीना बना है और आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से यह योजना उचित नहीं है। इसलिए इसको क्रियान्वित करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री भीमसेन : क्या सरकार इसका दुबारा सर्वे कराने को तैयार है ? स्टेट के टाइम का पुराना बांध है और दोनों पहाड़ों

Page No. 23

(श्री भीमसेन)

के बीच में है और इसका दुबारा सर्वे कराया जाये तो अच्छा रहेगा ।

श्री **दिनेशराय डांगी** : अध्यक्ष महोदय, जहां सर्वे कराई गई है वहां सम्भव नहीं है । अगर उसके अलावा दूसरी साइट हो तो सर्वे कराया जा सकता है ।

श्री **जेठमल बरबड़** (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, यह पुराना बांध है और पुरानी स्टेट का है और वह टूट गया और टूट जाने के बाद में हमारे मंत्री महोदय को भी निवेदन किया और संबंधित विभाग को भी लिखा लेकिन आप कह रहे हैं कि वह सम्भव नहीं है और जमीन के अन्दर पानी की रोक नहीं है । मैंने बात की तो आपने कहा कि पक्की जमीन नहीं है इसलिए वहां दोनों तरफ पहाड़ों की जो सर्वे करने के लिए गये वह दूसरी जगह उन्होंने सर्वे कर ली होगी ऐसा मेरा ख्याल है । यह पुराना बांध है और कुए में पानी हो जायेगा और आस-पास के अन्दर जो और दूसरे कुएं हैं उनमें भी पानी हो जायेगा यदि यह बांध बंध गया तो । यह बांध जरूरी है और आसपास जो अकाल की स्थिति है मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि इसको अकाल कार्यों में लेकर ही पूरा करा दो तो महरबानी होगी ।

श्री **दिनेशराय डांगी** : अध्यक्ष महोदय, अकाल से करा दें तो यह तो हमारे हाथ की बात नहीं है लेकिन टेक्नीकली एप्रूव नहीं हो जाये तब तक मैं अकाल के लिए कुछ नहीं कह सकता । हो सकता है कोई और जगह जो ध्यान में नहीं आई हो वह अब ले ली जायेगी ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री जुझारसिंह !

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया !

(१२·०० मध्यान्ह)

श्री **जुझारसिंह** (चेचट) : मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

(प्रश्न संख्या ७८२ पूर्व में पूछ लिया गया)

श्री **अध्यक्ष** : श्री जयनारायण सालोदिया ।

राज्य में अनाज का सरकारी स्टॉक !

७८३. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या खाद्य मन्त्री वह बताने की की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में कहां २ कितने-कितने व किस प्रकार के अनाज का सरकारी स्टॉक है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) सन् ६६–६७ में किस प्रकार का कितने अनाज का स्टॉक करने का लक्ष्य रखा गया है ?

उपमन्त्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) अनुमानतः ३०००० टन मोटा अनाज (ज्वार व मक्का) खरीदने का लक्ष्य रखा गया है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No. 24

श्री जयनारायण सालोदिया : यह स्टाक जहां २ हैं वहां सुरक्षित है या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : क्या जगह से ताल्लुक है कि किस–किस जगह पर मौजूद है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : यही मैंने पूछा है कि जहां स्टॉक है वह सुरक्षित है या नहीं ?

खाद्य-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वह सब सुरक्षित है। कहां २ पर है इसका विवेचन देने की जरूरत नहीं है। जितना भी स्टाक है वह सुरक्षित है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि चने के स्टॉक में खराबी पैदा हुई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो खराबी पैदा हुई थी वह स्टॉक हमने डिस्पोज आफ कर दिया है।

श्री भैरोंसिह : क्या कहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो चने में खराबी हो रही थी या हुई थी उस तमाम स्टॉक का हमने बेच दिया है।

श्री भैरोंसिह : कितनी खराबी हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी में दस पर्सेन्ट, किसी में १५ पर्सेन्ट किसी में २० पर्सेन्ट। जिस माल में ज्यादा खराबी होने का डर था उसे दूसरी जगह बेच दिया है, गुजरात को दे दिया है।

श्री भैरोंसिह : कितना माल था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब दस हजार टन दिया है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि दस हजार टन यह जो चना दिया गया वह बाजार में जो भाव था उससे काफी कम में दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बाजार से कम का सवाल नहीं है। हमने ५४) रु० क्विन्टल के हिसाब से दिया है जब कि हमने चालीस रुपये में खरीदा था। इस पर खर्चा-वर्चा लगाकर ५४ रु० के भाव से दिया है। अभी शायद बाजार में ५५-५६ का भाव है, हमने ५४) में दिया है।

श्री भैरोंसिह : आपने गुजरात को जिस चने को बेचा वह तो चना खराब पैदा हुआ था, उसको आपने ५४) रु० में बेचा लेकिन बाकी के माल के लिए जो आपने टेंडर आमंत्रित किए थे, उन दोनों की रेट में कितना अन्तर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने हमारे यहां जो माल था उसको, गवर्नमेंट ने, ५४)रु० के भाव से गुजरात को दिया है। इसके अलावा हमने फूड कार्पोरेशन से यह कहा है कि जिन प्राइवेट व्यापारियों के पास चना है और वह जो खराब हो रहा है और किसी को बेचना चाहते हैं, उन लोगों का माल अकार्डिंग टू दी क्वालिटी ५५) रु० क्विन्टल तक खरीद सकते हैं।

श्री भैरोंसिह : यह तो आपने खरीदने की बात बताई, मैं तो बेचने की बात पूछ रहा हूं। यह तो फूड कार्पोरेशन नियमानुसार खरीदेगा। मेरा प्रश्न तो यह है कि जो

(श्री भैरोंसिंह)

चना स्टॉक किया था और जिसके बारे में आपने बताया कि चना खराब हो गया था........

श्री नाथूराम मिर्धा : होने लगा था।

श्री भैरोंसिंह : उसके बारे में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो गुजरात स्टेट को चना दिया गया उस चने के अलावा बाकी जो चना जिस रेट से दिया गया है, उन दोनों में क्या अन्तर है, यह बताइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने और कौन सा चना वेचा। हमने तो और कोई चना नहीं वेचा। हमने तो गुजरात को भी इसके अलावा कोई चना नहीं बेचा।

श्री भैरोंसिंह : यह जो रेट फिक्स की गई ५४) रु० की वह किस आधार पर की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो चने के मौजूदा भाव हैं उन भावों के आधार पर चने की जैसी क्वालिटी थी उसको उन्होंने यहां आकर देख लिया और उनके अपने यहां के मार्केट में किस प्रकार के दामों में वह मिलता है उसका ज्ञान भी उनको था और गवर्नमेंट की तरफ से, गुजरात गवर्नमेंट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि स्टेट के विहाफ पर काम करती है उनके नुमायन्दे यहां पर आए थे, उन्होंने माल को देखा और ५४) रु० का भाव तय हुआ और उस भाव पर वे माल अपने वहां पर ले गए।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : गुजरात में क्या भाव था उस समय चने का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं गुजरात के भाव नहीं बता सकता। यही सित्तर से ऊपर के भाव ही होंगे।

श्री भैरोंसिंह : जो चना वेचा गया और गुजरात ने जिसे खरीद किया, क्या यह सही है कि उस चने को छीजत काट कर खरीदा गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो चना वेचा गया है उसमें छीजत काटने का प्रश्न नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि चने में दस परसेंट, कहीं पन्द्रह और बीस परसेंट तक खराबी हुई होगी तो उसमें भी ऐसा होता है कि जो चना ज्यादा इविलमेंट हो जाता है और जिसको चने के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता उसकी दाल बना लेते हैं। वह अपने यहां पर दाल बना कर बेच देंगे।

श्री श्रवणलाल (हिंडोन-सु०) : इस तरह का जो स्टॉक था उसमें अनुमानतः कितना वेस्टेज गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वेस्टेज गया ही नहीं। मैंने आपसे कहा कि जिस स्टॉक के बारे में खराबी हो जाने का अंदेशा था उसको हमने बेच दिया।

श्री भैरोंसिंह : अभी जो स्टॉक पड़ा हुआ है वह खराब नहीं हो इसकी क्या व्यवस्था की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना स्टॉक है किसी भी धान का, चाहे वह चना हो ज्वार हो, बाजरा हो या गेहूँ हो जो कुछ भी है, उस स्टॉक को समय समय पर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इविलमेंट से और कीड़ों से बचाया जा सके, इसकी बिल्कुल सही व्यवस्था की हुई है और उसकी देखभाल के लिए आदमी मौजूद है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या यह सही है कि जो चना आपने ५४) रुपये के भाव में गुजरात को बेचा उस समय बाजार में चने का भाव ७०–७५ रुपये का था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह प्रॉपर स्टोरेज की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई ताकि जो खराबी हुई वह नहीं होती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्तजाम होते २ भी कुछ खराबी तो हो ही सकती है। क्वालिटी में भी फर्क होता है, किसी प्रकार की क्वालिटी में कुछ कम पका हुआ है या दूसरे भी बहुत से कारण हो सकते हैं, इसकी सारी व्यवस्था करते करते भी, और सारे उपकरणों के होते हुए भी सर्टेन पर्सेन्टेज इविलमेंट होता ही है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री विजयसिंह भाला !

राज्य में गिरफ्तारियां

७८४. **श्री विजयसिंह भाला** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में गत दो वर्षों में भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से सरकारी कर्मचारियों, पंचों, सरपंचों अथवा अन्य स्वायत्त शासन संस्थाओं के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करें।

(२) कितने व्यक्ति छोड़ दिये गये हैं और कितने अभी जेल में हैं ?

(३) कितनों पर मुकद्दमें चलाये गये और उनका क्या निर्णय रहा ?

उप–मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सन् १९६४ और १९६५ में भारत सुरक्षा कानून के अपराधिक प्रावधानों के अन्तर्गत १०८८ व्यक्ति बन्दी बनाये गये तथा नियम ३० (१) (बी) के आधीन २४७ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया। इनमें से सरकारी कर्मचारी, पंच सरपंच तथा अन्य स्वायत्त शासन संस्था के सदस्यों की नामावली की सूचियां (क) तथा (ख) में संलग्न है।

(२) अपराधिक प्रावधानों के आधीन बन्दी बनाये गये व्यक्तियों में से ४४ को अपर्याप्त प्रमाण के कारण रिहा करवाया गया, ११६ अदालतों से बरी हुए, ११ के विरुद्ध मुकद्दमों में अनुसंधान हो रहा है, २ के विरुद्ध मुकद्दमें अदालतों से वापिस लिये गये, २६१ को सजा हुई, तथा शेष ६५४ के मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। नजरबन्द किये गये व्यक्तियों में से ११५ को छोड़ दिया गया है ४४ रोल पैपर हैं तथा शेष ८८ अभी भी नजरबन्द हैं।

(३) इसका उत्तर भाग दो में दिया जा चुका है।

Page No. 27

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि यह जो लम्बी चौड़ी सूची सरकारी कर्मचारियों की दी है जो कि गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी पर एण्टी नेशनल एक्टीविटिज में काम करने का आरोप था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बहुतों पर ये आरोप हैं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि इन सरकारी कर्मचारियों की मार्फत कुछ लोग पाकिस्तान पहुंचे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह डिटेल्स नहीं कह सकता।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, अधिकांश सरकारी कर्मचारियों पर जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर एण्टी नेशनल एक्टीविटीज में कोआपरेट करने का आरोप है और यह डिटेल्स नहीं बताना चाहते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह समझने की कोशिश करें कि ये गिरफ्तारियां डी.आई.आर. के अन्दर की गई हैं, अब हर एक मामले की यहां व्याख्या करना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिन लोगों को आपने नजरबन्द किया है, डी.आई.आर. की अन्य धाराओं के अन्दर जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें से बहुत ही कम लोगों पर मुकदमें चलाए गए हैं, बाकी लोगों का चालान तक पेश नहीं किया गया है? बाकी लोगों का चालान क्यों नहीं किया गया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाकी लोगों को चालान क्यों नहीं किया गया है, कितने लोगों के मुकद्दमें बनाए गए, जो कुछ भी जानकारी चाही गई थी वह मैंने दे दी। बाकी मुकद्दमें क्यों नहीं बनाए गए यह प्रश्न उसमें नहीं उठता था इस लिए मैंने जानकारी नहीं हासिल की।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी बताया कि नजरबन्द तो अधिक हैं और उनमें से कुछ डी०आई०आर० की धाराओं में गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से कुछ के मुकद्दमें तो बनाए हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं कि डी.आई.आर. की अन्य धाराओं में गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों का चालान क्यों नहीं किया गया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो नजरबन्द होने के काबिल थे उनको ही नजरबन्द किया गया है और जिनका चालान होने का प्रावधान था उनका चालान किया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : आपने बताया कि ११५ को छोड़ दिया गया है और ४४ पैरोल पर हैं और बाकी अभी भी ८८ नजरबन्द हैं तो इनको इतने लम्बे समय तक नजरबन्द रखने का क्या कारण है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ न कुछ कारण तो विद्यमान हैं ही इसीलिए नजरबन्द कर रखा है।

Page No. 28

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर गम्भीरता से ध्यान दें। यह प्रश्न पहले भी कई दफा आया है। जिनको नजरबन्द किया गया है सरकार चाहे तब तक उनको नजरबन्द रख सकती है। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई नीति हो कि किस मामले में किस समय तक नजरबन्द रखा जाय इस दृष्टि से विचार करें तो कम से कम जो अनिश्चितता है वह खत्म हो। अनिश्चित काल तक तो आप रख नहीं सकते, कभी न कभी तो हटाना ही पड़ेगा। इसके बारे में कोई निश्चित नीति हो, जल्दी से जल्दी मुकदमें चलाये जावें जिससे एक सुचारू कानून की व्यवस्था कायम हो सके तो ठीक होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने जितने मुकद्दमें चलायें उनमें से १११ केसेज में मुकद्दमें खारिज हो गए हैं। यह सिद्ध करता है कि आपकी प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी कितनी निकम्मी है। १११ केसेज में जिनमें कि लोग एण्टी नेशनल एक्टीविटिज में इन्वॉल्व्ड थे और जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनमें से १११ के अन्दर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो अदालत का न्याय है, हम क्या कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपकी प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी को रिफ्लेक्ट कर सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें तो।

श्री भैरोंसिंह : अदालत तो न्याय करती है लेकिन आपने अन्याय किया है ऐसे आदमियों को गिरफ्तार करके, चालान करके, जिसको अदालत ने अन्याय समझ कर छोड़ दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने सही शहादत के इत्मिनान पर गिरफ्तार करना ठीक समझा और अदालत ने दूसरा व्यू लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १११ का डिसचार्ज हुआ या एक्विटल हुआ है तो गवर्नमेंट ने क्या कार्यवाही की है उन ऑफिसरों के खिलाफ कि प्रोसीक्यूटिंग ओमिशन्स से तो ऐसा नहीं हुआ हो कि जिसके कारण से इतनी काफी मात्रा में डिसचार्ज और एक्विटल हुए हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न उचित ही है, अध्यक्ष महोदय, और मैंने आफिसर्स से कहा है कि जांच होना चाहिए इस सम्बन्ध में कि क्या प्रोसीक्यूशन की तरफ से खामियां रहीं हैं, और ऑफिसर्स अधिक ठीक तरह से केसेज को अदालत में पर्स्यू करें।

श्री विजयसिंह झाला : नजरबन्द व्यक्तियों को कितनी अवधि तक रखा जा सकता है इसके बारे में सरकार बताएगी कि उनकी क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह !

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह !

सुरक्षा कोष की राशि

७८५. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि जिलाधीश नागौर ने पत्र संख्या डिफेन्स ७७४ दिनांक १४ नवम्बर, १९६२ के जरिये मुख्य मंत्री (सुरक्षा सेवा) फंड के लिए पंचायत समिति कुचामन स्तर पर ग्यारह व्यक्तियों को एक चन्दा कमेटी का गठन किया था ?

(२) उक्त कमेटी से नकद व सोना कितना प्राप्त हुआ ? व्यक्तिवार विवरण बतलाने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह सही है कि कतिपय सरपंचों (सदस्य) ने अभी तक चंदे की एकत्रित धनराशि जमा नहीं कराई है, व कुछ एक व्यक्तियों ने रसीद बुक भी गायब कर दी है और पैसा हड़प कर गये हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के गड़बड़ व घोटाले के बारे में दिनांक २-१२-६४ व १७-१-६५ को दो पत्र भी जिलाधीश नागौर को दिए गये, जिस पर आज तक कोई जांच व अन्य कार्यवाही नहीं की गई ?

उपमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : [१] जी हां ।

(२) अपेक्षित सूची संलग्न है ।

(३) कुछ सरपंचों से अभी तक सात रसीद बुकें नहीं आई हैं, रसीद की किताबें आने पर सही वस्तुस्थिति का पता चल सकेगा ।

(४) जी हां । इस सिलसिले में एस० डी०ओ०, परबतसर को स्पेशल जांच ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है जिसके द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हनुमानसिंह चौधरी : उन सरपंचों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन से अभी तक रसीद बुकें प्राप्त नहीं हुई हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नाम से क्या मतलब । उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कलेक्टर ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि एस० डी० ओ० को स्पेशल जांच ऑफीसर मुकर्रर किया है । उनको जीप देकर यह काम सुपुर्द किया है कि वह डे टू डे कार्यवाही करके जल्दी इसको निपटायें ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : इन लोगों ने सुरक्षा कोष के लिए जनता से चन्दा किया और उसको गबन कर रहे हैं। चार साल का अर्सा हो गया है और अभी तक रसीद बुकें जमा नहीं हो पाई हैं । तो इतनी ढिलाई क्यों करती रही है सरकार इस मामले में ?

(कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह !

जायल में थाने की स्थापना

७८६. श्री **गंगासिंह** (जायल) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सरकार जिला नागौर में थाना खाटू को वहां से हटा कर जायल ले जाने का सोच रही है,

(२) क्या यह सत्य है कि थाना खाटू, इस थाने के नीचे गांव आते हैं, उस दृष्टि से एक कोने में पड़ता है ?

उपमंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

श्री गंगासिंह : पंचायत समिति का हैडक्वार्टर जायल है, तहसील हैडक्वार्टर जायल है इसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर थाना या चौकी रखने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्या ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : पंचायत समिति भी वहां है, तहसील भी वहां हैं, सड़क भी वहां है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह कोई जवाब हुआ।

श्री **गंगासिंह** : खाटू थाना बिल्कुल कार्नर में पड़ता है, और कॉर्नर में पड़ने के कारण वहां थाने का उपयोग नहीं होता है तो थाने को यहां ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता ?

श्री **अध्यक्ष** : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत !

टूरिज्म के विकास के लिए राशि

७८७. श्रीमती **लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तीसरी पंचवर्षीय योजना में टूरिज्म के लिए कितनी राशि रखी गई थी और कितनी खर्च की गई ?

(२) चौथी योजना में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

(३) चौथी योजना में टूरिज्म के विकास के लिए कौन कौन से नये कदम उठाये जायेंगे ?

(४) क्या टूरिज्म के विकास के लिए कार्पोरेशन बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तीसरी पंचवर्षीय योजना में टूरिज्म के लिए संशोधित योजना के अनुसार २३.३२ लाख रुपये की राशि रखी गई थी। प्रथम चार वर्षों में १३,३६,००० रू० खर्च हो चुके हैं और इस वर्ष में मार्च के अन्त तक ८,००,००० रुपये और व्यय होने का अनुमान है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : साफ कहें, सुनाई नहीं देता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रथम चार वर्षों में १३,३६,००० रु० खर्चा हो चुके हैं और इस वर्ष मार्च के अन्त तक ८,००,००० रुपये और व्यय होने का अनुमान है।

Page No. 31

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) चौथी योजना में डेढ़ करोड़ रुपये का प्रस्ताव है....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कितना डेढ़ करोड़ का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां। किन्तु यह मामला अभी योजना आयोग के विचाराधीन है।

(३) निम्न नये कार्य करने का प्रस्ताव है—

(१) जयपुर, आबूरोड, माउन्टआबू, कोटा, उदयपुर, इत्यादि बड़े नगरों में स्वागत—कक्ष, रिसेप्शन सेन्टर खोलना।

(२) भरतपुर और सरीसका में वातानुकूलित टूरिस्ट रेस्ट हाउस खोलना।

(३) डीग, जोधपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, चित्तोड़गढ, बूंदी में टूरिस्ट डाक बंगले खोलना।

(४) स्टेशन वेगन एवं वातानुकूलित बसें खरीदना।

(५) मध्यम तथा अल्प आय वाले वर्ग के लिए पर्यटन विश्राम गृह खोलना।

(४) टूरिस्ट कार्पोरेशन बनाने का सरकार का विचार नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यदि नहीं है, तो क्यों ? इसका जवाब दे दें जरा। क्यों नहीं है और किन कारणों से उचित नहीं रहेगा कार्पोरेशन बनाना ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी ऐसा सुझाव नहीं आया है कि इसके लिए हम अलग से कारपोरेशन बनायें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस विभाग के लिए कोई क्वालिफाइड डाइरेक्टर नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी योजना है। आप विकास करना चाहते हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रश्न का क्वालिफाइड डाइरेक्टर है या नहीं इससे सम्बन्ध नहीं पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस में क्वालिफाइड डाइरेक्टर नहीं है इसलिए जो धनराशि तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी वह खर्च नहीं हो पाई है और कार्पोरेशन के बारे में सरकार की स्कीम नहीं हो पा रही है और चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रोपोजल नहीं रखे गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह सारी योजना २३.३२ लाख की थी उसमें से २१,३६,००० रुपये खर्च हुए हैं और १०—२०, ३० हजार का फर्क रहा है वह भी बदकिस्मती से इस अर्से में कुछ समय ऐसा आया एक तो चाइना एग्रेशन का इण्डो—पाक कन्फ्लिक्ट का समय आया कि इन दोनों समयों में कई बार ऐसी योजनाओं पर कटौती करनी पड़ी और काम बन्द करना पड़ा। इस वजह से यह मामूली सा शॉर्ट फाल है बाकी जो प्रावधान है संशोधित उसके अनुसार कार्यवाही हुई है।

श्री भैरोंसिंह : चौथी पंच वर्षीय योजना में किसी क्वालिफाइड व्यक्ति को इस विभाग का डाइरेक्टर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डाइरेक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चुना हुआ है और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्वालिफाइड डाइरेक्टर कोई पार्ट नहीं है जो कि उसमें रखा गया हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वर्तमान डाइरेक्टर हैं इस विभाग के वह पब्लिक सर्वीस कमीशन द्वारा इस काम के लिए नहीं चुने हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाल यह था कि थर्ड फाइव यिअर प्लान में क्या एमाउन्ट रखा गया था और उसमें से कितना खर्च हुआ है और आप कर रहे हैं प्रश्न डाइरेक्टर के खिलाफ ।

श्री भैरोंसिंह : हम योजनाबद्ध विकास करना चाहते हैं टूरिज्म का और आपको यह पता नहीं है कि विभाग का डाइरेक्टर क्वालिफाइड है या नहीं ? जिस गवर्नमेंट को यह पता नहीं है कि...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेंट को बहुत सारी बातें मालूम हैं, लेकिन उसका समय आता है तब जवाब दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : वह समय आपकी जानकारी में नहीं है तो क्या जवाब देंगे। प्रश्न साफ है कि चौथी योजना में टूरिज्म विकास के लिए कौन कौन से नये कदम उठाये जायेंगे ? तो इस प्रश्न के अन्दर से निकलता है कि क्या यह सही है टूरिस्ट विभाग में क्वालिफाइड डाइरेक्टर अब तक नहीं है तो इस प्रकार की व्यवस्था चौथी पंचवर्षीय योजना में की जायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कोई प्रावधान चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बिना डाइरेक्टर के यह विभाग चलेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: डाइरेक्टर विभाग चला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यह समझते हैं कि वहां पर डिप्टी डाइरेक्टर या कोई काम कर रहा है। टूरिस्ट विभाग में डाइरेक्टर नहीं है और जो डाइरेक्टर है वह हैड आफ दी डिपार्टमेंट नहीं है। हैड आफ दी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार के जी० ए० डी० विभाग का डिप्टी सेक्रेटरी है जो कि डाइरेक्टर की पोस्ट, हैड आफ दी डिपार्टमेंट के नाते होल्ड करके चल रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सम्बन्ध कैसे नहीं है। अगर क्वालिफाइड नहीं हैं तो विकास कैसे होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य पूरी जानकारी चाहते हैं तो अलग से क्वेश्चन पूछ लें तो उसका अलग से जवाब दिया

Page No. 33

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जायेगा। आपने मोटी मोटी बातें फोर्थ फाइव यिअर प्लान की पूछी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि जो व्यवस्था बताई है उन्होंने विभाग के सम्बन्ध में उससे योजना ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं हो रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा हमारा मानना नहीं है, और व्यक्तिगत तरीके से डाइरेक्टर के खिलाफ जो कुछ आपने कहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है।

श्री भैरोंसिंह : खिलाफ नहीं कहा है। जबरदस्ती आप यह कह रहे हैं। यह आपकी मन्शा मालूम होती है, किन्तु आपने जिस आदमी के हाथ में यह काम दे रखा है वह डिपार्टमेंट का हैड नहीं है। इस कारण से स्कीम जो गवर्नमेंट के पास में जाती है वह मन्जूर नहीं हो पाती है। अभी तक राजस्थान में टूरिज्म का काफी अवसर है जो कि फारेन एक्सचेन्ज अर्न करने वाला एक साधन है उसका उपयोग राजस्थान की हुकूमत आज तक नहीं कर सकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, यह अलग प्रश्न है जो कि सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग प्रश्न करके असली बात से क्यों हट रहे हैं ?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अलग प्रश्न नहीं है। प्रश्न संख्या (३) में लिखा है "चौथी योजना में टूरिज्म के विकास के लिए कौन-कौन से नये कदम उठाये जायेंगे ?" गवर्नमेंट को बताना चाहिये कि टूरिज्म के विकास के लिए क्या डेवलपमेंट कर रही है। विकास से सम्बन्धित यह क्वेश्चन है, और विकास से सम्बन्धित इसलिए हो गया है कि गवर्नमेंट पॉवर्स कन्सेन्ट्रेट कर रही है। माननीय सदस्यों ने पूछा है। आपने होटल का कार्पोरेशन बनाया मोटरों का कार्पोरेशन बनाया तो टूरिज्म का क्यों नहीं बनाया जो कि ज्यादा लाभ देने वाला है। आपने होटलों का कार्पोरेशन बनाया चाहे उससे नुकसान हो। मोटरों का कार्पोरेशन आप बना सकते हैं चाहे उससे नुकसान हो जाय तो गवर्नमेंट क्यों नहीं विचार करती है कि जिससे फारेन एक्सचेंज भी मिल सकता है। ऐसे टूरिस्ट डिपार्टमेंट का हैड अलग हो, इन्डिपेन्डेन्ट हो तो काम अच्छा कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टूरिज्म के अलग हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : इसी प्रकार की बात मैंने कही है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कब से विचाराधीन है ? आपके पास पहले भी सवाल आया था तब भी यही कहा था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार के सामने कुछ महीनों पहले ही यह मसला आया है। और विचाराधीन है बहुत ज्यादा अर्सा इसको नहीं हुआ है। अभी यह तीन-चार महीने से विचाराधीन है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि होटल कोर्पोरेशन बन जाने की वजह से और रोडवेज कार्पोरेशन बन जाने की वजह से जो सेन्ट्रल अनुदान टूरिज्म विभाग को मिलना चाहिये था वह नहीं मिलेगा, टोटल में से कम हो जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है। डाइरेक्टर के बारे में प्रश्न पूछा था होटल कोर्पोरेशन और रोडवेज कोर्पोरेशन बन जाने से क्या असर पड़ेगा, यह पूछते तो उत्तर देता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मेरा प्रश्न स्पष्ट है चौथी योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है ? आपने १ करोड़ ५० लाख की राशि बताई वह इस साल नहीं दी जायेगी टूरिज्म को होटल और बसेज के लिये जो राशि दी जाती थी वह अब नहीं दी जायेगी क्योंकि इन दोनों के अलग कोर्पोरेशन बन गये हैं इसलिये १ करोड़ ५० लाख में से कमी की जायेगी यदि आप टूरिज्म का कोर्पोरेशन नहीं बनायेंगे तो यह राशि नहीं मिलेगी इसलिये मैंने यह पूछा था कि टूरिज्म के विकास के लिये कोर्पोरेशन बनाने का विचार है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये मैंने यह जवाब दिया है कि अभी वह स्टेज नहीं आई है। दूसरे कोर्पोरेशन बनाये हैं उनके वर्किंग को देख रहे हैं। इसलिये अभी वह स्थिति नहीं है कि इसका अलग से कोर्पोरेशन बनाया जाय। जब समय आयगा तब विचार किया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि जो कोर्पोरेशन बनाये गये हैं वे नाकामयाब रहे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी हिन्दुस्तान में दूसरे स्टेट्स में भी टूरिज्म के कोर्पोरेशन नहीं बने हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : टूरिज्म के कोर्पोरेशन दूसरी जगह बन गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय !

(स्थगित प्रश्न ७-४-६६)

रायसिंहनगर में नाजायज कब्जा

६३६. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरदार निरंजनसिंह नाम के व्यक्ति ने रायसिंहनगर नगरपालिका की काफी जमीन पर कई वर्षों से बस स्टेण्ड के नाम से नाजायज कब्जा कर रखा है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीन का ५०००) रुपया वार्षिक लीज-मनी रायसिंहनगर के तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा तय करके सरकार की मंजूरी मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि इस रूप से हजारों रुपयों की राशि निरंजनसिंह के जुम्मे बकाया है ?

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय)

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त निरंजनसिंह आजकल नगरपालिका रायसिंह-नगर का अध्यक्ष है तथा अध्यक्ष बनने के उपरान्त उसने उपरोक्त स्थान पर और अधिक भूमि पर नाजायज निर्माण किया है ?

(५) क्या यह सही है कि २१ जुलाई, १९६५ के कलेक्टर गंगानगर जब रायसिंह नगर में मौजूद थे तो नगरपालिका के कुछ सदस्यों एवं रायसिंहनगर के नागरिकों ने उन्हें लिखित में शिकायत की थी, मौका देखने को कहा था ?

(६) यदि हां, तो क्या यह सही है कि कलेक्टर गंगानगर ने मौका देखने से साफ इन्कार कर दिया था जब कि मौके पर नाजायज निर्माण कार्य चल रहा था तथा स्थान भी कलेक्टर के निवास स्थान से बिल्कुल पास था ?

उप-मन्त्री, स्वायत शासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां । श्री निरंजनसिंह अब नगरपालिका के अध्यक्ष नहीं हैं ।

(५) जिलाधीश की सूचना अनुसार जिलाधीश गंगानगर के कार्यालय में यह सूचना प्राप्त नहीं है ?

(६) प्रश्न के क्रम ५ के उत्तर के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो रकम बाकी थी उसमें से कोई वसूली हुई है या नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : वसूली नहीं हुई । गवर्नमेंट ने एक खत म्युनिसिपल चेयरमैन को लिखा है, एक खत कलेक्टर को लिखा है और एक खत एस० डी० ओ० को लिखा है कि इसकी वसूली की जाय ।

श्री भैरोंसिंह : जिस जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है वह नगरपालिका की है या रेवेन्यू विभाग की है ?

श्री बरकतुल्ला खां : वह जमीन नजूल की मानते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मानने का प्रश्न नहीं है, जमीन किसकी है ?

श्री बरकतुल्ला खां : नगरपालिका की ।

श्री भैरोंसिंह : नगरपालिका की जमीन पर जिसने अनधिकृत कब्जा कर लिया है, एन्क्रोचमेंट कर लिया है उसको हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार ने यह किया कि जब इस बाबत शिकायत आई तब एल० एस० जी० के मिनिस्टर साहब ने उनको सुना और कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी । कलेक्टर ने रिपोर्ट दी कि उस जमीन पर ४० हजार रु० का का कंस्ट्रक्शन उस जमीन पर हो चुका है इसलिए उसको तुड़वाने से नेशनल वेस्ट होगा इसलिए यह आदेश दिया गया कि

Page No. 36

(श्री बरकतुल्ला खां)

६६ साल के लीज पर दे दी जाय और उसका किराया क्या हो उसके लिए सरकार निरंजनसिंह और एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल बोर्ड रायसिंहनगर को बुला कर फैसला करे। एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपिल बोर्ड रायसिंहनगर ने अपनी रिकमन्डेशन में यह कहा कि इसका किराया ६१००) रु० सालाना होना चाहिये लेकिन ५०००) रु. सालाना तय कर लिया जाय तो ठीक रहेगा। इस पर निरंजनसिंह ने कहा कि यह किराया बहुत ज्यादा है। इस पर गवर्नमेंट ने फाइनल निर्णय यह लिया कि ५०००) रु० किराया उचित है और उससे वसूल करना चाहिए। इसके अलावा शिकायत आई कि उसने मकान बना लिया है, इस पर गवर्नमेंट ने नगरपालिका, कलेक्टर और एस० डी० ओ० को लिखा कि शर्तें पूरी कराई जायं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात का एसेसमेन्ट किया है कि यदि उस जमीन के प्लॉट बना कर बेचे जाते तो कितनी इन्कम होती? जो किराया तय किया है उससे अधिक इन्कम होती या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेन्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर नगरपालिका को पूछा कि आस-पास की जमीन की कीमत के हिसाब से बतावें कि क्या जमीन की क्या कीमत है और उस हिसाब से कितना किराया होना चाहिये। इस पर निरंजनसिंह ने कहा कि किराया ज्यादा लगाया गया है क्योंकि आसपास की जमीन सस्ती कीमत पर बेची गई है। इस पर पूछा गया तो कहा कि जो किराया लगाया गया है वह आस-पास की जमीन की कीमत को देख कर लगाया गया है और वह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : जिस जमीन का वेल्युएशन नहीं किया गया यदि सरदार निरंजन सिंह उस पर अधिकार नहीं करता और सरकार जमीन बेचती तो कितनी इन्कम होती ?

श्री बरकतुल्ला खां : कुल जमीन का रकबा ६५६२ स्क्वायर फीट है और उसका सालाना किराया ५०००) रु. म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरों का पूछ कर तय किया है।

श्री भैरोंसिंह : किराया तय करने के लिये उस जमीन का वेल्युएशन एसेस करना चाहिये था लेकिन वेल्युएशन एसेस नहीं हुआ तो फिर किस आधार पर किराया तय किया गया ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन ५००० भी वसूल नहीं हो रहे हैं मुश्किल तो यह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ५०००) रेन्ट फिक्स आपने किया वह किस बेसिस पर किया ?

श्री बरकतुल्ला खां : इसको म्युनिसिपल बोर्ड ने भी माना है।

श्री भैरोंसिंह : मानने का सवाल नहीं है। क्वश्चन यह है कि किस बेसिस पर माना ? वेल्युएशन किया था, आस-पास की साइट के आधार पर वेल्युएशन किया था या नहीं ? इसके बिना कैसे निर्धारित किया कि इतनी लीज ली जाय ?

श्री बरकतुल्ला खां : आस-पास जितनी जमीन थी उसका सर्वे करके, सेल प्राइस के बारे में डिस्कशन करके इस नतीजे पर पहुंचे, जो आस-पास की जमीन बेची गई है उसको देख कर यह तय किया कि ५०००) सालाना किराया ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार नीति के रूप में इसको ठीक मानती है कि जो अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा करके ४० हजार रु. का कंस्ट्रक्शन करवाले तो उसको डिमोलिश नहीं करें क्योंकि इसमें नेशनल वेस्ट होता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसी कोई गवर्नमेंट की नीति नहीं है। इसमें परिस्थितियों का सवाल आया था, कलेक्टर ने रिकमन्ड किया था।

श्री भैरोंसिंह : जो कंसेशन सरदार निरंजनसिंह को दिया गया उसी प्रकार का कंसेशन दूसरों को भी देने की सरकार की नीति है ?

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसी कोई नीति नहीं है। इसमें म्युनिसिपल बोर्ड ने कहा कि कन्स्ट्रक्शन बनाया है वह तोड़ दिया जाय म्युनिसिपल एक्ट के नीचे उसने कलेक्टर के पास रिप्रेजेन्ट किया कि इस सम्बन्ध में म्युनिसिपल बोर्ड ने जो प्रस्ताव पास किया है उसको रद्द किया जाय। कलेक्टर ने उस प्रस्ताव को स्टे किया और मामला गवर्नमेन्ट के पास भेजा और यह रिकमन्ड किया कि मैं इसलिये रिकमन्ड कर रहा हूं कि इतनी कीमत की बील्डिंग बन गई है उसको तुड़वाना मुनासिब नहीं होगा। उसके बाद मंत्री महोदय ने दोनों पार्टीज-म्युनिसिपेलिटी और निरंजनसिंह को सुना और सुनने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इस जमीन का क्या किराया होगा वह एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल बोर्ड (क्योंकि बोर्ड खत्म हो गया था) और सरदार निरंजनसिंह दोनों बैठ कर तय कर लें। दोनों में डिफरेन्स ग्रोफ ओपीनियन था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने जो किराया तय किया था वह निरंजनसिंह को एक्सेप्टेबल नहीं था इस पर कलेक्टर की राय मांगी गई। गवर्नमेंन्ट ने उसको एग्री किया और मंत्री महोदय ने फैसला दिया कि ५०००) सालाना लीज पर दे दी जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ५०००) रु. सालाना लीज का जो एग्रीमेन्ट था उसका उसने पालन नहीं किया इसलिये यह राइट सरकार के हाथ में दे दिया कि सरकार चाहे तो उसको तुड़वा दे ?

श्री बरकतुल्ला खां जी हां, सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड को लिखा है कि धारा २०३ के नीचे कार्यवाही की जाय। इसका मतलब यह है कि तुड़वाने की कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिये कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और एस. डी. ओ. तीनों को लिख दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस समय एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो सरकार का आदेश मौजूद है उसके अनुसार मकान को नहीं तुड़वा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक मेरी जानकारी है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन है ?

Page No. 38

श्री रामप्रसाद लड्ढा : म्यूनिसिपल बोर्ड काम कर रहा है।

श्री भैरोंसिह : क्या आप यह समझते हैं कि म्यूनिसिपल बोर्ड आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहा है ? जब आपने आदेश दे दिया है कि मकान के मालिक ने एग्रीमेंट का ब्रीच किया है इसलिए उसका मकान तुड़वाया जाय तो फिर क्यों नहीं तुड़वाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कहा कि २०३ के तहत कार्यवाही की जायगी जिसमें मकान तुड़वाना भी शामिल है।

श्री भैरोंसिह : वह ठीक है, लेकिन सरकार ने जब आदेश दे दिया कि मकान तुड़वा दिया जाय तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें अफसोस की बात यह है कि इस जयपुर शहर में जब कोई किसी खुद की जमीन पर मकान बनवा लेता है तो उसको इस बिना पर तुड़वा देती है कि आपने छज्जा ज्यादा निकाल लिया है, आपने बालकनी ज्यादा निकाल ली है। ऐसे मामलों में खुद गवर्नमेंट इन्ट्रेस्ट लेकर और खुद गवर्नमेंट की कोस्ट पर को मकान तुड़वा देती है। जैसा कि मैंने इस सदन में बताया था कि 'सी स्कीम' में लीला जैन के मकान के बारे में सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ती है, एक बार सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और फिर दुबारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ती है। एक इन्डीविजूअल केस के अन्दर गवर्नमेंट खुद अपनी कोस्ट पर इन्डीविजूअल पार्टी के खिलाफ केस लड़ती है, दूसरी तरफ नगरपालिका की जमीन पर, नजूल लैण्ड पर नगरपालिका का चेअरमैन अनधिकृत रूप से कब्जा कर ले, उस पर मकान बनवा ले तो सरकार न तो उससे पैसा वसूल कर सकती है और न उसके मकान को तुड़वा सकती है। यह कौनसी नीति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार ने इस सम्बन्ध में बहुत इन्स्ट्रक्शन भेजे हैं, चेअरमैन को, कलेक्टर को और एस. डी. ओ. को भी।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : उनकी तामील क्यों नहीं होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाय।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय मकान बन रहा था उस समय शिकायत की गई कि मकान बन रहा है, बिना अधिकार के मकान बन रहा है। कलेक्टर रायसिंहनगर और एस. डी. ओ. रायसिंहनगर दोनों वहां मौजूद थे, उन दोनों को कहा गया कि जबर्दस्ती यह अनधिकृत रूप से मकान बना रहा है। इसको रोका जाय। उसके बाद में भी कुछ नहीं किया गया। लेकिन जब नगरपालिका ने उसको रोका तो कलेक्टर ने नगरपालिका के आदेश के ऊपर स्टे करके सरकार के पास कागजात भेज दिये। सरकार के पास वह कागजात पड़े रहे और उधर वह मकान बनवा लिया गया। उसके बाद में वह अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए लीजमनी भी नहीं दे रहा है और उसने जबर्दस्ती उस जमीन पर कब्जा कर लिया है, और

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार उसको तुड़वा भी नहीं रही है। तो सरदार निरंजनसिंह के साथ में यह पक्षपात क्यों कर रही है सरकार ?

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल !

स्थगित प्रश्न

(७-४-६६)

जैतारण व रायपुर तहसील में शक्कर व गेहूँ की वितरण व्यवस्था

६३८. **श्री मांगीलाल रिणवा** (रायपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या सरकार जैतारण व रायपुर तहसील में शक्कर व गेहूं के कोटे का वितरण तहसीलदार द्वारा कराये जाने को प्रश्न पर विचार कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य में उक्त वस्तुओं के वितरण का कार्य कहीं तहसीलदार को और कहीं पंचायत समिति को सुपुर्द किया हुआ है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उप-मन्त्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जैतारण व रायपुर तहसील में शक्कर व गेहूं का वितरण तहसीलदार द्वारा ही किया जाता है अतः विचार करने का प्रश्न ही पैदा ही नहीं होता।

(२) साधारणतया चीनी व गेहूँ के वितरण की व्यवस्था तहसील स्तर पर तहसीलदार द्वारा व अन्य स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा ही की जाती है। परन्तु कुछ स्थानों पर जिलाधीशों ने अपने जिले की परिस्थिति को देखते हुए उक्त कार्य नगरपालिका व पंचायत समिति द्वारा भी कराया है, जैसे कोटा जिले में छबड़ा और शाहाबाद, नागौर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियों द्वारा उक्त वस्तुओं के वितरण का कार्य किया जा रहा है। बांसवाड़ा में स्पेशल कोटे की शक्कर प्रशासक नगरपालिका टोंक व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान तथा विकास अधिकारियों द्वारा जनता में वितरण कराई जा रही है। बाकी सभी स्थानों पर शक्कर व गेहूँ का वितरण तहसील के तहसीलदार द्वारा की जाती है।

श्री मांगीलाल रिणवा : कलेक्टर ने अपने निर्णय के अनुसार पंचायत समिति को वितरण करने के लिए पॉवर दे रखी है ?

खाद्य मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह कलेक्टर को छूट है, वैसे आम तौर पर तहसीलदार करता है लेकिन कलेक्टर अपनी परिस्थिति को देख कर सोचता है कि पर्टीक्यूलर एजेंसी ठीक है तो वह दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

स्थगित प्रश्न

(२४-३-६६)

आयातित कारें

४६८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(१) क्या यह सही है कि केन्द्रीय स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन से राजस्थान राज्य को इम्पोर्टेड कारें दी गई ?

(२) यदि हां, तो कितनी कारें दी गई और उन कारों के उपयोग करने की शर्तें क्या थीं ?

(३) क्या यह सही है कि इस शर्त पर ये कारें दी गई थीं कि इनका उपयोग टूरिज्म के लिये किया जायेगा ?

(४) इन कारों में से कितनी कारों का उपयोग टूरिज्म के लिये किया गया और कितनी मंत्रीगणों की सवारी में काम आ रही हैं ?

(५) यदि मंत्रियों की सवारी के लिये काम में ली गई तो किस रूल के तहत ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) कुल १५ कारें दी गई । इस शर्त पर कि उनमें से ९ गाड़ियां स्टाफ कार के कार्य ने उपयोग की जावेंगी शेष ६ गाड़ियां टूरिस्टों के उपयोग में आयेंगी ।

(३) केवल ६ गाड़ियां टूरिज्म के उपयोग के लिये दी गई थीं जैसा कि अभी कहा गया है ।

(४) इनमें से ६ गाड़ियां टूरिज्म के उपयोग में आ रही हैं और शेष ९ गाड़ियां मंत्रीगण, वी. आई. पीज. के कार्य में आती हैं ।

(५) स्टाफ कार्य के लिये खरीदी गई ९ गाड़ियां मंत्रीगण एवं अन्य सब अधिकारियों के लिये काम में ली जाती हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जो गाड़ियां टूरिस्ट के लिए दी गई हैं वह गाड़ियां मंत्रियों और वी.आई.पीज. के काम में आती हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है कि जब टूरिस्ट के उपयोग के लिए उनकी आवश्यकता नहीं होती अथवा जिस वक्त तात्कालिक डिमाण्ड नहीं होती है उस वक्त वी. आई पीज. के लिए आवश्यकता हो और दूसरी गाड़ियां अवेलेबल नहीं हो तो ऐसे मौके पर काम में आती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार जो गाड़ियों के वी.आई.पीज. और मंत्रियों के उपयोग में लाने में खर्चा होता है और जो टूरिस्ट गाड़ियों से आमदनी होती है उसको किस खाते में डेबिट करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बजट हैड दोनों का एक ही है । स्टेट गैराज एण्ड ओटोमोबाइल्स डिपार्टमेंट–मेंटीनेंस एण्ड रिपेयर्स टू गेरेज वेहिकल्स २६ मिसलेनिअस डिपार्टमेंट यह बजट हैड है, इन दोनों का एक हैड है । इसकी रेट्स में डिफरेन्स है, टूरिस्ट की गाड़ियां हैं, जो टूरिस्ट को देते हैं वह ७५ नये पैसे पर–माइल की रेट से दी जाती हैं और वी.आई.पीज. को दी जाती हैं वह ५० नये पैसे पर–माईल के हिसाब से दी जाती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि दोनों का खाता एक है, उस आधार पर क्या सर-

(श्री भैरोंसिह)

कार यह नहीं बता सकती कि टूरिज्म पर्पज के लिए जो गाड़ियां दी गई हैं वह प्राफिट में रन कर रही हैं या लास में रन कर रही हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में माननीय सदस्य को भ्रांति है। स्टेट गैराज है उसमें गाड़ियां खरीदीं और उनमें से ६ गाड़ियां इस पर्पज के लिए खरीदीं क्योंकि कीमत में कुछ कन्सेशन होता है, इसलिए इस पर्पज के लिए खरीदीं कि इन गाड़ियों को टूरिज्म के लिए काम में लेंगे, और ६ गाड़ियां स्टाफ कार के रूप में काम में लेंगे। स्टेट गैराज और फॉर पर्पजेज़ आफ टूरिज्म जो है, उनका हैड एक है। और इसके अन्दर टूरिस्ट डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है—ऐसा सवाल नहीं है, जो आगे चल कर मैं बताना चाहता हूं। यह एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट और टूरिस्ट के उपयोग के लिए हमने छ: गाड़ियों की सीमा रखी है, लेकिन कई समय ऐसा होता है कि छ: गाड़ियों के अलावा हमें आठ दस गाड़ियां एक्स्ट्रा गैराज से देनी पड़ती हैं और उन गाड़ियों को टूरिस्ट के काम में लेते हैं। ऐसा रिकार्ड अब तक बताता है कि हजारों मील इन छ: गाड़ियों के अलावा दूसरी गाड़ियां गैराज की हैं, वह टूरिस्ट के काम में आई हैं क्योंकि टूरिस्ट अधिक थे और छ: गाड़ियों से अधिक की आवश्यकता थी। यह एक रेसीप्रोकल बात है। और इसमें एक भी ऐसी शिकायत नहीं है कि टूरिस्ट के उपयोग के लिए किसी गाड़ी की ज़रूरत रही हो और वह नहीं दी गई है और वह गाड़ी किसी वी. आई. पी. वगैरह को दी गई हो।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि टूरिस्ट पर्पज के लिए दी हुई गाड़ी लगातार उदयपुर में तीन महीने तक रही और उस गाड़ी की फैसेलिटी टूरिस्ट को नहीं दी ?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : उदयपुर में एक है और पर्मानेन्टली टूरिस्ट के लिए है।

श्री भैरोंसिह : वह टूरिस्ट के लिए आपने दे रखी है और अब उसका उपयोग इस काम के लिए हो रहा है। लेकिन आज से चार महीने पहले लगातार तीन महीने तक उस गाड़ी का प्रयोग टूरिस्ट के लिए नहीं हुआ और वी. आई. पी. और मंत्रियों के लिए हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : ऐसी गाड़ी का क्या नम्बर था, तो मैं मालूम करूं कि ऐसी कौनसी गाड़ी छः गाड़ियों में से है जिसकी टूरिस्ट के उपयोग के लिए आवश्यकता होते हुए भी किसी वी. आई. पी. या किसी दूसरे के काम में आई।

श्री भैरोंसिह : वह वही गाड़ी है जिसमें जब आप और मुख्य मंत्री जी उदयपुर पधारते हैं तो बैठ कर तशरीफ ले जाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : नम्बर बतायें।

श्री भैरोंसिह : नम्बर आपको ही मालूम नहीं है तो मुझे कहां से मालूम होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : बैठने वालों का नम्बर तो दस है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) मैं निवेदन कर दूं कि मैं किसी टूरिस्ट गाड़ी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में उदयपुर नहीं जाता हूँ। वह गाड़ी अलग है।

श्री भैरोंसिंह : जाते नहीं, यह कह कर आप टि्वस्ट कर रहे हैं, आप जाने के बाद उसमें बैठते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टूरिस्ट की तो बड़ी है, वह नहीं आती है। एक छोटी एम्बेसेडर आती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत हो गया !

श्री अध्यक्ष : श्री छत्रसिंह !

श्री मथुरादास माथुर : मिस फायर हो गया !

स्थगित प्रश्न

(६-४-६६)

जालोर का डाक बंगला

६७७. **श्री छत्रसिंह** (आहोर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि जालोर डाक बंगले को कलेक्टर के रेजिडेन्स में बदल दिया गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उस डाक बंगले में सरकार ने काफी धन खर्च करके सात बैड रूम्स का निर्माण किया था ?

(३) क्या यह भी सही है कि कलेक्टर के जिस बंगले को डाक बंगले में परिवर्तित किया है उसमें सिर्फ दो ही बैड रूम्स हैं और दूसरे कलेक्टर्स भी उसी बंगले में रहते आये हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि नये डाक बंगले में स्थान अपर्याप्त होने से अधिकारियों और दूसरे लोगों को ठहरने की बड़ी दिक्कत हो रही है ? यदि हां तो उसको कलेक्टर के रेजिडेन्स में बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

(५) क्या सरकार इस डाक बंगले को कलेक्टर से खाली करवाने का इरादा रखती है ?

(६) अगर हां, तो कब तक ?

(७) अगर नहीं, तो सरकार दूसरे लोगों के ठहरने का क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा).

(१) जी हां।

(२) उस बंगले को डाक बंगले में परिवर्तित करने के पश्चात् ६ कमरे मय बाथरूम के बनवाये गये थे।

(३) (क) मौजूदा डाक बंगले में ४ कमरे हैं जिसमें से एक कमरा ड्राइंग रूम है और दूसरा डाईनिंग रूम है तथा दो कमरों में अतिथि ठहरते हैं।

(ख) जी हां, जिलाधीश पहिले इसी बंगले में रहते थे।

(४) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

(७) यदि आवश्यकता हुई तो इसी डाक बंगले में और कमरे बनवाने का सरकार विचार करेगी।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या यह सही है कि जो डाक बंगला....

(श्री छत्रसिंह भी साथ बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री छत्रसिंह! जो प्रश्न पूछने वाला है उसको पहले चान्स दिया जावे।

श्री छत्रसिंह : डाक बंगले को कलेक्टर के रेजिडेंशियल पर्पज के लिए बदलने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका कारण यह है कि इसमें जो परिवर्तन हुआ वह पहले से रेजिडेन्शियल एरिया में है और कलेक्टर जिस मकान में रहते थे वह जैसा कि 'ए' क्लास के अधिकारियों को देते हैं वैसा नहीं था जिसमें वे रह रहे थे। इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। इस पर सन् ६६ की जनवरी में उनको बदलने के लिए कहा गया।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : जो डाक बंगला था उसमें ६ बैड रूम्स में तरमीमात किये गये थे उसमें आपका कितना रुपया खर्च हुआ और वह जो खर्चा हुआ वह सब कलेक्टर साहब को इस प्रकार की सुविधा देने के ही कारण हुआ है या और कोई कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नहीं है कि कलेक्टर को सुविधा देने के लिए खर्च हुआ हो। हर साल प्लानिंग में खर्च होता है उसके अनुसार कभी १० हजार तो कभी ८ हजार खर्च हुआ है और वह ठीक किया गया। मेरा यह निवेदन करना है माननीय सदस्य को कि अभी डाक बंगला बनाया है उसमें आवश्यकतानुसार उसको सुधार दिया जावेगा और बहुत प्रेशर नहीं होने की वजह से उनको बदलने के लिए इजाजत दी गई। अगर ऐसा बहुत ही प्रेशर होगा और आवश्यकता हुई तो स्थान इधर से उधर भी हो सकते हैं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : आपने कलेक्टर साहब को सुविधा देने के लिऐ ही ये ६ कमरे बनाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कलेक्टर साहब के लिए नहीं बनाये गये।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : पहले से ६ कमरे बनाये और सेनिटरी फिटिंग कराया गया। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सारे कलेक्टर उसी मकान में रहते थे जिसमें कलेक्टर रहते थे। अगर उसको इम्पूर्व करा दें तो सारे कलेक्टर उसमें रहते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो जिस वक्त वह डाक बंगला था उस समय में उस पर पिछले कई वर्षों से जैसा मैंने आपको बताया शनैः शनैः पैसा लगता रहा और दुरुस्त होता रहा। जरूरत होगी तो उसमें भी करना पड़ेगा। वहां भी उस बिल्डिंग का उपयोग हो रहा है और आगे जाकर कुछ पैसा लगाना पड़े तो वह वेस्ट नहीं होगा।

Page No. 44

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आज जो डाक बंगला है और प्रेशर ज्यादा हो तो वापिस यह डाक बंगला आ जावे और कलेक्टर डाक बंगले से वापिस आ जायें। सो मैं समझता हूँ कि ऐसी कौनसी दिक्कत हो रही है। अगर उनको आने जाने की दिक्कत हो तो समझ में आ सकती है।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : आप यह बता दें कि आप उनको वापिस डाक बंगले में तरमीम क्या कर देगें? इतने अर्से तक कलेक्टर जो पहले जिस जगह पर रहते थे उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई और इन्हीं कलेक्टर महोदय को यह असुविधा हुई जिसके लिए आपने ६ कमरे डाक बंगले में बनाये। अब आप कहते हैं कि वे फिर बदलेंगे और वह डाक बंगले के काम आएंगे

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा आपने सुना नहीं कि अगर बाहर से आने वालों की संख्या अधिक होगी और उसके लिए जरूरत होगी तो इधर से उधर हो सकते हैं। इसमें कौनसी दिक्कत हो रही है।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कोई निश्चित धनराशि निर्धारित की है कि कलेक्टर के रहने के लिए इतनी राशि का भवन होना आवश्यक है जो पहले मकान में नहीं थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले वाला मकान था उसमें डाईनिंग रूम नहीं था।

श्री अध्यक्ष : आपने कोई राशि निर्धारित की है?

श्री भैरोंसिंह : आपने राशि निर्धारित की है? क्या वह एक लाख का बंगला नहीं है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें कोई राशि निर्धारित करने का प्रश्न नहीं। आज 'ए' क्लास का बंगला....

श्री अध्यक्ष : अगर वह कम पड़ता था तो उसको बदलवाएं और वहां पर ६-७ बैड्स हों और दूसरे लोग उपयोग करते हों, वहां पर लाएं। क्या इसके लिए आपने सरकार से सारी बातें की और सोचा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनकी चिट्ठी आई थी।

श्री अध्यक्ष : आपके पास कब चिट्ठी आई और आपने कब इजाजत दी?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): वर्तमान कलेक्टर रामचन्द्र जी उनके लिए क्या आपने सरकार से अनुमति ले ली? और ली, तो कब?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९६६ के अव्वल माह में ली और बाद में वे वहां आये। जैसी मेरी सूचना है।

श्री भैरोंसिंह : जब एडिशन एण्ड ऑल्ट्रेशन आदि के लिए कार्यवाही की तब क्या सबस्टेन्शियल रकम खर्च करने की अनुमति प्राप्त की?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आल्ट्रेशन करने या सब्सटेन्शियल रकम खर्च, मैं समझता हूं कि नहीं हुई और न मेरी जानकारी में है।

श्री छत्रसिंह : इस डाक बंगले में कलेक्टर के आने के बाद वहां पर जो गरीब आदमी रहते थे उनको भी मकान छोड़ना पड़ रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : I will examine the question and take necessary action.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : प्रश्न इन्क्वायरी का नहीं है। ६ बड़े बड़े कमरे बनाये, यह कहां तक वाजिब है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : I think the hon. Member should understand me.

श्री **अध्यक्ष** Next श्री तेजाराम गहलोत ?

(स्थगित प्रश्न)

(१३-४-६६)

आबकारी विभाग का कर विभाग से से पृथक्करण

७४४. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के आबकारी विभाग को कर विभाग से किस तारीख को पृथक किया गया ?

(२) इस पृथक्करण से राज्य सरकार का वार्षिक खर्च कितना बढ़ा ?

(३) इस पृथक्करण के कारण] अब तक किस श्रेणी के कितने अधिकारी कर विभाग में बढ़ाये गए हैं और कितने बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है ?

(४) वर्ष १९६० से इन विभागों के पृथक्करण तक की अवधि में कर विभाग द्वारा बकाया रकमों की किस प्रतिशतता तक वसूली हुई थी और पृथक्करण के पश्चात् यह प्रतिशतता क्या रही है ?

उप-**मन्त्री, वित्त** (श्री परसराम मदेरणा):

(१) दिनांक १. ७. ६४. से।

(२) रु० ५१, ६००)। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अधिकारी बढ़ाये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(४) पृथक्करण के पूर्व :

६०-६१	२९.३ प्रतिशत
६१-६२	२८.६ प्रतिशत
६२-६३	३१.३ प्रतिशत
६३-६४	३०.३ प्रतिशत

पृथक्करण के पश्चात्

३५.९ प्रतिशत।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : दोनों विभाग के सेपरेशन के वक्त क्या रेवेन्यू थी और आज क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा: सेपरेशन के वक्त दोनों ही विभाग कम्बाइन्ड थे उस समय रेवेन्यू १७ करोड़ ३२ लाख ७२ हजार थी। ६३-

(श्री परसराम मदेरणा)

६४ में अब, अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल डेफिनेट तो नहीं कह सकता कि क्या फिगर्स हैं लेकिन यह अप्राक्जीमेटली कह सकता हूँ कि यह २५ करोड़ के आस-पास है ।

श्री तेजाराम गहलोत : सेपरेशन के वक्त क्या रेवेन्यू थी और आज क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यही तो स्टेट-मेंट दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : पर्सेन्टेज ऑफ एक्सपेन्डीचर पहले ३.५ था जब कोमर्शियल टैक्सेज डिपार्टमेंट का खर्चा २.५ पर्सेन्ट और एक्साइज की जानकारी नहीं ।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने पृथक्क-करण के बाद में रिकवर की उसकी बताई वह कितने वर्षों की बकाया की है और वह रकम क्यों बकाया रही और आपने ५.६ बताया वह किस प्रकार है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो फिगर बताये हैं वे ६४-६५ के हैं । लैटेस्ट फिगर्स कलेक्ट नहीं हो सके हैं । अभी जो अन्दाज है कि वह ६५ लाख के आस-पास आवेगा ।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि एरियर्स की रिक-वरी में इम्प्रूवमेंट हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो फिगर्स दिये हैं वे एक्चुअल फिगर्स नहीं हैं । कुछ इसमें ज्यादा हैं । कॉमर्शियल टैक्सेज आर० पी० जी० टी० और सेल्स टैक्स आदि के लागू होने से राजस्थान सरकार की ४५ करोड़ के आस-पास आमदनी हुई है और बाकी ब्याज की ६०-६५ लाख के आस-पास है । कुल टोटल के दो पर्सेन्ट है इस लिए बकाया रह जाती है और वसूल नहीं होती कि कोई हाई कोर्ट में चले जाते हैं और वहां से स्टे ले आते हैं और एरियर्स रह जाते हैं और खास तौर से R.P.G.T. को तहत में हाई कोर्ट के स्टे की वजह से ६४-६५ में एरियर ज्यादा रहे ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

माइन्स चैक पोस्ट कुरगांव पर वसूल की जाने वाली राशि

७६७. श्री **गोपीलाल गोठवाल** (फागी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि माइन्स चैक पोस्ट कुरगांव, तहसील करौली, जि० सवाई माधोपुर के कर्मचारी प्रति ट्रक ३) रु० (तीन रु०) या इससे भी अधिक धनराशि नाजायज तौर पर वसूल करते हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उनकी इस तरह के वातावरण से ट्रक यूनियन गंगापुर व करौली के सारे ट्रक वाले आम जनता उनके इस व्यवहार से अत्यन्त नाखुश है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इंजि-नियर माइन्स सवाई माधोपुर को शिकायत पहुंचाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करते ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

३. जी नहीं।

पंचायत समिति कामां और नगर के ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था

७७०. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कामां और नगर में ग्राम पंचायत खोहरी, ककराला, गुलपाड़ा, जलालपुर, पापड़ा, घोलेट, ओलन्द, बिलोन्द, सुवलाना, बड़ौलीघाऊ, छिछरवाड़ी, नौगावां, बिलंग, गठग्रजान सतवाडी, मातूकी तथा बोलखेड़ा की भूमि भूड बारानी है और वहां पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है जिनमें पानी बहुत गहरा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्रों में कोई भी सिंचाई की नहर की योजना नहीं है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पानी का टैस्ट कराने और सिंचाई के साधनों के लिए विशेष ऋण की रकम अलाट करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. इस विभाग को इस की जानकारी नहीं है।

२. जी नहीं, उक्त क्षेत्र में भुरका ग्राम गुलपाड़ा के पास, छिछरवाड़ी बांध ग्राम छिछरवाड़ी के पास, बिलोग बांध ग्राम बिलोग के पास ककराला बांध ग्राम ककराला के पास पुराने बने कुए हैं जिससे क्रमशः लगभग २०००, ६००, ३०, १०००, व ६०० एकड़ भूमि में सिंचाई होती है।

३. सिंचाई विभाग से यह सम्बन्धित नहीं है कारण यह विभाग सिंचाई कार्यों के लिए कोई ऋण आदि अलाट नहीं करता।

खेड़ली मण्डी से चने का निर्यात

७७२. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़):— क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जनवरी, १६५५ से अब तक खेड़ली मण्डी अलवर से कितने व्यापारियों को कितने चने का निर्यात करने के परमिट दिये गये हैं और उनके स्टॉक रजिस्टर के अनुसार उनके पास कितना कितना चना था ? उक्त मण्डी से उक्त अवधि में कितना चना सरकार के पास जमा हुआ ?

उत्तर

वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रामगंज मण्डी तहसील को पत्थर की खानों से रॉयल्टी

७७३. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री जुझारसिंह)

(१) राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी के रूप में रामगंज मण्डी तहसील की कच्चे व पक्के पत्थरों की खानों से कितनी रकम सालाना वसूल की जाती रही है और पिछले पांच सालों में रायल्टी व एक्सेस रॉयल्टी से कितनी धनराशि इस तहसील से प्राप्त की गई है ?

(२) सरकार द्वारा खानों तक सड़कें बनाने व यातायात के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं और सरकार द्वारा कितनी धन-राशि उपलब्ध कराई गई है ?

(३) क्या सरकार रामगंज मण्डी–झालावाड़ मेनरोड़ से कुम्भकोट जुलमी व दरा–झालावाड़ रोड़ से खीमच कूकड़ा व अन्य खनिज स्थानों तक सड़कें बनाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) ३।। मील लम्बी सड़क ४६/७ मील से लोहारिया की ढाणी तक बनाई गई है । इस सड़क पर कुल रु० ४४३००/ व्यय हुआ ।

(३) चतुर्थ योजना में वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में सड़कें बनाने की योजना पर विचार किया जायगा ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

गांव सुन्दरपुरा से चोरी के सम्बन्ध में कार्यवाही

७८०. **महराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गांव सुन्दरपुरा (करौली सब-डिवीजन) में जो २५-६-६३ को चोरी हुई थी उसमें सी. आई. डी. द्वारा पूरी जांच और तफतीश के उपरान्त अभी तक किस कारण से प्रोसीक्यूशन नहीं हुआ ?

उत्तर

ग्राम सुन्दरपुरा में तारीख २५-६-६३ को कोई चोरी नहीं हुई बल्कि ता०२५-९-६३ को एक चोरी अवश्य हुई थी । जिस चोरी की तफतीश सी. आई. डी. द्वारा की जा रही है और मुकद्दमा जेर तफतीश है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मन्त्रियों को चिकित्सा भत्ता

१५५. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्यों व उप-मन्त्रियों ने जनवरी सन् १९६५ से दिसम्बर सन् १९६५ तक कितना मेडिकल एलाउन्स लिया ?

उत्तर

मेडिकल अलाउन्स जैसी रकम मन्त्रियों को नहीं दी जाती । परन्तु मन्त्रिमण्डल के सदस्यों व उप-मन्त्रियों को जनवरी से दिसम्बर, १९६५, तक नियमानुसार

(मुख्य मंत्री)

चिकित्सा व्यय के प्रतिशोधन (re-imbersement) के रूप में रु० ४२,७०७ का भुगतान किया गया । मन्त्रीवार तालिका संलग्न है ।

[सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

तहसील अटरू में चोरियां

१५६, **श्री दयाचन्द सोन** (बारां सु.) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) तहसील अटरू, जिला कोटा में वर्ष १९६५ में अनुसूचित जाति के कितने लोगों के यहां चोरियां हुई व कितनों की हत्याएं हुई ?

(२) ये चोरियें और हत्याएं कहां कहां पर हुई व उनके सम्बन्ध में क्या२ कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) सन् १९६५ में तहसील अटरू के अनुसूचित जाति के ६ व्यक्तियों के यहां चोरियां या घर फोड़े जाने के जुर्म हुए व एक की हत्या हुई ।

(२) हत्या का अपराध सुख ग्राम कचारा के सरहद में हुआ तथा चोरी और घर फोड़े के अपराध ग्राम सहरोद, जूरोद, रेल्वे स्टेशन अटरू, मुन्डला, आमली, कवाई, लोलाहेरी, रूघनाथपुरा तथा मोटपुर में हुए । इन सभी अपराधों के सम्बन्ध में पृथक पृथक मुकदमे दर्ज कर तफतीश की गई । हत्या के अपराध में अभी तक तफतीश हो रही है । चोरी, तथा घरफोड़ के अपराधों में से एक का चालान कर दिया गया । एक अदमपता रहा तथा शेष सातों में तफतीश की जा रही है ।

स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स भीलवाड़ा में हड़ताल विषयक स्थगन प्रस्ताव

(१२.४६ म.प.)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह और श्री हरि प्रसाद ने भीलवाड़ा की जो मील है वहां पर हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । अगर माननीय मन्त्री कुछ इसके बारे में स्पष्टीकरण कर सकें तो करें ।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय नहीं हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, स्ट्राइक तो समाप्त हो गई है ।

The strike of Spinning and Weaving Mills at Bhilwara has been called of काल ऑफ हो गई है ।

श्री अध्यक्ष : वह खत्म हो गई है ।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, फिर भी उत्तर देना जरूरी है कि वह स्ट्राइक क्यों हुई ? वह कॉल-ऑफ हो गई, इससे स्थगन प्रस्ताव का महत्व खत्म नहीं होता है ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : The strike has been called off.

श्री **भैरोंसिंह** : आप बतावें कि यह चार दिन तक स्ट्राइक क्यों रही और चार दिन तक लाखों रुपयों का लॉस रहा। इसके बारे में माननीय श्रम मन्त्री को कुछ कहना चाहिये।

श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : साथ ही यह भी बताना चाहिए कि क्या उन मजदूरों को पेमेन्ट मिलेगा या नहीं ?

श्री **अध्यक्ष** : आपको कहना हो, आप कह दीजिए, सरकार को जो उत्तर देना होगा वह सरकार उत्तर देगी।

श्री **भैरोंसिंह** : सरकार ने मजदूरों और मालिक के बीच में एग्रीमेंट करवाया था, मुख्य मन्त्रीजी ने बोनस के बारे में घोषणा की थी कि १५ अप्रेल तक ४ पर्सेन्ट बोनस मिल जायगा। कल के दिन तक मालिक ने ४ पर्सेन्ट बोनस दिया जाय, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है, और ऐसा नहीं लगता कि १५ अप्रेल को भुगतान कर दिया जायगा। जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो मजदूर केज्युअल रूप में काफी अर्से से काम करते थे, उनको परमानेन्ट करने का एग्रीमेंट किया था पर मील ने उनलोगों को परमानेन्ट नहीं किया है। इसके साथ ही साथ यह शर्त भी एग्रीमेंट में स्वीकार की थी कि जो दूसरे मिलों में मजदूरों को वेतन मिलता है उससे इसमें कम वेतन, कम मजदूरी मजदूरों को मिलती है, वह भी दूसरे मिलों के मजदूरों के बराबर कर दी जायगी। वह भी मील ने नहीं की है। इधर सरकार कहती है कि लेबर और मालिकों के बीच में समझौता हो जाय तो ठीक है और इसके लिए सरकार बीच में जाकर एग्रीमेंट करवाती है। उस एग्रीमेंट का सरकार पालन नहीं करवाती। एग्रीमेंट हो जाता है पर सरकार मालिकों को उन एग्रीमेंट्स को पूरा करने के लिए विवश नहीं करती। इसलिए प्रोडक्शन घटता है। ४ दिन उनकी हड़ताल हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार ने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट का पालन नहीं करवाया। जिन्होंने एग्रीमेंट का पालन नहीं करवाया, इसके लिए सरकार किसको दोषी मानती है और उनके खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेना चाहती है ?

श्री **अध्यक्ष** : सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी उसके पास इस सम्बन्ध में सूचना नहीं आ पाई है, सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व यदि सरकार के पास सूचना आ जाय तो वह सूचना सरकार सदन को दे। इसी आशय के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है।

श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा): इतनी छूट सरकार को मत दो, साहब।

(१२.५२ म. प.)

गंगानगर जिले में शरणार्थियों को भूमियों सम्बन्धी दिए गए नोटिस सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री **अध्यक्ष** : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरिराम चौहान, मुकुटबिहारी लाल, मोहन लाल सारस्वत और श्री उमरावसिह ढाबरिया ने दी है कि गंगा-नगर जिले में हजारों शरणार्थियों को नोटिस मिले हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर) : सरकार चाहे तो सदन खत्म होने से पहले दे दे। यहां मन्त्री नहीं बैठते हैं।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका हजारों की जिन्दगी से सम्बन्ध है, ऐसे सवाल के सम्बन्ध में सरकार को तैयार होकर आना चाहिये। आज जब कि वहां के शरणार्थी बोर्डर पर रहते हैं, संकट कालीन स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उन लोगों की आज इस तरह की हालत हो रही है, हजारों लोगों की जमीनें कैंसिल कर दी गई हैं, ७ हजार को नोटिस दिये हैं, दो हजार की जमीनें कैंसिल कर दी हैं। अलवर में जमीन की कीमत और ली जाती है, भरतपुर के अन्दर और अलवर में १५० रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से जमीन की इन लोगों से कीमत लेते हैं वहां गंगा नगर में ४५० रु० फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से मांगते हैं। लगातार तीन चार साल से वहां अकाल होने के कारण उन लोगों को खाने और पहनने की दिक्कत है। उसके बावजूद भी सरकार जबरदस्ती कुर्कियां कर के, जमीनें कैंसिल कर के, उनको तरह तरह से परेशान कर के, अपनी ताकत के जोम से सरकार अपनी सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग कर के उन लोगों के ऊपर जो बड़ा जबरदस्त अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ तमाम गंगानगर जिले के किसान, जो कि मेहनती किसान हैं, बोर्डर के ऊपर रहते हैं, वे पूरी तरह से इस सरकार के जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को यह चाहिये कि उनकी तमाम समस्याओं का बहुत गम्भीरता से अध्ययन करे, गहराई से उनकी समस्याओं को तकलीफों को देखे। संकटकालीन स्थिति में गंगानगर जिले ने जितना काम किया है, मैं समझता हूँ शायद ही उतना राजस्थान के किसी और जिले ने किया होगा। उन लोगों ने तीन २ कांग्रेसी नेताओं को सोने से तोला, चांदी से तोला, तांबे से तोला....

एक माननीय सदस्य : तांबे से तोला ?

श्री हरिराम चौहान : जो हां, तांबे से तोला है। और उसके मुकाबले में आज वहां के किसानों को इस बुरी तरह से परेशान किया जाता है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम भूमिहीन किसानों को भूमि देते हैं, मुफ्त में जमीनें देते हैं और दूसरी तरफ जो गरीब और महनती किसान किसी वजह से किस्त नहीं दे पाते हैं, उनके ऊपर इसप्रकार के बेदखली कराने के नोटिस देती है....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो मैं समझता हूं सरकार आज उन लोगों की हालत को देखे, उनकी स्थिति पर विचार करे और आज ही उत्तर दे, क्योंकि आज के बाद सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, इसलिये अध्यक्ष महोदय, उनको छूट नहीं दें, इनको कहें कि आज ही इसका उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरणा (उपमंत्री आबकारी कर) : अध्यक्ष महोदय, जो गंगानगर के नोन क्लेमेंट डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं उनके लिये जमीन की कीमत पर स्टेन्डर्ड एकड़ ४५० रू० है और दूसरी जगह कम है, इस प्रश्न को ले कर आगे भी माननीय सदस्य ने चर्चा की थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो ४५० रू० फी स्टेन्डर्ड एकड़ कीमत निर्धा-

(श्री परसराम मदेरणा)

रिद की है वह राजस्थान सरकार ने नहीं की है, भारत सरकार ने निर्धारित की है। अलवर ने नोनक्लेमेंट डिस्प्लेस्ड परसन्स को जो रियायत दी गई थी वह भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में एड्हाक समझौता हुआ था इस बेसिस पर हुआ था कि जो लोग अलवर जिले में कुरुक्षेत्र से आये हैं वे लोग काफी गरीब हैं। रीहेबिलीटेशन लोन और ४५० रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से उनसे अगर कीमत वसूल करते हैं तो वे दे नहीं सकते, एकुमुलेटेड एरियर्स से रकम वसूल करना उनसे मुश्किल था और आगे जाकर एवेक्यूई लैंड राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित करनी पड़ेगी, इसलिए ४५० लाख रु. की रकम लेनी है वह नहीं लेकर १ करोड़ में समझौता हुआ। इसलिए हमने वहां १५० रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से वहां अलवर में तय किया....

श्री हरिराम चौहान : भरतपुर में ?

श्री परसराम मदेरणा : गंगानगर के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हुआ ४५० रू० फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से सारे भारत में इस तरह की जमीन की कीमत निर्धारित भारत सरकार द्वारा की गई है उसमें हम हेरफेर नहीं कर सकते। एडहाक फैसला हुआ वह अलवर के लिए हुआ था. वह रकम भारत सरकार ने निर्धारित की है, हमने नहीं की। एड्हाक समझौते के बाद अलवर भरतपुर के नानक्लेमेंट डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं, उन्हीं के लिए यह समझौता हुआ था इसलिए उनसे १५० रू० फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से कीमत वसूल करते हैं। बाकी जगह ४५० रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ के कीमत वसूल करने का भारत सरकार का फैसला है। हमारा फैसला नहीं है।

श्री हरिराम चौहान : कितनो को नोटिस दिये गये, कितनों की बेनखली हो रही है, इस प्रकार की कोई भी सूचना आपने नहीं दी है। राजस्थान सरकार भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कोई बातचीत करना चाहती है या नहीं ? जबकि आप यह दिक्कत समझते हैं तो इनके केस को आपको सेंटर तक ले जाना चाहिये। अलवर, भरतपुर के लोगों के लिये राजस्थान सरकार ने बीच में पड़ कर तय कराया था तो इन लोगों का क्यों नहीं करवा सकते ? महज इसलिए आप तय नहीं करवाना चाहते कि वे शान्तिपूर्ण तरीकों से आन्दोलन कर रहे हैं और अलवर भरतपुर के लोग लड़ने के लिये बराबर तैयार हो गये थे।

(१ म० प०)

तहसील नादोती में पेय जलकष्ट सम्बन्धी स्थिति विषयक स्थगन–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री श्रवणलाल, वैद्य गोविन्दसहाय और कु० श्री महेन्द्रसिंह ने तहसील नादौती में पानी को जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में दी है। कोई सूचना मन्त्री महोदय देना चाहते हैं, वह दें।

श्री हरिदेव जोशी (जन स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले दो वर्षों से निरन्तर अकाल पड़ने के कारण कई स्थान ऐसे हैं जहां पीने के पानी की तक-

(श्री हरिदेव जोशी)

लीफ है। माननीय सदस्यों ने नादोती तहसील के बारे में भी अपने प्रस्ताव में चर्चा की। राज्य सरकार अकाल सहायता विभाग द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में जहां जरूरी है, सहायता दे रही है। राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि जहां कुए हैं और कुओं के अन्दर पानी गहरा चला गया है, उन कुओं को गहरा करवाया जाय और उनके लिए सहायता की जाय। जहां पत्थर आ गए हैं वहां ब्लास्टिंग मशीन्स भेज कर और कुओं को गहरा करवाया जाय। संबंधित जिलाधीशों से कहा गया है कि इस प्रकार की जहां कहीं भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की भरसक चेष्टा करें। अगर कोई स्थान ऐसा है जहां आसपास में पानी नहीं है याने उस गांव में पानी नहीं तो मुमकिन है कि बाहर से पानी लाकर उनको देना पड़ेगा। तो उन सारी स्थितियों के अंदर विभाग अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, राज्य सरकार ने सब कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि यथा-संभव ग्रामवासियों को मदद करें।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन—सु०) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, यह वास्तव में सही है कि करीब दो साल से या तीन साल से बरसात कम हो जाने के कारण सभी जगह पानी कम है इसको मैं भी महसूस करता हूं। नादोती तहसील वह तहसील है जहां सैकड़ों वर्षों से जो वहां आबादी है लोगों की वे छोटे छोटे तालाबों में बरसात के पानी का इस्तेमाल करते थे और उन तालाबों में गत वर्ष बरसात न होने के कारण पानी नहीं हुआ और इस साल तो स्थिति और भी भयंकर हो गई है और बहुत से गांव तो ऐसे हैं जिनके अन्दर कोई भी कुआं नहीं है। छोटे छोटे कुए तालाब के किनारे जो कच्चे खोदे जाते थे वे तालाब के सूख जाने के कारण कुए और तालाब के सूख जाने से वहां लोगों को परेशानी हो रही है। ६—६, ८—८ मीलों दूर से बैल गाड़ियों के द्वारा पानी लाया जा रहा है। यही नहीं है, उनके जानवरों की जो हालत वहां हो रही है, जो पानी न मिलने के कारण प्यासे मर रहे हैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। यह एक ऐसी तहसील है जहां से करीब सात हजार व्यक्ति जो राजकीय सेवा में मिलिटरी में भर्ती हुए, ऐसे स्थान पर जहां जब चीन ने आक्रमण किया तब उसने एक हजार अपने आदमी दिए थे तो ऐसी जगह सरकार उनको पीने के पानी की व्यवस्था न कराए तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं। इस समय जो वहां संकट है उसकी इम्मीजियेटली व्यवस्था नहीं की गई तो जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए, आदमियों के लिए, जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, पानी लाने के साधन नहीं हैं वे मुसीबत में पड़ जायेंगे। इसलिए जब तक वर्षा नहीं हो तब तक इम्मिजियेटली कोई न कोई ऐसा साधन जुटाए जिससे पानी की समस्या हल हो सके।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो नादोती तहसील की स्थिति बताई उसका सिर्फ बरसात का न होना ही पर्याप्त कारण नहीं है। उस तहसील के गांवों में शुरू से यह हो रहा है। गांवों में कुए नहीं हैं। तालाबों का पानी आज तक वहां जनता पीती आ रही है। गर्मियों में तालाब का पानी कम हो

Page No. 54

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय)

जाता है तो जब कुआं बनाते हैं, कुए में पानी तब तक रहता है जब तक तालाबों में रहता है । इन दिनों ६०–६१ हाथ गहरे कुए खुदवाए हैं किंतु पानी नहीं है । १९६४ में ३७,०००) रु० की लागत से ट्यूबवेल की मन्जूरी हुई लेकिन आज तक भी ऐसे कस्बे जिनमें ३-३, ४-४ हजार की आबादी है वहां भी पानी नहीं है । नादोती और गंगापुर तहसील के करीब १० गांव ऐसे हैं जिनमें १० मील तक पानी नहीं है और ये दिक्कतें प्रति वर्ष आती हैं । दो साल से बरसात नहीं हुई है, यही कारण नहीं है नादोती तहसील में सर्दी में इतना पानी हो जायगा कि आवागमन के साधन रुक जायं और गर्मी में पानी बिल्कुल नहीं । मैंने कलक्टर महोदय से बात की वह कहता है कि मेरे पास स्कीम नहीं है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां सैनिक परिवार हैं, वे बार-बार आकर कहते हैं । सिर्फ नादोती तहसील से सात हजार सैनिक परिवार हैं जो इस समय युद्ध मोर्चे पर हैं । हम जिलाधीश से कहते हैं । वह जवाब देता है कि कोई धनराशि नहीं है तो कृपया उस क्षेत्र में जो पानी का भारी संकट आया है उसको शीघ्रातिशीघ्र दूर करने की कोशिश करें ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने नादोती तहसील में पीने के पानी की कठिनाई के बारे में जो स्थिति बताई है इसमें........

श्री अमरसिंह जसोल (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों एक काल अटेन्शन नोटिस प्रस्तुत किया इसलिए कि मेरे क्षेत्र के अन्दर अकालग्रस्त लोगों की जो परिस्थितियां हैं उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूं । अब वहां परिस्थिति गंभीर होती जाती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने नोटिस दिया उससे पहले १०-२० माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में अकाल के बारे में नोटिस दिए लेकिन किसी का स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सबको पर्याप्त अवसर दिया गया था जिनमें स्वयं आप भी इस बार सदन में काफी कह चुके हैं । इन बातों को ध्यान में रखकर जिन्होंने भी प्रस्ताव पेश किए थे उनको इजाजत नहीं दी गई ।

श्री अमरसिंह जसोल : मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, विशेष प्रेस नहीं करूंगा लेकिन इससे पहले मैंने जो कुछ कहा उसका असर नहीं हुआ अकाल के संबंध में........

श्री अध्यक्ष : अगर आप भाषण शुरू कर देंगे तो और काम रुक जायगा ।

श्री अमरसिंह जसोल : अच्छा साहब ।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिन गांवों से फौज में सिपाही भर्ती हुए हैं उनमें और जो भर्ती नहीं हुए हैं, दोनों तरह के लोगों के लिए पानी की समान रूप से तकलीफ है । अलबत्ता देखना है कि किस प्रकार से और कैसे इन गांवों की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं । तो अकाल के कारण से इस समय जो तात्कालिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाय क्योंकि तालाबों के अंदर पानी नहीं है तो

(श्री हरिदेव जोशी)

बाहर से लाना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा चारा नहीं है। सरकार यह देखेगी कि उसके अन्दर किस प्रकार से और कैसे सहायता करें। मैं संबंधित कलेक्टरों से निवेदन कर रहा हूं कि उस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें और मैं स्वयं भी इस अधिवेशन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद में माननीय सदस्यों से चर्चा करूंगा और देखूंगा कि किस प्रकार से और कैसे राज्य सरकार इसमें योग दे सकती है।

जहां तक और पीने के पानी की सुविधाएं हैं, पाइप वाटर सप्लाई के लिए मास्टर प्लान राजस्थान भर के लिए कम्पलीट हो चुका है। दो तीन दिन हुए मेरे पास आई हैं। मैं उनको आपकी जानकारी के लिए और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यहां पर भेज दूंगा। माननीय सदस्य उनको देख लें। पूरे राजस्थान के लिए पाइप वाटर सप्लाई के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान बन चुका है, बड़ी मेहनत के बाद तैयार हो गया है जो भी सजेशन्स आप देना चाहें, वह इन्क्लूड करके भारत सरकार को भेजेंगे। उनकी स्वीकृति के बाद एक फेज्ड प्रोग्राम बनाया जायगा पूरे राजस्थान भर में पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में मैंने निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : जो मन्त्री महोदय ने कहा है मैं समझता हूं उस पर सबको सन्तोष होना चाहिये। वैसे तहसीलों के बारे में व्यवस्था कर दी है। मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है और राज्य भर की योजना बनी है उसके लिए कहा है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य उसमें दिलचस्पी लेंगे। माननीय सदस्य उस योजना को देख लें और मास्टर प्लान जो बनाया गया है राजस्थान भर का उस पर अपने अपने सुझाव मन्त्री महोदय को दे दें। साथ ही मैं मन्त्री महोदय से भी निवेदन निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जो सौ डेढ़ सौ ट्यूब वेलस हो रहे हैं उनको भी वे देख लें तो नए कुए खुदवाने की आवश्यकता नहीं होगी और उस मास्टर प्लान में ही उसका समावेश हो सकता है।

श्री अमरसिंह : अत्यन्त नमृता से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बहुत विचार करके ही अर्ज करता हूं और सुझाव अर्ज करता हूँ। मैंने पत्र भी लिखा लेकिन हमारे मन्त्री महोदय को फुरसत नहीं हुई कि वे मेरे पत्र को भी पढ़ते। मेरे पत्र को भी न पढ़ें तो वह मेरी इन्सल्ट है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मिला नहीं, वरना मैं अवश्य पढ़ता। मैं क्षमा चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : दूसरे मन्त्री आप नहीं।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत गम्भीर है। मैं चाहता हूँ कि हुल्लड़बाजी न हो। मैं उसके विरोध में हूं। लेकिन मन्त्री महोदय को आदेश फरमा दिया जावे कि मुझे वे कम से कम एक घंटे का समय दें जिससे मैं सारी स्थिति उनके सामने निवेदन कर सकूं और सुझाव भी दे सकूं।

श्री अध्यक्ष : १५० मेम्बर यदि एक एक घंटे का समय मांगे तो क्या परिस्थिति होगी। आप उनसे सम्पर्क स्थापित कर लें। जो भी समय होगा वह आपको देंगे।

श्री **अमरसिंह** : यह समय उनको देना चाहिये और देना ही नहीं चाहिये बल्कि हमारे सुझावों पर उनको ठोस कदम उठाना चाहिये ताकि तकलीफ मिटे।

श्री अध्यक्ष : यह ज्यादा जरूरी है।

श्री **भंरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पानी की समस्या है वह केवल नागौर या बालोतरा की तरफ की ही समस्या नहीं है यह तो राजस्थान भर की समस्या है। मन्त्री महोदय यदि उचित समझें तो इस सदन के स्थगित होने के पश्चात् अमुक तारीख को इस पानी की समस्या पर विचार करने के लिये एक मीटिंग बुलालें। गांवों में भी और शहरों में भी यह समस्या है जयपुर शहर में भी है। इस पर आप विचार कर लीजिये ताकि असंतोष को मिटाया जा सके।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय सदस्यों के विचारों का स्वागत करूंगा। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि विभाग ने काफी मेहनत के पश्चात् एक मास्टर प्लान तैयार किया है सारे राजस्थान के लिये। उसमें एक्सपर्ट्स के साथ साथ एम पीज भी थे। राजस्थान के कुछ हिस्सों में कडवा पानी है, खारा पानी है, रेगिस्तान है पहाड़ी स्थान हैं उनमें किस प्रकार पानी की व्यवस्था की जा सकती है उसके लिये मास्टर प्लान बनाया है उसको आप एक निगाह से देख लें और बाद में आप मुझ से मिल लें। मैं स्वागत करूंगा आपके सुझावों का।

श्री भंरोंसिह : हमने वह रिपोर्ट देखी है। सरकार उसको इम्पलीमेन्ट नहीं कर रही है।

श्री हरिदेव जोशी : वह देखी कैसे आपने। केवल चार दिन ही हुए उसको आये।

श्री भंरोंसिह : हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी की रिपोर्ट न ?

श्री हरिदेव जोशी : वह नहीं।

श्री अध्यक्ष : नया मास्टर प्लान बनाया है सारे राजस्थान के लिये।

श्री **भंरोंसिह** : वह हम देख लेंगे।

श्री **अमरसिंह** : जहां नहीं होने की बात है वहां सब कुछ किया जा रहा है और जहां अत्यन्त आवश्यकता है वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

श्री **श्रवणलाल** (हिण्डौन-सु.-) : नियुक्तियों के विषय में जवाब दिया जावे। आपने एड्जोर्न कर दिया था।

श्री **अध्यक्ष** : मंत्री महोदय तो नहीं हैं। उप मंत्री जी चाहें तो जवाब दे दें।

बाडमेर में मोटर के नीचे आ जाने से एक मृत्यु सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, २८. ११, ६५ को नानकसिंह ड्राइवर ११॥ बजे बाडमेर जाने के लिए श्री अमृतलाल जी यादव को ...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, यह प्रश्न नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सो रहे थे।

श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य : दो तीन एड्जार्नमेंन्ट मोशन हैं । यह भी पूछा जावेगा । ड्राइवर ने लड़की का एक्सीडेन्ट कर दिया । वह गाड़ी तेजी से चला रहा था यह एड्जोर्नमेन्ट मोशन था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) खुद ग्रमृतलाल जी यादव गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर नहीं चला रहा था । बिना लाइसेन्स के गाड़ी चला रहे थे । सरकारी गाड़ी । उन्होंने लड़की को मार दिया ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह के ग्रारोप लगाने से पहले ग्रापके पास कोई तथ्य हों तो बतायें ।

श्री भैरोंसिंह : जो लड़की मरी है उसके मामा का पत्र मेरे पास है ग्रौर जो मैंने नोटिस दिया उसके साथ उसकी कापी संलग्न की है ।

श्री ग्रध्यक्ष : सारे मामले की जांच हो गई । केस ग्रदालत में चला गया ।

श्री भैरोंसिंह : किसने जांच की ? ड्राइ-वर कौन था ?

श्री ग्रध्यक्ष : जांच पुलिस ने की ।

श्री निरंजन नाथ ग्राचार्य : ग्रध्यक्ष महोदय, शहादत पेश हुई है । बाडमेर जाते हुए नानकसिंह ड्राइवर चला रहा था ।

श्री भैरोंसिंह : शहादत दी है वह व्यक्ति उस समय नहीं था । नाम इस लिये दिया कि ग्रमृतलाल जी यादव नहीं चला रहे थे ।

श्री ग्रध्यक्ष : लड़की के पिता को मालूम है किसने मारा ?

श्री भैरोंसिंह : लड़की के मामा है । पिता नहीं है । उसने शिकायत की । बाकी के लोगों से पूछ कर लिखा । मैंने नोटिस के साथ ही पत्र की कापी दी है । मंत्री महोदय की कार से एक्सीडेन्ट हो गया, सब इन्स्पेक्टर की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वह कार्य-वाही करे उनके खिलाफ । स्वयं मंत्री महोदय सब इन्स्पेक्टर के पास जाकर खड़े हो जांय तो उनको इग्नोर करने का प्रश्न नहीं उठता । मंत्री महोदय की कार से एक्सीडेन्ट हुग्रा तो सब इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा न किया जा कर मंत्री महोदय के खिलाफ जांच कराने जो की व्यवस्था है उसके द्वारा ही जांच करायी जाय कि वास्तव में मंत्री महोदय स्वयं गाड़ी चला रहे थे या नहीं, सब इन्स्पेक्टर ने तत्काल मुकदमा दायर किया या नहीं ग्रौर मंत्री महोदय ने तुरन्त उस लड़की को चिकित्सा दी या नहीं । इस प्रकार की जांच सब इन्स्पेक्टर के बूते की नहीं है ग्रौर इसकी विजिलेन्स कमिश्नर के द्वारा ही जांच होनी चाहिये ।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ड्राइवर भी मंत्री महोदय से काफी ग्रातंकित है । पिछले दिनों एक ड्राइवर ग्रौर मंत्री महोदय के बीच में झगड़ा हुग्रा । ग्रापस में गाली गुप्ता भी हुग्रा । ग्रौर उसके प्रोटेस्ट में जितने गैराज के ड्राइवर्स हैं उन्होंने एक रिप्रेजेन्टेशन भेजा है, जिसकी कापी मेरे पास भी है । सारे ड्राइवर्स ने शिकायत की कि उनके एक साथी के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया गया है । उसको गाली गुप्ता किया गया । जब सेक्रेटेरियेट से गाड़ी में चले ग्रा रहे थे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तेज चलाग्रो । ड्राइवर ने कहा कि जो रफ्तार निर्धारित है उससे

(श्री भैरोंसिह)

अधिक नहीं चला सकूंगा तो उसको रुकवा कर उसको लताड़ा और उसको गाली दी । ड्राइवर ने कहा कि आप इस प्रकार गाली नहीं दे सकते । फिर उसको डांटा । उसके लिए माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि उनका कोई दोष नहीं है। सरकार का कोई मन्त्री दोष करता है तो उसको कभी दोषी नहीं मानने वाले हैं । आप इसकी जांच करवाइये। २०.२२ ड्राइवर्स ने दस्तखत करके शिकायत की है उसकी आपने जांच नहीं कराई है और इधर ड्राइवर को फंसाने के लिए मन्त्री महोदय ने ड्राइवर का नाम इन्क्ल्यूड कर दिया । खुद ने लड़की को मार दिया और ड्राइवर को फंसा दिया । इसलिए मन्त्री महोदय पर आरोप लगाये जाते हैं तो उसकी इन्क्वायरी विजिलेन्स कमिशन के द्वारा करायी जानी चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मन्त्री महोदय उसमें बैठे हुए थे इसलिए भावना के आधार पर उठाया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिह : कोई भावना के आधार पर नहीं उठाया जा रहा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले तो अदालत में यह केस है । दूसरा सब जूडिस है ।

श्री भैरोंसिह : अदालत से वापिस आते हैं और दुबारा जांच करायी जाती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कानूनी मुद्दा भी मैं बता देता हूं । सब जुडिस केस उसके लिए कह सकते हैं ।

दूसरे आदमी जो गांव से आये हुए थे वहां हनुमानजी का मन्दिर है लोग साधना, पूजा करने आया करते हैं । यहीं पर जो बस अजमेर से आ रही थी वह खड़ी थी । स्टेट रोडवेज की बस में कई मुसाफिर थे । उधर से मंत्री महोदय की मोटर निकली वहीं पर एक्सीडेन्ट हुआ ।

अब मसला रहता है शहादत का । कन्डकटर रोडवेज का उसका ड्राईवर मृतक का मामा भंवरीलाल अमृतलाल जी हरीराम जी एम० एल० ए० इतने इन्डिपेन्डेन्ट विटनेसेज आये हैं शहादत में । लड़की मर गई ३०४ ए० में अदालत में उसका चालान होगया । इसलिए शहादत के बारे में मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता ।

श्री भैरोंसिह : "हरिराम जी" से कौन से मतलब है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : श्री हरिराम धारू : लड़की ज्योंही घायल हुई उस घायल लड़की को उसी कार में विठा कर ले आया गया, उसकी चिकित्सा करवाई गई । जितने भी शहादत में बयान हुए; कन्डक्टर के बयान रोडवेज़ की बस के ड्राईवर के बयान, उसके मामा के खुद के बयान....

श्री भैरोंसिह : मामा के बयान नहीं हैं । अगर पुलिस ने रेकार्ड किया है तो गलत किया है । उसकी मामा की जो एप्लीकेशन है वह मैंने अपने एड्जोर्नमेंट मोशन के साथ लगाई है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : चूंकि अदालत में यह मसला चला गया है अतः कौन सा बयान गलत है, कौन सा सही है, मैं कह नहीं सकता ।

Page No. 59

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

जहां तक अदालत से मुकदमा उठाने का सवाल है। उठाया जा सकता है या विथड्रा किया जा सकता है वापिस चालान करने के लिए नहीं। अदालत यह समझे कि इसमें गड़बड़ है तो अदालत डायरेक्शन दे तो बात अलग है बाकी यह हमारी जुरिस्डिक्शन से परे है।

दूसरा मसला ड्राईवरों का उठाया कि किसी ने उनको गाली गलोच किया उसका संबंध एड्जोर्नमेंट मोशन से नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कानूनी मसला जब पेन्डिंग है तो शहादतों के संबंध में भी कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरों सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय है इतना जल्दी मामले को अदालत में भेज दिया जाय : और फिर सब जुडिश होने के नाम पर लोगों के मुंह पर ताले लगा दिये जायं इस शिकायत के संबंध में प्रमाण देने के लिए तैयार हैं उसका स्टेटमेंट रिकार्ड नहीं किया जा सकता रोडवेज के कन्डक्टर, कर्मचारी एवीडेन्स मंत्री के खिलाफ कभी नहीं जा सकते एवीडेन्स के आधार पर चालान किया जाय। अदालत में चालान हो गया है इसलिए इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता यह स्थिति पैदा करना अनुचित है। ऐसी स्थिति में जब कि मंत्री महोदय के खिलाफ यह चार्ज है तो यह विजीलेन्स कमिशन को मामला देना चाहिए कि उस समय मंत्री महोदय गाड़ी चला रहे थे या ड्राईवर चला रहा था? यह मान लिया जाय कि मंत्री नहीं चला रहे थे तो भी जनता में जो भ्रम फैला हुआ है वह भी दूर हो जाएगा। उनके द्वारा जांच करवाना भी मंत्री के हित में होगा। नहीं तो इस प्रकार की विचार धारा बनती जा रही है कि मंत्री के हाथ से एक्सीडेन्ट हो जाय तो उसका कोई सुनने वाला नहीं ड्राईवर के गले में फांसी लगा देते हैं जेल जाए तो वह जाए बरखास्त हो तो वह हो इस तरह से ड्राईवर मारा जाता है। मंत्री महोदय से यह मेरा निवेदन है कि इस प्रकार जो मामले हों भविष्य के लिये और इस केस के लिये मंत्री से सम्बन्धित आरोप हैं तो वह विजीलेन्स कमिशन से जांच करवाई जाकर उससे नतीजा निकलवाया जाना चाहिये।

(१.२३म.प.)

विभिन्न प्रस्तावों एवं सूचनाओं संबधी वाद–विवाद

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी काल अटेन्शन सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : ऐसे कई प्रस्ताव आये है सब के लिए तो समय नहीं दिया जा सकता।

श्री महेन्द्रसिंह : आप उसको पढ़कर देख लें, बहुत महत्वपूर्ण मसला है?

श्री अध्यक्ष : बगैर पढ़े मैं कुछ नहीं कहता। मैंने निवेदन किया, ऐसे बहुत से मामले रखे गये हैं उनको लिया जाय तो जिस कार्य के लिये समय का निर्धारण किया गया है वह काम नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : इतना तो कर दिया जाय कि क्या क्या प्रूव किये हैं वह तो बोल दिये जायें ताकि हमारी जो बातें हैं सदन के रेकॉर्ड में आ जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में भी आखिरी दिन हर सदस्य को जो बोलना चाहे उसको २ मिनट दिये जाते हैं, वह चाहे किसी भी समस्या पर बोलना चाहें बोल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अपने यहां तो हमेशा हां रखा जाता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव में यह सरपंच ने मास्टर को पीटा है इम्तिहान का समय आ गया है कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष : हर सदस्य को दो दो मिनिट दिये जाते हैं अपनी बात रखने के लिये ।

जागीरदारों को मुआवजा देने विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटेन्शन नोटिस दे रखा है जिसमें जागीर डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में विचार करने के लिये कहा गया है । जागीर कमिश्नर द्वारा इस प्रकार से राजस्थान के जागीर दारों को मुआवजा दिया है जिसमें राज्य सरकार का धन काफी खर्च हुआ है और उसमें उनके द्वारा गड़बड़ी की गई है । जहां तक राजस्थान के जागीरदारों को मुआवजा देने की बात है उसमें मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन कुछ लोगों को बढा चढाकर मुआवजा दिया गया है उससे राज्य सरकार को फाइनेन्शियल लोस हुआ है । इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं एक जागीरदार को नीमली, गणेशपुरा के जागीर दार को जिनकी जागीर तीन चार हजार की थी ६० हजार रू० का कम्पेनसेशन दिया गया है, कायदे के अनुसार उनको बहुत कम मिलना चाहिये । उसके बाद में ६० हजार का जो कम्पेनसेशन दिया गया उस कम्पेनसेशन को अमोलक कम्पनी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सारी बातें न बताकर सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं वह बतायें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अमोलक कम्पनी में ६० हजार रूपया इनवेस्ट कर दिया ।

इसी तरह एक जागीरदार ने २५ हजार रुपया ले लिया, नीमली और गणेशपुरा में दो दो लाख रुपये की जायदाद प्राप्त कर ली कई प्रकार के घोटाले इन्होंने किये हैं और अपने पद का नाजायज लाभ प्राप्त किया है । इस सम्बन्ध में मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से भी निवेदन किया था उसके बाद में यह केस एन्टी करप्शन में गया हुआ है एन्टी करप्शन में काफी समय हो गया अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । लाखो रूपयों का मसला है जागीरदारों को भी नुकसान हुआ है और सरकार को भी नुकसान हुआ है । इस लिए मेरा यह निवेदन है कि जितने भी केसेज एन्टी करप्शन में गए हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिये । यह एक आइ० ए० एस० अधिकारी का मामला है हमको खतरा है केस को दबा दिया जायगा । इस संबंध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही कराई जाय । और जिसकी गलती हो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय मैंने इसी बात को ध्यान में रखकर काल अटेन्शन नोटिस दिया है इसमें लाखों रुपयों की गड़बड़ है और अधिकारी ने अपने पद का नाजायज

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

फायदा उठाया है इसीलिए इस बारे में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाय।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप मन्त्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे इस बारे में पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है इस लिए जो भी वाकेआत माननीय सदस्य ने रखे उनके बारे में उन तथ्यों के बारे में कुछ निवेदन नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारे तथ्यों की जानकारी करके जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी की जायगी।

साथ ही साथ अगर कोई मामला एन्टी करप्शन में भी चल रहा हो तो उसको जल्दी निवटाया जाय इस बात की भी व्यवस्था की जायगी।

(१.२८ म.प.)

बगैर मुकदमा चलाये विधान सभा के सदस्य को निरोध में रखने संबंधी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सरकार के बारे में निन्दा का प्रस्ताव है १६ महीने तक मुझे जेल में रखा।

एक माननीय सदस्य : क्या अभिनन्दन का ?

श्री हरिराम चौहान: निन्दा का प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह अधिकार नहीं कि जो जनता से चुना हुआ नुमायन्दा हो उस पर बगैर मुकदमा चलाये इतनी लम्बी अवधि तक जेल के अन्दर रखे। इससे एक तो यह प्रश्न उठता है कि उसके विशेषाधिकारों का हनन होता है, जो सदस्य चुनकर आता है भारतीय संविधान के अनुसार वह विधान सभा की मिटिंग में आता है और अपने इलाके की जो समस्याएं हैं उनको विधान सभा में उठाता है और विधान सभा में जो मुद्दे उठाये जाते हैं उन पर अपनी राय देता है इस प्रकार के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन हुआ है।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि मेरे पर जो आरोप थे उनके बारे में मुझे लिखकर नहीं दिया गया उसकी अलग अलग लिस्ट नहीं दी गई। मेरे पर मेरी गतिविधियों को आधार पर आरोप नहीं लगाये गये। नन्दा जी ने लम्बी चौड़ी लिस्ट बनाकर रखदी मनगढ़ंत आरोप लगा दिये गये। उन मनगढ़ंत आरापों को केरल की जनता ने बहुत बड़ी तादाद में नजरबन्दों को जिताकर करारा उत्तर दिया। इसके बाद बंगाल में जब कारपोरेशन का चुनाव हुआ उस वक्त भी नजर बन्दों को जनता ने जिताकर उत्तर दिया। इसी तरह से अहमदाबाद के चुनावों ने भी इसका करारा जवाब दिया।

तो जो आरोप **श्री** नन्दाजी ने हम पर लगाये थे ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री) आपको भी लाभ प्राप्त होगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने इनको जल्दी क्यों छोड़ दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिए कि आप और सदन देखलें कि ये तन्दुरस्त हैं।

Page No. 62

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : पर ये तो उस लाभ से वंचित रह जायेंगे ।

श्री मानसिंह महार : तो अब वापिस भेज दो साहब ।

श्री हरिराम चौहान : तो नन्दाजी ने जो आरोप लगाये हिन्दुस्तान की जनता ने उन तमाम आरोपों को अरब सागर में हमेशा हमेशा के लिए डुबा दिया । पर आज भी हमारे मुख्य मन्त्री महोदय, जब हाउस में यह सवाल आता है और जब उनसे यह पूछा जाता है कि अभी भी हमारे चार चार साथी जेलों में क्यों बन्द हैं तो वे कोई निश्चित उत्तर नहीं देते । ये डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट के तहत गिरफ्तारियां की गई है । उनके अन्दर वे यह नहीं बताते की उनकी इस बारे में क्या निश्चित नीति है ।

सदन यह जानना चाहता है, बाहर के लोग यह जानना चाहते हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, कि आपने भी व्यवस्था दी है कि आप अपनी नीति को स्पष्ट करें । लेकिन यह एक ऐसा कानून है जिसको तरह तरह की संज्ञा लोग देते है । कोई इसे काला कानून कहता है, कोई इस पर अखबारों में सम्पादकीय लिखते हैं कि यह गैरकानूनी कानून है । इतनी चर्चा इस पर है, पर हमारे मुख्यमन्त्री महोदय, और हमारी यह सरकार स्पष्टीकरण करने से दूर भागती है कि इन गिरफ्तारियों और इस नजरबन्दी के प्रति यह नीति है, यह रुख है । यह स्पष्ट नहीं करते ।

यह कानून दरअसल है क्या ? यह कानून भारत रक्षा कानून नहीं, बल्कि कांग्रेस रक्षा कानून है और इसका उपयोग जैसे रामबाण चूर्ण इस्तेमाल करते हैं लोग, वैसे करते हैं । खांसी हो जावे किसी को तो यही चूर्ण, जुकाम हो जावे तो यह, पेट में दर्द हो जावे तो यही । कोई जनता का आन्दोलन होता है तो यह भारत रक्षा कानून आ जाता है, कोई डाकू डाका डालता है तो यह कानून, तस्करी करता है कोई तो यह कानून, कांग्रेस के खिलाफ राजनैतिक तौर पर इसका विरोध करता है तब भी यह कानून । यह हर मर्ज की दवा यह भारत सुरक्षा कानून इन्होंने बनाया हुआ है ।

मैं समझता हूं कि यह भारत सुरक्षा कानून निन्दनीय है, इसकी सारे सदन को निन्दा करनी चाहिये । सरकार को इसके प्रति अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये ।

आज इमर्जेन्सी की जरूरत नहीं है । आज देश के बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने और तमाम अपोजीशन के लीडरों ने इस एमर्जेन्सी को जारी रखने का विरोध किया है ।

मैं पूछना चाहता हूँ मुख्य मन्त्रीजी से कि आप इस एमर्जेन्सी का असर और इसकी आवश्यकता देश को तो बताना चाहते हैं, पर वाकई में आपके दिमागों पर भी इसका कोई असर है या नहीं । अगर एमर्जेन्सी का असर आपके दिमागों पर होता तो अपने मन्त्री मण्डल को इतना बड़ा नहीं करते । आप तो उल्टी बात करते हैं । इमर्जेन्सी है इसलिए बढा दिया गया । पहले ११ मन्त्रियों से काम चलता था, पर १६ किये और अब फिर चार मन्त्री बढ़ाकर राजस्थान में चार चांद लगा दिये हैं । तो यह एमर्जेन्सी का उपयोग तो अपने लिए किया जाता है ।

(श्री मानसिंह महार)

जो कानून देश के दुश्मनों के लिए बना था उसका इस तरह से दुरुपयोग किया गया। उस कानून का प्रयोग आपने अपने राजनैतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसका मुझ जैसे एक साधनहीन इन्सान पर प्रयोग किया गया जो एक कांग्रेसी के मुकाबले में हिम्मत करके खड़ा रहना चाहता है। मेरा उस हिम्मत को तोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया।

मैं निवेदन करता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर हमें सोचना होगा। आप किसी एम० एल० ए० को गिरफ्तार कर लें, पर उसे सदन में अवश्य आने दिया जाय, यहां आने से न रोका जावे, भले ही उसे पुलिस के घेरे में लाया जाय। मैंने मुख्य मन्त्रीजी से जेल में से पत्र लिखकर इसके लिए मांग की थी। मैंने उनसे यह मांग की कि आप मुझे विधान सभा में जाने दीजिए और कितनी बार की यह मांग और कहा कि वहां जो आपने हमारे पर मनगढन्त जो आरोप लगाये हैं, उनका हम जवाब तो दे सकें। आप भले ही पौन घण्टे के लिए जाने दें। पर जाकर अपनी सफाई का तो अवसर दें और इसके बाद वापिस जेल भेज दीजिए। पर वह मांग मन्जूर करना तो दर किनार, हमारे मुख्यमन्त्री महोदय ने मेरी चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि किसी भी एम० एल०ए० को, अगर कोई शिकायत करता है, पत्र भेजता है, तो उसे यह विशेष अधिकार है कि उसके पत्र की कम से कम पहुँच तो दे। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने, मैंने कितनी ही चिट्ठियां लिखीं, पर उनका कोई उत्तर नहीं दिया। यह कोई प्रजातन्त्र का काम नहीं है। यह डेमोक्रेसी नहीं है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जिसके लिये प्रधान मन्त्री ढिंढोरा पीटते हैं सारी दुनियां में कि सबसे बड़ा प्रजातन्त्र भारत में है। तो मैं यह पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसको तो रहने दें। आपके भाषण में ही सारी बातें आ गई।

श्री हरिराम चौहान : चार लाइने है साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(१.३६ म. प.)

कोटा में सरपंच द्वारा एक अध्यापक को पीटने विषयक

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव के द्वारा सूचना दी दी है कि अध्यापक हीरालालजी को बुरी तरह से मारा पीटा। पीटने के बाद पेड़ पर बांध दिया गया और जूते लगाये। वे बेहोश हो गए। सरपंच ने कहा कि यहां मेरा राज्य है, मेरी आज्ञा के अनुसार चलो।

इसका परिणाम यह हुआ कि स्कूल वह आज बन्द है, पढ़ाई नहीं हो रही है। इम्तिहान का समय नजदीक है। मास्टर लोग दूसरे वहां जाने से घबराते हैं, अब सब आतंकित हैं।

Page No. 64

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मास्टर को जब पीटा तो दो पुलिस के सिपाही वहां मौजूद थे। वे भी घटना के रोमांच को देखकर भाग खड़े हुए। रिपोर्ट पुलिस में करने गये तो अध्यक्ष महोदय, कहना पड़ता है कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि तत्काल स्कूल खुलवाई जावे और ऐसे सरपंच के साथ सख्त कार्यवाही की जावे जिन्होंने हमला करके मास्टर को बेरहमी से पीटा है।

भारत सुरक्षा नियमों के अधीन संकटकालीन स्थिति विषयक औचित्य प्रश्न

महारावल श्री लक्ष्मनसिंह (आसपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य, श्री हरिरामजी ने जो मुद्दा उठाया है डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स के सम्बन्ध में, उसका उत्तर मन्त्री महोदय देना चाहें या न देना चाहें यह जानने का उनका अधिकार है।

जहां तक एमर्जेन्सी का प्रश्न है मेरा दल भी मेरे खयाल में एक हद तक जो मुद्दे माननीय सदस्य ने उठाये हैं उनके साथ सहानुभूति रखता है।

मेरे ख्याल से एमर्जेन्सी अब नहीं है देश में और सरकार के लिये सम्माननीय व्यवस्था होगी कि बार बार वह डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स का प्रयोग न करे क्योंकि इससे गलत भावना पैदा होती है और बहुत से नागरिकों के मन में ही नहीं, पर निश्चित तौर से देश भर की जनता के मन में यह बात घर कर चुकी है कि सरकार अनुचित रूप से इसका प्रयोग करके नागरिक स्वतन्त्रता का दम घोटना चाहती है।

तो मैं यह भी सरकार से मांग करूंगा कि इस डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स को एमर्जेन्सी नहीं होने के कारण रद्द किया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में जो विचार जाहिर किये गए हैं, पार्लियामेंट में भी इसके बारे में काफी विचार विनिमय हुआ है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने के लिए पार्लियामेंट कॉम्पीटेन्ट है।

यहां जो कुछ और प्रश्न उठाये गए गिरफ्तारी और दूसरी चीजों के, इस सम्बन्ध में मैं पहले भी विस्तार से कहता रहा हूँ। आज फिर उसमें पड़ूं यह आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक जानकारी करना चाहूँगा, अध्यक्ष, महोदय। अभी मुख्यमन्त्रियों का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ एमर्जेन्सी और डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट के बारे में विचार करने के लिए तो उसमें हमारे मुख्य मन्त्रीजी के क्या विचार थे उन विचारों से सदन को अवगत कराया जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी की राय से अगर सदन को परिचित नहीं कराया जाय तो यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जो ओपीनियन आपने दी

(श्री भैरोंसिंह)

होगी, वह निश्चित रूप से राजस्थान के हित में होगी उससे इस सदन को वंचित रखना और उसे छिपाना आवश्यक नहीं है ।

उन्हें बताना चाहिये कि मैंने यह मांग की थी । राजस्थान का, राजस्थान के मुख्य मन्त्री का किस प्रकार का रुख था, यह तो सामने आये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर) : फुड जोन्स के बारे में आपने जो किया वह अखबारों में आया ।

(१.४० म० प०)

कोटा में सरपंच द्वारा एक अध्यापक की पिटाई विषयक (पूर्व क्रम से)

कुं० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कोटा में अध्यापक के साथ जो पिटाई की घटना हुई है इसकी मुझे भी जानकारी है । यह घटना इस प्रकार हुई कि ११ तारीख को अध्यापक स्कूल बन्द करके अपने घर लौट रहा था और लौटते समय कुछ लोगों ने जो कि रतनसिंह के नौकर थे उन्होंने रस्सी लगाकर उसको रोकना चाहा । जब अध्यापक को किसी प्रकार का खतरा नजर आया तो वह साइ-किल पर स्कूल वापिस गया और लौटते समय रास्ते में जो पुलिस गश्त लगाती है वह मिली तो उसने पुलिस को इत्तला की कि उसकी पिटाई लोग करेंगे । पुलिस ने उससे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और पुलिस के साथ ही वह अध्यापक रास्ते पर रवाना हुआ और पुलिस की उप-स्थिति में और सिपाहियों के होते हुए उस अध्यापक की पिटाई हुई । पिटाई जब शुरू हुई तो पुलिस भाग गई और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और अध्यापक को पेड़ से बांध कर उसकी बहुत पिटाई की गई और हटवाड़े का दिन था और उसको वहां पेड़ से बांध दिया और उसकी डटकर पिटाई की गई और उस पिटाई के फलस्वरूप वह बेहोश हो गया और उसको सीरियस हालत में लोगों ने एम० बी० एस० हास्पीटल कोटा में पहुंचाया । बड़ोद में उस अध्यापक के कुछ साथी थे वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे और वह वहां ५ बजे शाम को पहुंचे थे । लेकिन वहां के थानेदार ने उनकी कोई सुनाई नहीं की और वह वहां पर रात तक बैठे रहे । रात को ३ बजे पुलिस इन्सपेक्टर ने उनकी रिपोर्ट दर्ज की और काफी लड़ाई के बाद की और ऐसा लगता है कि यह जो घटना हुई है यह सरपंच और पुलिस के मेलजोल से हुई है और पुलिस का काम वहां पर शांति स्थापित करने का नहीं है बल्कि झगड़ा और उत्पात मचाने वालों का साथ देना है ।

वहां एक केस पहले भी हो चुका है जिसमें हैडमास्टर को पीटा गया और पुलिस में उस केस को दर्ज कराया गया लेकिन पुलिस ने उसके अन्दर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इन्क्वायरी नहीं की । इस तरह से यह कोई एक ही झगड़ा ही नहीं है बल्कि कई तरह के झगड़े हैं जो दर्ज नहीं होते और जिनके ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और पुलिस से मिलकर पैसा खाकर सारे के सारे मुकदमों में अदम सबूत लगाकर या फौजदारी केस नहीं मानकर खाली गाली गलौच हुई है न्यायपालिका की रिपोर्ट देकर

(कु० श्री महेन्द्रसिंह)

सारे के सारे केसेज को समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर यदि आप शान्ति व्यवस्था करना चाहते हैं तो जरुरत इस बात की है कि वहां के पुलिस इन्सपेक्टर को तुरन्त हटाया जाये और जो अध्यापक के साथ दुर्घटना हुई है उसकी जांच किसी दूसरे पुलिस आफिसर के द्वारा कराई जाये ताकि मामला ठीक तरह से चल सके।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आई० जी० पी० को कह दिया गया है कि उसकी जांच करें....

श्री अध्यक्ष : सब का उत्तर बाद में एक साथ दे देना।

(१.४३ म० प०)

निवाई में तेरह वर्षीय एक लड़की को उड़ा ले जाने सम्बन्धी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव निवाई में एक १३ वर्षीय लड़की श्रीमती ग्यारसी जो कि मालियों की थी उसका किन्हीं टोंक के मालियों ने जिनके नाम में अभी सेवार्पित करुंगा वह दिनांक १-३-३६ को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नाम किसी का नहीं लें, वह थे या नहीं थे। जो घटना है उसके बारे में बता दें और इसमें देरी क्यों हुई है उसके कारणों पर प्रकाश डाल दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, १-३-६६ को रात को ११ बजे सोती अवस्था में मां के पास से उस लड़की को उड़ाया गया और किस तरह से उठाया गया यह एक रहस्यपूर्ण बात है और उसके बाद में आज एक महीने से भी ऊपर की बात हो गई है और पुलिस को सारी जानकारी होते हुए माननीय अध्यक्ष जी उस लड़की को बरामद नहीं कराया जा रहा है और जैसा कि सदन में समय समय पर लड़कियों के अपहरण करने और उनको उड़ाये जाने की चर्चा होती है और पुलिस की इन केसेज में निष्क्रियता पाते हैं तो यह सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर यह पुलिस और यह होम डिपार्टमेन्ट किस लिए हैं। इसको हमने इसी लिए रखा है कि जनता की जान, इज्जत और धन की वह रक्षा करे। इसके बजाय यह डिपार्टमेन्ट उल्टे लोगों को जैसा मुझे मालूम है जो लोग लड़की को उड़ाकर ले जाते हैं उनको पुलिस मदद कर रही है। पुलिस जानते हुए बरामद नहीं कर रही है। निवाई और टोंक में कोई फर्क नहीं है और पुलिस वालों को उस लड़की के भाई ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें नाम दर्ज हैं कि फलां फलां आदमी जिनके ऊपर शक है और जो निवाई में थे वह मेरी बहिन को उड़ाकर ले गए। लेकिन यह सारे सुझाव के बाद, उनके नाम लेने के बाद भी पुलिस ने आज तक उस लड़की को १॥ महीने का अर्सा हो गया है बरामद नहीं किया। लड़की के फरार होते ही उसके भाई ने पुलिस में मामला दर्ज कराया और पुलिस में धारा ३६३ और ३६६ में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने अभियुक्तों को नन्दू और रामनारायण को १५ दिन पुलिस में रखा और

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उनको रिमाण्ड दिया गया। १५ दिन पुलिस में रहने के बाद में, उन्हें सारी जानकारी होने के बाद आज तक माननीय अध्यक्ष जी पुलिस उस लड़की को बरामद नहीं कर रही है और ऐसी स्थिति में निवाई में और आस पास के क्षेत्र में यह आतंक है और यह चर्चा है कि पुलिस को सारी जानकारी होते हुए भी लड़की को उड़ाये जाने वाली घटना को दबाने की कोशिश ली जा रही है और स्थानीय पुलिस और जिला पुलिस सब जगह कोशिश करते फिरते हैं और इसलिए हमें भी मजबूर होना पड़ा कि हम सरकार से यहां निवेदन करें कि ऐसी जो भयानक स्थिति सामने आ रही है लड़कियों को लोग उड़ा कर ले जाते हैं और उनकी जानकारी होते हुए भी पुलिस बरामद नहीं करती है, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा समझ कर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ इसका उत्तर दें।

(१.४. म. प.)

ग्राम खिजूरी (त. हिन्डौन) में चरागाह भूमि के अलॉटमेंट विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन—मु.) : अध्यक्ष महोदय, तहसील हिन्डोन ग्राम खिजूरी के अन्दर मुरारी लाल शर्मा निवासी करौली को १५ बीघा भूमि चरागाह की अलॉट किये जाने के विषय में मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रजातंत्र के युग में सही माने से देखा जाये तो यह होता है कि जितनी भी भूमि अलॉट होती है वह भूमि गरीब व्यक्तियों को न मिल कर, भूमिहीन किसानों को न मिलकर दूसरों को हो जाती है। यह बात स्पष्ट रूप से हमें यहां रोजाना सुनने को मिलती है। अध्यक्ष महोदय, वह जमीन खिजूरी ग्राम के अन्दर जो चरागाह था और उस चरागाह को वहां के ग्रामीण किसानों को नहीं देकर वहां के भूमिहीन हरिजनों को अलॉट नहीं करके वहां के तहसील में याने उस ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति को अलॉट नहीं करके जो करौली के निवासी हैं श्री मुरारी लाल शर्मा जो अपने आपको श्री सुखाड़िया जी के खास व्यक्ति बताते हैं और हर धौंस इस बात की देते हैं कि अगर यह काम मेरा नहीं हुआ तो मैं ऐसा करा दूंगा।

तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की धमकी देकर यहां से पता नहीं वह किस कारण से पालीटीकल सफरर बने मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ और मुझे यह भी पता नहीं कि वह कब कब जेलों में गये या नहीं गये, कितनी सम्पत्ति उनकी जब्त हुई या नहीं हुई इसका भी मुझे पता नहीं लेकिन जहां सवाल इस बात का आता है कि उसके नाते से किसी ऐसे स्थान पर जाकर भूमि ले लेना—पहले भी कई तरह से इन्होंने इस प्रकार से जमीन ली है जिनको बाद में बेच दिया।

तो एक व्यक्ति जिसका यह धंधा हो कि जमीन लेकर बेच देना और उस पोलिटीकल सफरर के नाते से वहां की १५ बीघा जमीन को सरकार के द्वारा अलॉट करवा लिया जाये यह शोभाजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, वह चरागाह की जमीन है, गउओं का गला काटा जा रहा है। वहां

(श्री श्रवणलाल)

पर इतने मवेशी होते हुए भी उस जमीन को जबरदस्ती अलॉट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाये तो वहां से इतने लोग फौज में भरती हैं कि जिसके कारण से जो अलॉटमेंट कमेटी है मैं उसका सदस्य होने के नाते मैंने सब जगह प्रयत्न किया है कि वहां से अधिक से अधिक संख्या में जो मिलिट्री में हैं जो बोर्डर इलाके में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनको जमीन अलॉट की जाये।

अध्यक्ष महोदय, उनको आज तक जमीन अलॉट नहीं हुई है बार बार उनकी दरख्वास्तें आने पर, मांग आने पर चाहे जिस बात पर कलेक्टर को रिटर्न कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि करीब आज से तीन साल से बराबर एक फौजी इस बात के लिए हर जगह पर, हर अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग में जाता है, हर गांव में जाता है और यहां तक कहने के लिए तैयार है कि मुझे तो कोई ऊबड़ खाबड़ ही जमीन अलॉट कर दो, मैं तो उसको ही हर तरह से काबिल काश्त बना दूंगा लेकिन जमीन उसको अलॉट नहीं होती है। जमीन अलॉट होगी तो नेताओं को होगी, कांग्रेस के सगे सम्बन्धियों को होगी, मित्रों को दोस्तों को होगी उनको आप जमीन दे सकते हैं। कोई भी पोलिटिकल सफरर बन कर जमीन चाहे जहां अलॉट करा लें। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो भी जमीन दी जाय, अलॉटमेंट किया जाय तो सबसे पहला कर्त्तव्य उनका यह है कि वहां के गरीब किसानों को, वहां के भूमिहीन हरिजनों को जमीन दी जाय। उनको मिलने के बाद भी अगर कोई जमीन बचती है तो तहसील के अन्दर जो भूमिहीन किसान हैं, जितने भी वहां के भूमिहीन हरिजन हैं उनको जमीन दी जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि उनको करौली में जमीन नहीं दी जाय। अगर वह पोलिटिकल सफरर हैं, अगर उनकी जमीन जायदाद जब्त की गई है, अगर वे जेल गए हैं तो उनको जमीन दी जाय। में इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि उसको करौली में जमीन क्यों दी जाय, अगर वे पोलिटिकल सफरर हैं तो उनको करौली में ही जमीन दी जाय, इसमें कोई एतराज नहीं है। आप उनको कोई जीमन दें, कोई बिल्डिंग दें या और कुछ दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो जमीन खजूरी के अन्दर अलॉट की गई है उसको कैंसिल किया जाय और वहां के भूमिहीन काश्तकार हैं उनको या जो मिलिट्रीमैन हैं उनको वह जमीन अलॉट करना चाहते हों तो उनको अलॉट की जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस विषय में मेरी भी व्यक्तिगत जानकारी है, इसलिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। इस बारे में जो कहा जा रहा है कि जो पोलिटिकल सफरर था यू० पी० का उसको हक हासिल हो जाएगा राजस्थान में। अगर पोलिटिकल सफरर राजस्थान का है और उसको राजस्थान में हक है या यू०पी० का है और उसको यू०पी० में इमदाद पाने का हक है और वह राजस्थान में आ गया है तो उसको राजस्थान में जमीन या और

Page No. 69

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कुछ पाने का हक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन जो हरिजनों को भड़का कर, पार्टी के आधार पर जनसंघ की तरफ से वहां पर नोटिस निकाले हुए मैंने देखे हैं। उसको एक पोलिटिकल गेम बनाया जा रहा है। इस प्रकार से गरीबों के नाम पर पोलिटिकल सफरर्स के साथ जो थोड़ा बहुत किया गया है उसको भी हरिजनों के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी की लड़ाई लड़ी, जो मौत की घण्टी से बच कर आ गए हैं और जिनका आज खाने-पीने, रहने का ठिकाना नहीं है वे आकर आपके सामने हाथ फैलायें कि सरकार उन्हें जमीन दे, सरकार ने उनको थोड़ी बहुत जमीन दे दी तो यह उसकी शिकायत करने आये हैं। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने क्या किया है पोलिटिकल सफरर्स के लिए। आज हरिजनों के नाम पर हर मुद्दे पर इस तरह की चीज राजस्थान में चल रही है, हरिजनों को सरकार चाहती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब अलॉटमेंट हो गया, एक पोलिटिकल सफरर को अलॉटमेंट हो गया तो उसको इस तरह के क्वेश्चन्स करके और इस तरह की बात करके मामले को सुलझाया जा रहा है। जब उनको अलॉटमेन्ट हो गया और जब वे कब्जा लेने गए तो उनको कब्जा नहीं लेने दिया। लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो गई और सरकार मदद नहीं कर सकी। सरकार तो यह करती है कि कागज पर अर्जी लिख कर ले आओ और उस पर कार्यवाही करेंगे, यह सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। उनके लिए भी शर्म की बात है जो पोलिटिकल सफरर्स के बारे में इस तरह की बातें करते हैं।

आप भी बच्चे हों, आप क्या जानो पोलिटिकल सफरिंग क्या होता है। अंग्रेजों के दिन जिन्होंने देखे हैं, अंग्रेजों के जमाने में जेल जाना कोई मायने रखता था, आपके पड़ोस में बैठे हुए कुमारानन्द जी जानते हैं कि किस तरह से अपने बाप-दादाओं को छोड़ कर अंग्रेजों का सामना करना पड़ता था और उसके बाद जेलों में जाते थे। और दुख की बात तो यह है कि सरकार अपने खुद के इतिहास की तरफ ध्यान नहीं देती, जो पोलिटिकल सफरर्स के दुख को समझ नहीं सकती। आज आपने किस कदर कागज के दो टुकड़ों के नियम बना दिए और उन नियमों के आधार पर उनकी कुर्बानियों का बदला दिया जाता है। जब उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी उनकी कोई मंशा नहीं थी कि हमारी गवर्नमेन्ट आयेगी और उनको जमीन जायदादें देगी। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे जो आज शासन में बैठे हैं जो आज उनकी कुर्बानियों का उपभोग कर रहे है, आपने उनके लिए क्या किया है। आपने नियम बना दिये हैं जिनके आधार पर एक क्लर्क भी उनको रोक देता है कि यह कागज ठीक से नहीं भरा है। यह तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो आज सरकार में बैठे हैं और जिनकी कुर्बानियों के आधार पर आज आजादी का उपभोग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो पोलिटिकल सफरर हैं उनके लिए क्या किया है? कौनसी लिस्ट बनाई है उनकी और लिस्ट बनाकर उनकी इज्जत करने गए हैं। आपने उनके लिए कानून बनाये हैं जिसके अन्दर

Page No. 70

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उनको अर्जियां देनी पड़ती हैं, तुमसे कहना पड़ता है कि माई–आप खाना दो। वे अपने आप भूखों मर जायेंगे लेकिन इस तरह से हाथ पसारते नहीं फिरेंगे। जिन्होंने अंग्रेजों के सामने लोहा लिया है वे इस तरह से हाथ पसारते नहीं फिरेंगे, वे इस अन्याय और हृदयहीनता के खिलाफ बगावत करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों से साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है उससे मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे गलत समझा है, वे इस बात को गलत समझ गए हैं। मैं उनकी भावना का आदर करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता था लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने जब इसको छेड़ दिया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है, आज हमको सुनने को मिलता है कि देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जानों की बाजियां दी, जिन्होंने जेलों में जा कर के हर तरह से अपने देश के लिए कुर्बानियां कीं, वहां जाकर बलिदान किया, उनके साथ अन्याय होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि आज जो वास्तविक पोलिटिकल सफरर हैं जिन्होंने इस देश के खातिर कुर्बानियां की थीं आज उनके लिए कुछ नहीं होता। जैसा ज्वालाप्रसादजी कहते हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है और जो ढोंगी हैं जो इस तरह के ढोंग बना कर काम करते ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।

श्री श्रवणलाल : जो इस तरह से ढोंग रचा कर नाजायज फायदा उठाते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौनसी जेल में गये, कौनसी कुर्बानी की। किसी चोरी के मामले में जेल में चले गये और अपने आपको पोलिटिकल सफरर बता दिया।

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष - माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने की बात करके पोलिटिकल सफरर के नाम सेग लत अलॉटमेंट करा लें, यह बड़े शर्म की बात है। मैं भी आपकी भावना की कदर करता हूँ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो राजनैतिक पीड़ित हैं, उनके लिए निश्चित रूप से नियम मुकर्रर किए गए हैं कि कौन राजनैतिक पीड़ित होगा और कौन नहीं माना जाएगा। उन नियमों के अनुसार पूरी जांच होती है और राज्य सरकार के समक्ष जो मामले आते हैं उसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बैठा रखी है जो जांच करती है। जब सारे तथ्य सामने आते हैं तभी कोई रूपया जमीन आदि दी जाती है। इसलिए माननीय सदस्य यहां पर कहें कि जो जमीन का अलॉटमेंट किया गया है वह गलत तरीके से किया गया है तो उस चीज को यहां उठाने की जगह नहीं है बल्कि सरकार के सामने जो आपके पास तथ्य हों जमीन ठीक तरह से नहीं दी गई या देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए, इन सारी चीजों को आप सरकार के पास लिखा पढ़ी कर सकते हैं। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि वे राजनैतिक पीड़ित हैं और

Page No. 71

(श्री अध्यक्ष)

दूसरे माननीय सदस्य कहते हैं कि वे नहीं हैं, तो इस तरह की चर्चा यहां करना तो ठीक नहीं है। जिनको जमीन मिल गई हैं उनके बारे में जो कुछ माननीय सदस्य के पास तथ्य हों, उसको वे सरकार के समक्ष रख सकते हैं, और किसी तरह से इस मामले पर विचार करा सकते हैं लेकिन जिनको राजनैतिक पीड़ित मान कर जमीन मिल चुकी हैं उन पर इस तरह से आरोप लगाया जाय यह मैं उचित नहीं समझता। इसलिए इस चीज को यहीं समाप्त किया जाय। मंत्री महोदय चाहें तो जो दूसरे मुद्दे उठाए गए हैं उनके सम्बन्ध में संक्षेप में जवाब दे दें।

(१.५८ म. प.)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय....

जयपुर की सहकारी बैंक द्वारा इन्डस्ट्रियल अवार्ड कार्यान्वित न करने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन काल अटेंशन नोटिसेज हैं जो पेंडिंग हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं: एक काल अटेंशन नोटिस तो इण्डस्ट्रियल अवार्ड के सम्बन्ध में हैं। कोऑपरेटिव बैंक की सोसाइटी है जयपुर की उसमें कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने इण्डस्ट्रियल अवार्ड को लागू नहीं किया है। मेरा यह निवेदन करना है कि जिन बैंक्स ने अवार्ड लागू नहीं किया है सरकार उनसे अवार्ड को लागू कराए। इसके बारे में मेरा एक काल अटेंशन नोटिस था।

(१.५९ म. प.)

राजस्व मण्डल द्वारा सौ व्यक्तियों को अवैधानिक रूप से वकालत करने की अनुमति देने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

दूसरा काल अटेंशन नोटिस अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि एडवोकेट्स एक्ट, १९६१ में फोर्स में आने के बाद सम्पूर्ण राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में भी जो एडवोकेट्स, प्लीडर्स हैं उनके अपोइन्टमेंट्स, उनके एग्जामिनेशन या उनके लाइसेंस वगैरह का सारा काम बार कौंसिल के द्वारा किया जाता है और जिन व्यक्तियों को बार कौंसिल के द्वारा इजाजत मिले उन्हें ही इण्डियन एडवोकेट्स एक्ट, १९६१ के बाद वकालत करने का अधिकार है। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्व मण्डल द्वारा सौ लोगों को, जो एडवोकेट्स नहीं हैं जिनको एडवोकेट्स एक्ट के आने के बाद प्रेक्टिस करने का अधिकार नहीं हैं, ऐसे सौ लोगों को राजस्व मण्डल ने एजेन्ट मुकर्रर किया है।

(२ म. प.)

यह मामला राजस्थान बार कौंसिल के लेवल पर कोरेसपोन्डेन्स में चल रहा है। उन्होंने इस बात को प्रोटेस्ट किया है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बार कौन्सिल ने इस बात का प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड को लिखा है। राजस्थान हाईकोर्ट बार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोंसिल ने लिया है। मैंने कॉल अटेन्शन नोटिस दिया है । राजस्थान सरकार इस मामले को राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड से मैंटर को टेक अप करे । एडवोकेट्स एक्ट लागू होने के बाद रेवेन्यू एजेन्ट्स को लाइसेन्स दिये गये हैं उन व्यक्तियों को जो कल तक मुंशीगिरी करते थे, मैं नहीं कहता कि उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाय, किन्तु जिन परिस्थितियों में ये सारी चीजें की गई है मैं समझता हूँ कि उनमें मैं जाना नहीं चाहता, मगर वह एक प्रकार से जबरदस्त इर्रेग्लुरिटी हुई है, उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को मैंटर रेवेन्यू बोर्ड से टेक अप करना चाहिए । बार कौन्सिल करसपोन्डेन्स कर रही है इस तरह से गलत लाइसेन्स दिये गये है। उनमें प्रत्येक के सम्बन्ध में जांच करके आवश्यक कदम उठाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का क्या यह कहना है कि राजस्व मंडल यह अधिकार नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडवोकेट्स एक्ट के लागू होने के बाद जो कारसपोन्डिंग लाज़ और रेग्युलेशन्स थे वे रिपील हो गये हैं, सुपरसीड हो गये हैं। किस प्रकार से वकील बनाना, एजेन्ट बनाना, प्लीडर बनाना, एडवोकेट बनाना, वे सारे के सारे एडवोकेट्स एक्ट १९६१ के आने के बाद रेवेन्यू बोर्ड ने १०० व्यक्तियों को ऐसा लाइसेन्स दिया है ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व अदालत में भी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका टैक्स आदि सबका उसमें है। सब को रजिस्टर कराना पड़ता है और बार कौन्सिल लाइसेन्स देती है उसको एन्जाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही हो तो मेरा दूसरा काल अटेन्शन नोटिस इस सम्बन्ध में है ।

(२.२ म. प.)

नगर विकास मण्डल द्वारा कर्मचारियों को नोटिस देने विषयक स्थगन प्रस्ताव

तीसरा काल अटेन्शन नोटिस अभी तक यह पैंडिग है वह इस सम्बन्ध में दिया है कि जिस समय ४८ में कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में हुआ था तो उस जगह पर गांधीनगर बसाया गया और उसके बाद बापूनगर की एक्स्टेन्शन स्कीम बनी । गांधीनगर में मैं समझता हूं कि राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को रियायती दरों पर भूमि देने की दृष्टि से स्कीम निकली ५४ में, तो कई कन्डीशन्स रखीं उस समय के अर्बन इम्प्रूमेंट बोर्ड ने रखीं तो कई राज्य कर्मचारियों ने प्लाट्स नहीं लिये तो राजस्थान सरकार ने ५५ के अक्तूबर के महीने में जाकर उस भारी स्कीम को रिवाइज किया और नये तरीके से प्लाट्स दिये। नया रिवाइज्ड प्लान किया तो नई कन्डीशन्स लागू की और उनके तहत बापू नगर में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का प्लाट्स का एलॉटमेंट किया गया। अध्यक्ष महोदय, १० साल बाद गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को जिन कन्डीशन्स पर जमीनें दीं गई थी, गवर्नमेंट ने जिस आधार पर उस स्कीम को रिवाइज़ करके

(श्री सतीशचन्द्र)

प्लाट राजस्थान के लो पेड कर्मचारियों को दिये थे रियायती दरों पर कि वे इन्सटाल-मेंट में भुगतान करें। उस आधार पर उनको प्लाट दिये गये थे। आज राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जयपुर ने उन कर्मचारियों के नाम नोटिस जारी किये हैं कि सारे नजराने का महरबानी करके ब्याज दिया जाय, और इन्ट्रेस्ट की रकम किसी से २००) रु०, किसी से ४००) रु०, और किसी से ५००) रु० मांगी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ओरीजिनल स्कीम जो रिवाइज्ड की गई है उसकी कन्डीशन्स के आधार पर एलॉटमेंट किया गया है है और जो एलॉटमेंट का लेटर इश्यू किया था उसमें कोई कन्डीशन नहीं थी। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, ५५ में स्कीम रिवाइज्ड होने के बाद जो पट्टे जारी किये गये है, अध्यक्ष महोदय, उन चार पट्टों के नाम मैं बताता हूं कि उन्होंने ३-४ साल के बाद में पेमेंट किया लेकिन उनसे ब्याज नहीं लिया गया और पट्टे दे दिये गये। एक बी० एल० माहेश्वरी, डी-१७, दूसरा है श्री महेशचन्द्र गुप्ता, तीसरा श्री श्याम सुन्दर कोठारी, श्री के० डी० मित्तल मोती डूंगरी स्कीम। इनका पट्टा जारी किया गया है। इनको चार साल बाद पट्टा जारी किया गया। इनसे नजराने की भुगतान वसूल करके चार साल में पट्टा दिया गया है लेकिन इनसे ब्याज वसूल नहीं किया गया है। एलाटमेंट लेटर जो इश्यू किया गया इसमें यह शर्त नहीं थी, लेकिन आज इनको इस प्रकार से नोटिसेज दिये गये हैं और पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात है। उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया है तो न तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सुनता है, न लोकल सेल्फ मिनिस्टर सुनता है। पी० डी० आर० में उनके खिलाफ इन्ट्रेस्ट की वसूली की कार्यवाही चल रहा है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के छोटे कर्मचारियों को जो बापूनगर गांधीनगर में आज से १० साल पहले प्लॉट्स एलॉट किये गये तो एलॉटमेंट के वक्त इस प्रकार की शर्त नहीं थी। उन लोगों से नजराना इन्स्टालमेंट में वसूल करने की शर्त थी उसको वसूल किया जाय पर इन्ट्रेस्ट के सम्बन्ध में जो नोटिसेज जारी किये गये हैं उनको विथड्रॉ किया जाय। इस सम्बन्ध में मेरा काल अटेन्शन नोटिस था।

(२.६ म० प०)

नगर पालिकाओं के चुनाव की तिथि की घोषणा करने विषयक

अन्त में एक बात और कह दूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनावों के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने इस सदन में आश्वासन दिया है कि नगरपालिकाओं का चुनाव राजस्थान में मई में करायेंगे : तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सदन में घोषणा करना चाहिये कि कौनसी तारीख तक नगरपालिकाओं का चुनाव कराना चाहते हैं। उन तारीखों की घोषणा करना चाहिये कि जिन नगरपालिकाओं का चुनाव नहीं हुआ है उन सारी नगरपालिकाओं का चुनाव मई के महीने में इस तारीख को करायेंगे। इस सम्बण्ध में वे घोषणा सदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में करेंगे । इतना ही इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

(२.७ म, प.)

ग्यारसी नामक बालिका को भगा ले जाने विषयक शासकीय वक्तव्य ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लड़की के भगाने का प्रश्न है उसमें तारीख ६-३—६६ को एस० एच० ओ० मुसम्मात ग्यारसी को तलाश करने के लिए रवाना हुए । मुल्जिमान नन्दू और रामनारायण के साथ जाकर मौजा सालसपुर में जगदीश के मकान की तलाशी ली गई, लेकिन मुसम्मात ग्यारसी का पता नहीं लगा । मुल्जिमान नन्दू और रामनारायण को गिरफ्तार किया गया । लड़की की तलाशी की कोशिश की जा रही है । माननीय सदस्य से मेरी बात हुई थी कल-परसों, कुछ रोज पहले । इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है सहायता देने का कि फलांनी जगह लड़की है । अगर वे सहायता देंगे, अगर आप ऐसा सहयोग देंगे तो उस लड़की की बरामदगी करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, एक अन्य प्रश्न है । उन्होंने ठीक ही कहा है । मेरे पास इसके तथ्य नहीं है, लेकिन उनको विश्वास दिलाता हूं कि यह काग्नीजेबल ऑफेन्स है ३२३, ३२६, ३३६ यानि ग्रेविटी फार्म का ऑफेन्स है तो उस पर शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया ।

श्री हरिदेव जोशी : एक कॉल अटेन्शन का नोटिस मिला है उसके बारे में थोड़ा सा बोल दूं ।

सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को बिना नोटिस दिए निकालने विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, एक ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव मैंने कई रोज हुए सीमेंट फैक्ट्री के बारे में दिया है कि वहां पर मजदूरों के दिन प्रति दिन सीमेंट फैक्ट्री के मालिक बगैर नोटिस के जो एक लम्बे अर्से से काम कर रहे हैं वे कोई एक–दो महीने के भरती किये हुए नहीं हैं लेकिन कुछ तो चार चार साल के भरती किये हुए हैं उनको निकाल रहे हैं । एक ट्रिपार्टाइट समझौता हैदराबाद में हुआ था तो उसमें यह तय हुआ था कि बगैर नोटिस दिये नहीं निकाले जायेंगे । एक तरफ तो सीमेंट फैक्ट्री उत्पादन बढ़ाने की घोषणा कर रही है और दूसरी तरफ मजदूरों को बगैर नोटिस दिए निकाल रही है वह सिर्फ इसलिए निकाल रही है जो मजदूर पुराने समय से काम कर रहे है उनको बोनस देना पड़ेगा । इस दृष्टि से वहां ठेकेदारी सिस्टम लागू किया गया है जब कि लोडिंग और अनलोडिंग के सिवाय कहीं भी ठेकेदारी सिस्टम से काम नहीं करवा सकते हैं । वहां के प्रतिनिधि श्रम मन्त्री महोदय से मिलने आते हैं तो जवाब नहीं देते हैं । मजदूरों के साथ में ज्यादतियां होती हैं तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट दर्ज नही करते हैं । एक तरह से सवाई माधोपुर में प्रजातन्त्र नहीं होकर सीमेंट फैक्ट्री का शासन है । जो सीमेंट

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय):

फैक्ट्री वाले कहते है वे करते हैं । पुलिस वाले ही क्या कोई भी अधिकारी अगर सीमेंट फैक्ट्री के कहने के मुताबिक नहीं करता है नाजायज तरीके से तो उसके ऊपर दबाव डाला जाता है और सीधे ही कहते है कि हम सुखाड़ियाजी को कह कर करवा लेंगे, दूसरे मन्त्री से कहकर करवायेंगे । इस तरह से मजदूरों पर और दूसरे लोगों पर सीमेंट फैक्ट्री का आतंक है । आज वहां पर यह बात सही है कि दूसरे लोग मजदूरों के साथ में गुण्डागर्दी करते है और उनको पिटवाया जाता है तो पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, और दूसरी तरफ कोई कसूर नहीं होने पर भी सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से रिपोर्ट करने पर मजदूरों को पकड़ लेती है और हवालात में बन्द कर देती है, और दो-दो, तीन-तीन महीनों तक हवालात में बन्द करके नाजायज बयान देने के लिये उनको मजबूर करते हैं । मैं इस बारे में डी० आई० जी० पी० महोदय से भी मिला तो उन्होंने आदेश दिया एस० पी० के नाम । वहां पर एक आदमी को दो महीने से अकारण ही बन्द कर रखा है । उसका कोई कसूर नहीं था । सीमेन्ट फैक्ट्री के व्यवस्थापक यह चाहते थे कि फलां आदमी के खिलाफ गलत बयान दे दे । इस कारण से तीन महीने से हवालात में उसको बन्द कर रखा है । वहां के प्रतिनिधि श्रम मन्त्री महोदय से मिले और श्रम मंत्री महोदय वहां जाते हैं तो टी पार्टी खाते हैं और मजदूरों के बारे में श्रम मंत्री बिल्कुल मौन हैं । मैं नहीं समझ सकता कि इस तरह की स्थिति क्यों है ? क्या श्रम मंत्रीजी उस तरफ से उदासीन है ? क्यों वहां पर मजदूरों के साथ में अन्याय हो रहा है, उसकी जांच नहीं कर वाते हैं ।

(२.१२ म. प.)

सलूम्बर मित्र सहकारी समिति में घोटाला विषयक ।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेगू) : अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर मित्र सहकारी समिति ५२ में हुई थी और उसने नाज का व्यापार शुरू किया । उसको अकाल-राहत कार्य के लिए सरकार ने नाज खरीदा हुआ भेजा और फिर सन् ५६ में एक इन्सपेक्टर पहुंचा और जांच की सहकारी समिति की तो उसमें ६०,०००) का घोटाला पाया गया । वे कागजात जला दिए गये । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ६०,०००) के कागजात जलाने वाले के खिलाफ पी. डी. आर. की कार्यवाही की गई । जिसके खिलाफ यह कार्यवाही थी उनका नाम पन्नालाल था । पहले वह दूसरी पार्टी में था और अब वह उस पार्टी को छोड़ कर कांग्रेस में आ गया और अब उसका मामला खटाई में डाला जा रहा है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ६०,०००) रु० का मामला यों ही नहीं छोड़ा जाय, पूरी कार्यवाही की जाय ।

(२. १३ म. प.)

राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक (सदन को मेज पर रखना)

श्री अध्यक्ष : विधेयकों का विवरण ।

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री अनोपसिंह) : महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा द्वारा वर्तमान सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

(श्री सचिव)

१. राजस्थान यात्रा तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

२. राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

३. राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

४. राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६६

५. राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६६

६. राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६

७. नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६६

याचिका का उपस्थापन

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं लाखेरी सीमेन्ट कम्पनी की कोलोनी के गन्दे नाले के पानी को सण्डाल नदी में डालने से रोकने हेतु याचिका, याचिका देने वालों के हस्ताक्षर सहित, उपस्थित करता हूँ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्रीमती गौरी पूनिया (सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति): अध्यक्ष महोदय मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, १९६५-६६ के चतुर्थ प्रतिवेदन का का उपस्थापन करती हूं।

(२.१५ म. प.)

राज्य कर्मचारियों के वेतन-स्तर विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के जो वेतन स्तर कायम किये गये हैं उससे सम्बन्धित मामले पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पर थोड़ा सा बता दूं ताकि पता लग जाय। राजस्थान रिवाइज्ड पे स्केल रूल्स, १९६१ में यह प्रावधान किया गया है कि यदि एक व्यक्ति १. ९. ६१ को यानि जिस दिन से यह नियम लागू हुए हैं वरिष्ठ लेखक हो तो उसको वेतन वृद्धि जब उसका वेतन १५०) रू० हो तो एक साल के लिए रोक दी जावेगी परन्तु इसके विपरीत उसके साथ ही कार्य करने वाला एवम् उससे जूनियर दूसरा व्यक्ति यदि १.९.६१ को पद पर पदोन्नत किया गया हो तो उसकी वेतन वृद्धि नहीं रोकी जायगी जिससे यह असर हुआ कि एक जूनियर आदमी उससे सीनियर आदमी से ज्यादा वेतन पाता है। उदाहरण के तौर पर १.९.६१ को जो वरिष्ट लेखक था उसको ४.९.६१ को १५० रू० मिलते थे उसको एक साल बाद यानि ४.९.६२ को भी १५० रू० ही मिलेंगे। और अगले साल यानि ४.९.६३ को उसको १५५) रू० मिलेंगे। इसके विपरीत जो आदमी १.९.६१

(श्री भैरोंसिंह)

के बाद पदोन्नत किया गया है उसकी वेतन वृद्धि नहीं रुकती है यानि ४.६.६१ को उसको १५०) रू० मिलते हैं उसको ४.६.६२ को १५५) रू० मिलेंगे और ४.६.६३ को १६५) रू० मिलेंगे। यानि ४,६.६१ को जिसका प्रमोशन हुआ उससे जिसकी पदोन्नति हुई वह उससे सीनियर है लेकिन उसको बाद में पदोन्नति होने वाले से कम वेतन मिलने की स्थिति आ सकती है। उसको इससे अधिक नहीं मिले तो कम से कम उसके बराबर तो मिलना ही चाहिये लेकिन ४.६.६२ को बाद में प्रमोशन वाले व्यक्ति को सीनियर व्यक्ति से ५) रू० अधिक मिलेंगे और ४.६.६३ को १०) रू० अधिक मिलेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जिसको पहले प्रमोशन मिला उसको कम वेतन मिलेगा और जिसको बाद में प्रमोशन मिला उसको ज्यादा मिलेगा। इस तरह कि एनोमो है। डिफेक्टिवरूल्स बने हैं, उसके कारण हुई है। इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया जाता है कि १५०) रू. पर डी. ए. की दर १०) के स्थान पर २०) रू० हो जाती है अतः इस फायदे को बराबर करने हेतु ही यह वेतन वृद्धि एक साल के लिये रोकी गई है। किन्तु यह दृष्टिकोण १. ६. ६१ के पश्चात् पदोन्नत किये जाने वाले वरिष्ठ लेखकों के सम्बन्ध में नहीं अपनाया गया। यदि कानून के अलावा व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हिसाब लगाया जाय तो साफ जाहिर होता है कि वास्तव में यह फायदा न होकर नुकसान देय है क्योंकि जहां डी० ए० की दर में बढ़ोतरी हुई है वहां वेतन वृद्धि रुकने से मूल वेतन में नुकसान हो गया है और मूल वेतन में नुकसान होने की वजह से उस व्यक्ति को पेंशन, सिटी अलाउन्स, हाउस रेंट व कई दफा टी०ए० व डी०ए० के दर में भी नुकसान होता है उदाहरण के तौर पर जब डी०ए० १०)रू० है तो जिसकी पे १९६१ में १५०) है उसको १०) डी० ए० के होने से १६०) रू० कुल मिले, १९६२ में उसको १६५) मिले और १९६३ में १६५) वेतन और १०) डी० ए० कुल १७५ मिले लेकिन जब डी० ए० २०) रू० हैं तो १९६१ में १५० रू० वालों को १७०) रू० कुल मिले और १९६२ में १५० प्लस २० कुल १७० मिले और १९६३ में १५५) प्लस २० कुल १७५ मिलेंगे। इस प्रकार तीसरे साल जहां वेतन में डी० ए० की दर बढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। मूल वेतन में डी० ए० नहीं बढ़े तो मूल वेतन १३५ रू० हो तो वहां डी० ए० की दर बढ़ने से १६५) के स्थान पर १५५) ही रह गई जो नुकसान देय है। डी० ए० की एनामोली के कारण भी नुकसान रह गया इससे सरकारी कर्मचारी को जो घाटा हुआ था उसकी पूर्ति नहीं होती बल्कि पदोन्नति के कारण जो आदमी सीनियर था, जिसकी पहिले पदोन्नति हुई उसका वेतन ज्यादा होना चाहिये था उससे जिसकी पदोन्नति बाद में हुइ है उससे भी पहले वाले को कम मिलता है। उसको डी० ए० से फायदा नहीं हुआ १६५ के स्थान पर १५५) ही रह गये जिसके कारण उसको नुकसान हुआ सरकार यह सोचती है कि डी०ए० के कारण जो पहले नुकसान था उसकी पूर्ति हो गई लेकिन बदकिस्मती यह है कि १६५) रू० जिसको वेतन मिलता है उसको डी. ए. कम मिलने के कारण ५)रू० मिलते है।

इसके अलावा विचारणीय विषय यह है कि एक व्यक्ति जो पहले नियुक्त हुआ है,

Page No. 78

(श्री भैरोंसिंह)

पहले पदोन्नत हुआ हो उसे उस व्यक्ति से जो उसके बाद में नियुक्त हुआ है और बाद में पदोन्नत हुआ है उसको वेतन कम मिलता है। यदि यह कमती वेतन फिक्सेशन नियमों की वजह से मिलता है तो ऐसे दोषपूर्ण नियमों में संशोधन किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि जो व्यक्ति नौकरी में वरिष्ठ हो वही वेतन में भी वरिष्ठ रह सके। जो आदमी सीनियर है उसको ज्यादा वेतन मिलना चाहिये लेकिन जो १ साल बाद में प्रमोट हुआ है उसको भी ज्यादा वेतन मिलता है इस कारण लोगों में काफी जलन है, प्रमोशन के झगड़े हैं। आज समस्या यह हो रही है कि पहले प्रमोशन वाले को नुकसान हुआ और दूसरी बार प्रमोशन में नये रूल्स से फायदा हुआ। धीरे २ एक्युमुलेट होते होते स्थिति यह आई कि यदि इस कानून में सुधार किया जाय तो काफी लोगों को लाभ होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। मैंने यह प्रश्न कल सदन के बाहर मुख्य मंत्री के सामने पेश किया था, उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। मैं समझता हूँ मुख्य मंत्रीजी ने सदन के बाहर जो आश्वासन दिया उस पर सरकार गौर करेगी और जो कर्मचारी प्रभावित हुए हैं उनको नुकसान से बचायेगी।

श्री **चन्दनमल बैद** (उपमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्रीजी से आश्वासन मिल गया है तो उपमंत्री के आश्वासन की क्या जरूरत रह गई? मुझे मालूम नहीं मुख्य मंत्री जी ने कल क्या आश्वासन दिया था लेकिन नियमों में सुधार करने से कर्मचारियों को ज्यादा सुविधा मिल सकती है तो सुधार किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिये सरकार यह निर्णय करे कि आज से डाक्टरों का वेतन ३००) की जगह ५००) रु. कर दिया जाय तो ५ साल से पहिले जो डाक्टर नियुक्त हुए थे उनमें और आज नियुक्त हुए हैं उनके वेतन में फर्क नहीं रहेगा क्योंकि उनका भी वेतन ५००) हो जायगा जो पहले नियुक्त हुए है और जो आज नियुक्त हुए हैं उनका वेतन भी ५००) हो जायगा जो कानून या नियम सरकारी कर्मचारीयों को ज्यादा सुविधा देने के लिए होते हैं वह निश्चित रूप से आगे आने वाले लोगों के लिये सुविधा हो सकती है पीछे वालों के लिये नहीं। इसमें भी यह एनामोलि है। १-९-६१ को नियम बनाये गये। एल. डी. सी. से यू. डी. सी. में प्रमोशन होगा तो उसको एल. डी. सी. की ग्रेड में दो ग्रेड इन्क्रीमेन्ट मिलेंगे और यू.डी.सी. की ग्रेड में हायर स्टेज पर फिक्स अप किया जायगा लेकिन जो ६१ से पहले प्रमोट किये गये उनको यू. डी. सी. की वेतन श्रृंखला में हायर स्टेज पर फिक्स अप किया गया। माननीय सदस्य ने जो काल्पनिक पिक्चर पेश किया है उसमें उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि एक का ६१ से पहले प्रमोशन हुआ और दूसरे का ६१ के बाद प्रमोशन हुआ उन दोनों के वेतन में भिन्नता होगी लेकिन इसमें सोचने की दो बातें हैं, पहली तो यह है कि माननीय सदस्य ने एक काल्पनिक चित्र सदन के सामने रखा है उसमें उन्होंने यह दर्शाया है कि पहला एल० डी० सी० प्रमोट होगा वह उस समय होगा जिस समय उसकी तनख्वाह यू० डी० सी० की लोएस्ट तनख्वाह है उससे कम होगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप

(श्री चन्दनमल बैद)

दूसरा काल्पनिक चित्र ले लिजिये मैं दूसरा काल्पनिक चित्र आपको दे सकता हूँ। इसमें आपने तनख्वाह बताई है कि १९६५ में बताई है, जो दूसरा एल० डी० सी० है उसका प्रमोशन आपने १९६५ में दिखाया है। आप उसका प्रमोशन १९६३ में दिखला दीजिये। उसका प्रमोशन यदि १९६३ में हो जाता है, १९६१ के बाद में हो जाता है—१९६३ में हो जाता है तो एक एल० डी० सी० जिसका १९६१ के पहले प्रमोशन हुआ और दूसरे का १९६१ के बाद १९६३ में प्रमोशन हुआ—अब यदि दोनों का वेतन जोड़ेंगे तो दोनों का वेतन वही आयेगा। इसलिए पहले प्रमोशन और दूसरे प्रमोशन में कोई फर्क नहीं रहेगा।

आपने जो उदाहरण दिया है उसमें आप प्रमोशन १९६५ के अन्दर करते हैं और उसके बाद यह बताया है कि जो पहले प्रमोशन किया है उससे ज्यादा उसका वेतन होता है। यह एक काल्पनिक चित्र है और आपने जैसा कहा वैसा हो सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब नये पे-स्केल जारी करें और नई सुविधा दी जाय और उसमें १९६१ के बाद में एल० डी० सी० के बाद किसी को यू० डी० सी० में प्रमोट करें तो एल० डी० सी० को यू० डी० सी की ग्रेड दी जायगी और उसमें हाई स्केल में फिक्स किया जायगा तो इस तरह की एनोमोली हो सकती है लेकिन आज तक ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया है। केवल केस कल्पना के आधार पर आपने यहां रखा है। अगर आप कोई सही चित्र पेश करें तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(२:२२ म० ह०)

नागौर नगरपालिका के चुनाव स्थगित करने विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : अध्यक्ष महोदय, नागौर नगरपालिका के चुनाव स्थागित किये जाने से सम्बन्धित मामले पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, चुनाव मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि नागौर नगरपालिका के चुनाव २४ अप्रेल १९६६ को होने को थे। सरकार द्वारा चुनाव की तारीख निश्चित कर दी गई थी, चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था, नामीनेशन पेपर्स दाखिल हो गये थे। इसके बाद ऐन वक्त पर चुनाव स्थगित किस कारणवश, किस अधिकारी के द्वारा किये गये? यह बहुत बड़ा भारी अहम् मसला है। सरकार से मैं जानना चाहूँगा कि किस कानून के तहत, किस अधिकारी के द्वारा, किस तारीख को उक्त चुनाव स्थगित किये गये। और कानून के तहत जब नामीनेशन्स भर दिये गये, उनकी स्क्रूटिनी हो गई, और ऐन वक्त पर चुनाव कराने, के समय से पूर्व इस प्रकार के निर्णय से नागौर नगरपालिका क्षेत्र के लोगों में काफी असन्तोष है। मैं चाहूंगा कि सरकार की

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

इस सम्बन्ध में स्वस्थ नीति हो। जनतन्त्र में, जहां कानून है, नियम बने हुए हैं और चुनाव का एक तरीका बना हुआ है वहां इस प्रकार चुनाव स्थगित करके जनता को तकलीफ देना कहां तक उचित है? किस अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की गई है एवं किन विशेष परिस्थितियों में उक्त चुनाव स्थगित किये गये–यह सरकार से मैं जानकारी चाहूंगा? और उस अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने को तैयार है?–यह भी मैं सरकार से प्रश्न करना चाहूंगा। इसके अलावा उक्त नगरपालिका का चुनाव आयन्दा के लिए निकट भविष्य में कौनसी तारीख को निश्चित किया गया है–यह भी मैं सरकार से जानना चाहूंगा!

श्री हरिदेव जोशी (चुनाव मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, नागौर नगरपालिका के वार्ड नम्बर १, ६, १० और ११ उप-चुनाव के लिए राज्य सरकार ने ३१ मार्च, १६६६ को २४ अप्रेल, १६६६ मतदान के लिए तिथि निश्चित की थी। इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति एकस्ट्रा आर्डिनरी राजपत्र दिनांक २१ मार्च, १६६६ में प्रकाशित हुई थी। सभी वार्डों में उम्मीदवारों द्वारा मनोनयन पत्र प्रस्तुत किये गये थे।

दिनांक ३० मार्च को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव अधिकारी से ज्ञात हुआ कि धारा ७ के अन्तर्गत जारी हुए पब्लिक नोटिस में मनोनयन पत्र प्राप्त करने का समय २६ से ३१ मार्च का केवल ३ दिन का ही रखा गया। विधि विभाग से सम्मति मांगी गई थी। नियम ७ (घ) के अनुसार मनोनयन के लिए ७ दिन का समय दिया जाना आवश्यक था। विधि विभाग ने लिखा है कि इस आधार पर चुनाव की वैधानिकता चैलेंज की जा सकती है। इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया कि ये उप-चुनाव स्थगित करा दिये जायें।

अतः १ अप्रेल को इन चुनावों को रद्द करने संबंधी अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में १ अप्रेल १६६६ को प्रकाशित कर दी गई।

श्री हनुमानसिंह चौधरी: एक स्पष्टीकरण और चाहूंगा। सात दिन का नोटिस नहीं देकर तीन दिन का नोटिस दिया गया–उक्त भूल आपके चुनाव विभाग से हुई है या निर्वाचन अधिकारी द्वारा हुई है।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि निर्वाचन अधिकारी की गलती से गलतफहमी पैदा हुई है और लोगों को कुछ असुविधा भी हुई है। निर्वाचन अधिकारी को नियमों को पहले देख लेना चाहिए था और उसके बाद में जो शिड्यूल चुनाव का तय करना था उसे प्रकाशित करना था। क्योंकि उसने असावधानी बरती है इसलिए उसका एक्स्प्लेनेशन कौल किया गया है और कलेक्टर को कहा गया है कि वह आवश्यक कार्यवाही करे।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने म्युनिसिपल इलेक्शन के बारे में जानकारी चाही थी। राज्य सरकार ने इसके लिए तारीख तय कर दी है। इस सम्बन्ध में क्यों कि नोटिस नहीं था इसलिए मैं पूरे पेपर्स लेकर नहीं आया। लेकिन जहां तक मुझे

(श्री हरिदेव जोशी)

याद है, २६ अथवा २८ मई पौलिंग की आखिरी तय की गई है। उससे मैं, ऐसा महसूस करता हूँ, एक महीने पहले नोटिफिकेशन निकलेगा, वह २८ अप्रेल तक नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए। कुछ चार पांच म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्टोरल रौल्स रिवाइज करने में देरी हो रही थी, अगर उनके सबके इलेक्टोरल रौल्स रिवाइज हो गये तो सबके लिए नोटिफाई हो जायगा और अगर नहीं हुए तो उन चार पांच को छोड़कर बाकी सबके करा दिये जायेंगे। जहां तक मुझे याद है लगभग ६६–७० म्युनीसिपल इलेक्शन इस बार होने को है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उनमें अलवर भी शामिल है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जबानी किसी के बारे में याद नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कौनसी डेट मुकर्रर की है ?

श्री हरिदेव जोशी : सम्भवत: २८ अथवा २६ मई, पौलिंग डेट।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार।

(२.२८ म० प०)

राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श

श्री चन्दनमल वैद (उपमन्त्री नागरिक रसद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९६३ से ३१ मार्च, १९६४ तक) पर जिसकी प्रति दिनांक २३ मार्च १९६६ को सदन की मेज पर रखी गई थी, विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन को सदन के समक्ष विचारार्थ लिया जा रहा है। यह प्रतिवेदन तारीख १–४–६३ से ३१–३–६३ तक से सम्बन्ध रखता है। यह विनम्र मेरा निवेदन है कि प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष पेश होना चाहिए किन्तु यह नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी भारी कमी है। सरकार के लिए ऐसी व्यवस्था, इस तरह की ढिलाई अशोभनीय है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि लोक सेवा आयोग का विवरण हर वर्ष के समाप्त होने के दो तीन महीने पश्चात् यानि यदि वर्ष ३१ तारीख को समाप्त होता है मार्च को, तो जून या जुलाई तक यह विवरण तैयार होकर के, छप कर के और अगर इस सदन के सदस्यों को वितरित हो जाय तो शरदकालीन सत्र, सैशन के समय मेरे खयाल से उस विवरण पर तुरन्त ही वादविवाद हो तो सरकार के लिए भी लाभदायक और उपयोगी होगा और मेरे ख्याल से यह व्यवस्था शासन के लिए एक प्रशंसनीय बात होगी। अब यह तारीख ३–१३–६४ को समाप्त होने वाला वर्ष–उस सम्बन्ध में विवरण अगर सदन के समक्ष विचारार्थ लिया जाये तो मेरे ख्याल से–कहा वर्षा जब कृषि सुखाने—इस तरह का हिसाब हो रहा है। मैं सर–

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कार का, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पुर-जोर ध्यान दिलाऊंगा कि मेरे सुझाव के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करे। मेरा सुझाव इतना कठिन या असम्भव नहीं है कि जो कार्य रूप में परिणत नहीं हो सके। यदि सरकार कार्य रूप में इस सुझाव को परिणत कर पायेगी तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए यह एक अच्छी बात होगी।

अध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र के अन्दर....

एक माननीय सदस्य : कौरम नहीं है।

(गणपूरक–घन्टी के पश्चात्)

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : मन्त्री भी नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपमंत्री विराजमान हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा था कि जनतन्त्र में लोक सेवा आयोग जैसी संस्था एक अत्यन्त ही महत्व रखती है, उदाहरण के तौर पर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और यह लोक सेवा आयोग ऐसी संस्थाएं हैं जो शासन के सम्बन्ध में यदि उनको वाच डोग कहा जावे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शासन के लिए यह प्रहरी संस्थाएं हैं। यह मैं मानकर चलता हूं।

लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि इसके गठन के संबन्ध में जो कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ, इस तथ्य को लेकर निवेदन करूंगा कि इस संस्था के गठन में भी सरकारी दवाव से इस पर बोझ प्रतीत होता है और इसके कारण जो हो सकते हैं सदन के समक्ष रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग के चेअरमेन श्री वी० टी० नारलीकर, एम० ए० (कैन्टव), एफ० आर० ए०एस०, एफ० एन० आई०, एफ० ए० एससी० हैं उनकी नियुक्ति तारीख १–८–६० को हुई अर्थात् उनको नियुक्त हुए ५।। वर्ष से अधिक हो गये हैं। दूसरे सदस्य है श्री एस० एल० आहूजा एम० ए०, एल एल० बी०, आई० ए० एस० इनकी नियुक्ति १-१२-५६ को हुई और वे गत वर्ष रिटायर हो चुके हैं।

(३) श्री श्यामलाल एम० ए०, एल० एल० बी० उनकी नियुक्ति १६-४-६१ को हुई।

(४) डा० बी० एल० रावत, एम० एस० सी०, पीएच० डी० (कैन्टव) इनकी नियुक्ति तारीख ४-६-६१ को हुई।

इनमें से श्री बी० बी० नारलीकर और डा० बी० एल० रावत, मैं मानता हूं कि उच्च शिक्षा प्राप्त और अनुभवी हैं। मैं व्यक्तिगत इन महानुभावों को नहीं जानता और व्यक्तिगत आरोप लगाने की मेरी चेष्टा नहीं है। जो तथ्य मुझे स्पष्ट आलोचना के रूप में मिले हैं वे मैं सदन में रखूंगा श्री एस० एल० आहूजा के और श्री श्याम लाल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे समान योग्यता प्राप्त महानुभाव हैं।

इस संस्था के सदस्य उच्च चरित्र के होने चाहिए, निष्ठावादी होने चाहिये जिनमें किसी प्रकार के पक्षपात की भावना नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हो, अपनायत हो, तब तो यह संस्था कोई महत्व रखती है वरना इस संस्था को रखना और नहीं रखना करीब-करीब बराबर होता है। श्री नारलीकर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान के बाहर के हैं। दूसरे तीन सदस्य हैं जो राजस्थान के कर्मचारी रह चुके हैं और विश्राम प्राप्त हैं और विश्राम प्राप्त होने के पश्चात् उनको रेवेन्यू बोर्ड में रखा गया। वहां से विश्राम प्रान्त करने के बाद वे लोक सेवा आयोग में आए। इस प्रकार की राजस्थान सरकार की परम्परा है वह राजस्थान सरकार के लिये अशोभनीय है। एक व्यक्ति विश्राम प्राप्त करे उसको रेवेन्यू बोर्ड में और उसके पश्चात लोक सेवा आयोग में जगह दी जावे, मेरे ख्याल से यह पॉवर का दुरुपयोग करना है और बार बार अपने आदमियों को विश्राम प्राप्त करने के बाद भी जगह देना, सरकार के लिये अशोभनीय है और में इसका विरोध करूंगा और सरकार को चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में सरकार विचार करे और विचार करने के बाद ऐसे व्यक्तियों को न रखे और ऐसी बातों से बाज आवे।

अगर सरकार इन सदस्यों के कार्यकाल की अवधि भी नियुक्त करे तो मेरे ख्याल से अधिक उत्तम होगा। आज चैयरमेन ५।। साल से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह भी ऐसी व्यवस्था है कि इससे सम्भवत: वेस्टेड इन्ट्रेस्ट उत्पन्न हो जाते हैं और पब्लिक सर्विस जैसी महत्वपूर्ण संस्था में वेस्टेड इन्ट्रेस्ट का होना बड़ी भारी बात है। मेरा यह सरकार से आपके द्वारा निवेदन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि मुकर्रर करें और किसी भी हालत में यह अवधि चार वर्षों से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। श्री आहूजा रिटायर हुए जैसा मैंने निवेदन किया. गत वर्ष वे रिटायर हुए। उनकी जगह श्री रामचन्द्र चौधरी, बी०ए०, एल एल०बी० की नियुक्ति हुई। मैंने जहां तक सुना है, श्री रामचन्द्र चौधरी एक भूतपूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं और यदि मेरा यह निवेदन सत्य है तो उनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई है यह मेरी समझ में कतई बुरा हुआ है। मेरे ख्याल से भूतपूर्व मिनिस्टर को पब्लिक सर्विस कमीशन में जगह देना, नियुक्ति करना, अपोइन्टमेंट करना, इस संस्था की पवित्रता को भ्रष्ट करना है और मैं इसका विरोध करूंगा। इस प्रकार से सरकार की एक आदत सी पड़ गई है, एक बुरी परम्परा सरकार ने डाल रखी है। इस सम्बन्ध में मैं दो तीन उदाहरण दूंगा। श्री वेदपाल त्यागी, श्री इन्द्रनाथ मोदी जो पहले इस सदन के सदस्य रह चुके हैं उनकी मुझे कोई आशंका है कि उनकी नियुक्ति राजनैतिक कारणों के वश सरकार को मजबूर होकर हाईकोर्ट के जजेज के पद पर स्वीकार की गई। मुझे आशंका है कि इस तरह श्री रामचन्द्र चौधरी की नियुक्ति की गई है। इसमें सम्भवतः पक्षपात है। उनके वहां के क्षेत्र के मन्त्री हैं उनकी इच्छा या प्रेरणा के अनुसार हुई है। अगर ऐसे ही श्री रामचन्द्र चौधरी की नियुक्ति हुई है तो मेरे ख्याल से यह सर्वथा अनुचित और अशोभनीय बात है। तो मेरा तात्पर्य निवेदन करने का यह है कि इस संस्था का गठन है। वह दोषपूर्ण नहीं हो और दोष से भरा हुआ होगा तो ऐसे इन्स्टीट्यूशन में अगर गठन ही अपवित्र है तो सरकार के लिए यह बुरी बात है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जनतन्त्र के नाम पर, जनतन्त्र के खातिर कृपा करके ऐसा काम नहीं करे।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इन नियुक्तियों के द्वारा मेरे ख्याल से यह आम भावना राजस्थान की जनता में हो चुकी है कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन प्रभाव शून्य है और यह अप्रिय संस्था हो चुकी है और इसका निर्णय हो जाता है वह सरकार के द्वारा बार बार ठुकरा दिया जाता है। इस प्रकार की कई घटनाएं होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशें जो होती हैं वे अक्षर अक्षर सत्य मानकर शत प्रतिशत सरकार उनको माने ही, यह जरूरी नहीं है। किन्तु जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो सिफारिशें पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियमों के अन्तर्गत होती हैं और जो सर्वथा उचित हैं, उनके ऊपर भी सरकार बिल्कुल मजबूत हो कर बैठती है, जवाब तक नहीं देती तो मेरे खयाल में सरकार खुद अपना ही अपमान करती है। इस सम्बन्ध में कई एक नजीरें हैं किन्तु मैं सदन का विशेष समय नहीं लूंगा, मैं कुछ नजीरें अवश्य सरकार के विचारार्थ निवेदन करना चाहूंगा।

किन्तु इसके पहले कि मैं यह आपको नजीरें दूं, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मत जो मैंने व्यक्त किया यह मेरा ही अभिमत नहीं है बल्कि तेरहवां प्रतिवेदन पब्लिक सर्विस कमिशन का है उसके जनरल ओब्जर्वेशन्स के अन्तर्गत जो विचार व्यक्त किये हैं वह भी मैं सदन के समक्ष रखूंगा जिससे मेरे विचारों की पुष्टि बहुत हद तक होती है।

अध्यक्ष महोदय, जनरल ओब्र्वेजशन्स के अन्तर्गत पब्लिक सर्विस कमिशन का अभिमत है।

"The Commission recognise that the Government may, where they are convinced that they have good reason to do so, differ with the opinion expressed by the Commission and may not act in accordance with the advice tendered by them, They are, however, becoming increasingly conscious of the fact that apart from genuine non-acceptance of the advice of the Commission, the Government departments are developing a tendency to avoid a reference to the Commission even where such reference is indicated by the rules, or to render such reference infructuous by delaying it or witholding relevant information over long periods or not acting in accordance with the recommendations of the commission within reasonable time. This is evident from increassing cases of delay and irregularities shown under various heads in the Report. The Commission hope that the Government will take immediate effective steps to curb this tendency for the sake of the good name of the Government and that of the Commission."

यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत रिपोर्ट है उसके अन्दर से भी मैं केवल एक वाक्य निवेदन करूंगा कि जो इस तथ्य का पुनः पुष्टीकरण करता है, वह वाक्य इस प्रकार है :

"प्रतिवेद्यमान वर्ष की स्थिति जैसी भी है, गत वर्ष से कम संतोषजनक रही है।"

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यानि सरकार ने प्रगति उल्टे रूप में की है जिससे पब्लिक सर्विस कमीशन के साहस को और भी विशेष हिम्मत और हौसले से फ्लाउट किया है।

तो पब्लिक सर्विस कमिशन का पुनीत कर्त्तव्य है कि राज्य सेवाओं के लिये अच्छे योग्य व्यक्तियों का चयन करे, यह मेरे खयाल में विशुद्ध शासन प्रणाली के लिये आवश्यक भी है और जनसाधारण का कॉन्फिडेन्स बढ़ाने के लिये, उसको संतोष देने के लिये भी यह परमावश्यक है। पर जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया वास्तविकता इन तथ्यों की ओर न जा कर, सरकार का रवैया इसके विपरीत है। कुछ मामले जो इस विवरण में वर्णित हैं, उनमें से डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटियों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा। विभागीय पदोन्नति समिति है यह मेरे खयाल में अनियमित कार्यवाहियों से भरपूर है। मूलतः इनका गठन भी संतोषजनक नहीं है। एक लीपापोती के लिहाज से पब्लिक सर्विस कमिशन का सहयोग इनके साथ रखा है, वास्तविकता देखी जाय तो यह सरकारी कर्मचारियों के साथ पक्षपात भरी प्रकिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का सिर्फ एक ही सदस्य इन डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी में रहता है और दूसरे विभागाध्यक्ष तीन चार रहते हैं और एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रतिनिधि इन डिपार्टमेंटल कमेटीज में रहता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रतिनिधि है वह पर्पिच्युअल मायनोरिटी में रहता है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि यह संस्था पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्तर्गत है, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। यह कमेटियां मनमाने तौर पर काम करती हैं और नियमों की मनमाने तौर पर अवहेलना कर उनमें रद्दोबदल करती हैं।

(२.४५ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

तो सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को निवेदन करूंगा कि इस तरह की कमेटियों के द्वारा आप अपने अपने पिट्ठुओं की नियुक्तियां करते हैं तो यह एक ऐसी समस्या है, जिसके द्वारा, आपको भ्रष्ट नीति के द्वारा सारी सरकार की नीति में और सारे सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार और पक्षपात फैलाते हैं। मैंने निवेदन किया कि उदाहरण के तौर पर बहुत से उदाहरण इस समबन्ध में न दे कर एक दो उदाहरण दे कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा।

सभापति महोदय, रामानुज शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, वह साहब डिप्टी जेल सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्त हो चुके हैं। पहले वे अन्य विभाग में नियुक्त थे, लेकिन पदोन्नति उनकी होना आवश्यक थी क्योंकि वे मामा है भूतपूर्व गृह मंत्री श्री रामकिशोर व्यास के। श्री रामकिशोरजी भूतपूर्व होम मिनिस्टर थे राजस्थान के, अब जयपुर के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। नियमानुसार पब्लिक सर्विस कमिशन ने कहा कि इन रामानुज शर्मा का स्थानान्तर नहीं हो सकता। बाद में जब आयु सीमा का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो इस दिक्कत को भी कायदों के अन्दर परिवर्तन करके दूर किया गया और आज वे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जेलस हैं। सब कायदे और रूल्स

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की अवहेलना करके एक व्यक्ति की नियुक्ति करके मंत्री महोदय की महत्वाकांक्षा की पूर्ति में सरकार ने यह बड़ा भारी गुनाह किया है, यह सर्वथा अनुचित और अशोभनीय है।

कोआॅपरेटिव विभाग में रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं ऐसे कई उदाहरण हैं, कोई व्यास है, कोई माथुर है, मन्त्रियों के रिश्तेदार हैं। जिनको आपाधापी के लिये पैट्रोनेज देने के लिये इनको स्थान दिये हैं। तो मेरा तात्पर्य यह है कि इन विभागीय कमेटियों के बारे में सरकार को चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन के यदि इसमें मेम्बर्स रखते हैं तो मनमाने रूप से नहीं करें, अपनी इच्छा के अनुसार नियुक्तियां, व्यवस्था नहीं करें और यह जो अबतक फार्स आपने कर रखा है इसको वास्तविक रूप से सत्यता से और प्रतिष्ठा से इन्वेस्ट करें तब तो ठीक है वरना यह फिजूल खर्ची है और पी० एस० सी० को रखना बिल्कुल बेकार सी बात है।

पदोन्नति कमेटीज का वार्षिक विवरण भी सदन के सामने नहीं आता और हम लोगों को बहुत कम जानकारी प्राप्त हो पाती है और हम आप अन्दरूनी तरीके से घर में बैठकर खिचड़ी पकाते हैं तो इन पदोन्नति कमेटीज द्वारा वार्षिक रूप से उनकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होनी चाहिये।

पी० एस० सी० की सिफारिशें किस तरह से होनी चाहिये, किस तरह से उनका डिस्रिगार्ड होता है, अवहेलना होती है इस संबन्ध में भी एक उदाहरण पेश करूंगा। एक यू० डी० सी० क्लर्क किस तरह से डिप्टी डाइरेक्टर आफ लोकल बाडीज बना, उस संबन्ध में भी प्रकाश डालना चाहता हूँ। डाइरेक्टर ऑफ लोकल बाडीज ने एक नया पद सरजन किया और एक स्पेशल ऑफीसर के पदपर उस यू० डी० सी० को जुलाई १९४८ से नियुक्त किया। इन्होंने १९६० तक उस पद पर बराबर काम किया और इस संबन्ध में पी. एस० सी को कोई सूचना सरकार द्वारा नहीं दी गई। जब रिक्विजीशन हुआ सन् १९६० में तो पी० एस० सी० ने पूछा इस संबन्ध में कि यह व्यक्ति किस पद पर है तो उत्तर दिया गया कि वह लीगल ड्राफ्टिंग ऑफिसर के रूप काम कर रहे हैं। जब पी० एस.सी. ने फिर पूछा कि लॉ डिपार्टमेंट की सिफारिश के बिना इनको लीगल ड्राफ्टिंग आफिसर किस तरह नियुक्त किया तो इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। डाइरेक्टर ऑफ लोकल बाडीज ने कहा कि यह स्पेशल ऑफिसर नहीं रखे गये हैं, उनसे लीगल ड्राफ्टिंग का काम लिया जाता है। इस पर पी० एस० सी० ने निर्णय लिया कि यह सर्वथा अनुचित है। ३०-८-६२ को डाइरेक्टर ऑफ लोकल बाडीज ने, इसके उपरान्त भी पी० एस० सी० की राय के विरुद्ध, यह सूचित किया कि इस व्यक्ति को डिप्टी डाइरेक्टर आफ लोकल बाडीज नियुक्त कर दिया गया है और केवल मात्र फारमल सेंक्शन के रूप में सरकार चाहती है कि पी० एस० सी० अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इस तरह बिना मन्जूरी और बिना योग्यता के एक यू० डी० सी० को डिप्टी डाइरेक्टर आफ लोकल बॉडीज नियुक्त किया गया है, यह मेरे खयाल में सरकार के द्वारा एक बहुत बुरा और घृणित कार्य हुआ है।

एक और उदाहरण मैं दूंगा। चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

६ महीने के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई। पी० एस० सी० ने इस संबंध में आर्जी तकरूरी के कागजात मांगे। ये कागज विभाग द्वारा नहीं भेजे गए और न भेजने के साथ हुक्म दिया गया कि इस आर्जी तकरूरी को ६ महीने के लिए और अवधि बढ़ा दी जाय। एक वर्ष इस आदमी ने काम किया। जब पी० एस० सी० ने इस आदमी से इन्टरव्यू की तो इसको अघोषित किया गया और यह सिफारिश की कि उस व्यक्ति को पोलियो विशेषज्ञ के रूप में रखना ठीक नहीं होगा। सरकार ने उत्तर दिया कि वह इन्फेन्टाइल पैरेलिसजि के विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं और इसकी मंजूरी कमीशन द्वारा दी जाय। पी० एस० सी० ने इस सिफारिश को भी टर्न डाउन किया और उस व्यक्ति को अन्फिट घोषित किया। विभाग ने बिल्कुल कोई ध्यान न देकर बहरे कान इस सिफारिश के प्रति देते हुए वह व्यक्ति आज भी उसी जगह काम कर रहे हैं। इस तरह से कमीशन की राय की उपेक्षा की जा रही है।

तो मेरा यह निश्चय अभिमत है कि राजस्थान के कर्मचारी १,५७,६२३ हैं उनके साथ कमीशन को इस सरकार की अधिनायकवादी नीति द्वारा न्याय करने की स्थिति में नहीं रखा है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : सभापति महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग का निर्माण संविधान की धारा १६ की मान्यताओं के आधार पर किया गया था और उसके अन्दर यह स्पष्ट निर्देश है कि राज्य सेवाओं के अन्दर सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जायगा और उसी सिद्धांत को स्वीकार करने के पश्चात् केवल इस दृष्टि से कि कहीं सर्विसेज की भर्ती में, कहीं उनके प्रोमोशन्स के अन्दर, इस प्रकार का भेदभाव न हो और उपयुक्त अवसर योग्य आदमी को न देकर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाय लेकिन दुःख यह है कि जिस बेसिस को लेकर इस कमीशन का गठन किया गया था, आज जैसे मुझसे पूर्व विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि आज इसका गठन भी स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक है कि हम यह नहीं कह सकते कि वहां पर भी निष्पक्षता की जायेगी। आज माननीय सदस्य जानते हैं कि श्री रामचंद्र चौधरी को इस कमीशन में भेजने से पूर्व किस दल विशेष से वे अपना संबंध रखते थे. किस वर्ग विशेष के संबंध उनके साथ चले आते थे और वह अपनी मान्यता के आधार, अपने राजनैतिक आधार पर गंगानगर क्षेत्र में एक अपनी मान्यता रखते थे, अपना लोहा रखते थे लेकिन शासन पर मेरा निश्चित आरोप है, स्वयं मुख्यमंत्री ने श्री कुंभाराम से अपने संबंध बन जाने के बाद श्री कुंभाराम का रास्ता साफ करने के लिए एक माननीय सदस्य को भ्रष्ट करके पी० एस० सी० के अंदर भेजा।

(३ म० प०)

तो आज पब्लिक सर्विस कमीशन को देख कर, उसके गठन को देख कर राजस्थान राज्य का निवासी यह मान चले कि हमें वहां पर सर्विसेज के अपोइन्टमेंट्स में, सर्विसेज के प्रमोशन्स के अन्दर किसी प्रकार का न्याय मिल पायेगा, मैं सोचता

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हूं, यह केवल कल्पना और स्वप्न होगा। आज पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के पास किसी भी विज्ञापन के पश्चात् उनके पास एप्रोच करने के लिये जो भी प्रयास किये जाते हैं वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं। कोइ न नोई किसी न किसी साधन से आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं, उनके पास किसी न किसी प्रकार एप्रोच कर सकें उसकी टोह में लगे रहते हैं। आज पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके अन्दर ७ गजेटेड पोट्स हैं, ८२ नोन गजेटेड पोस्ट है और ३० फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स लगे हुए हैं जिन पर राज्य सरकार चार लाख रुपया सालाना खर्च कर रही है। आज पब्लिक सर्विस कमीशन से जो भी सिफारिशें होती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी निर्देश सरकार को देता है उसकी पालना हमारी सरकार कहां तक कर रही है वह उसके प्रतिवेदन से स्पष्ट हो जाता है और प्रतिवेदन में पब्लिक सर्विस कमीशन ने दुःख प्रकट किया है कि आज सरकार सर्वमान्य सिद्धान्तों को ताक में रख कर उनकी अवहेलना करने पर तुली हुई है। उन्होंने जो रिमार्क दिये हैं उनके समर्थन में कुछ इन्स्टान्सेज बाद में दूंगा। सबसे पहले जो उन्होंने सामान्य ओब्जेर्वेशन किया है उसकी कुछ पंक्तियों को पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

आयोग इस बात को मानता है कि सरकार यदि आश्वस्त हो जाय कि उसके पास ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं तो आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय से असहमत हो सकती है और आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने से मना कर सकती है। फिर भी आयोग का ध्यान इस तथ्य की ओर अधिकाधिक आकृष्ट हो रहा है कि उस परिस्थिति के अतिरिक्त जिनमें आयोग की सलाह नहीं मानने के सही आधार है, सरकारी विभागों में आयोग को मामला न भेजने, जहां आयोग का मामला भेजना नियमों में निर्दिष्ट है, अथवा ऐसे मामलों को देरी से भेजे जाकर उसे निष्फल करने या लम्बे समय तक सम्बन्धित सूचना रोक रखने या यथोचित समय के भीतर आयोग की सलाह के अनुसार कार्यवाही न करने की प्रवृत्ति बढती जा रही है। इसका प्रमाण इस प्रतिवेदन में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत बताये गये देरी व अनियमितताओं के कई मामले हैं। आयोग को आशा है कि सरकार अपनी तथा आयोग की प्रतिष्ठा हेतु इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये आवश्यक एवं प्रभावपूर्ण कदम उठायेगी।"

तो आज पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात को मान कर चलता है कि सरकार की निरन्तर प्रवृत्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के निर्देश को मानने से इन्कार करने की रही हैं और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और उसके समर्थन में उन्होंने कई दृष्टान्त इस प्रतिवेदन में दिये।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में अभी एक इन्स्टान्स विरोधी दल के नेता ने देना चाहा था। उस सम्बन्ध में कुछ तथ्य मेरे पास पहुंचे हैं उसके सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन की किस प्रकार अवज्ञा की जा सकती है इससे अधिक इसकी पराकाष्टा और किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। यह मामला आयु-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वेंद विभाग का है। आयुर्वेद विभाग में श्री जी. के. भट्ट का मामला लीजिये। पेज २३ पर अनियमित नियुक्तियां की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके अन्दर आयुर्वेद विभाग के लिये भिषग विशेषज्ञ की नियुक्ति। इस सारे मामले में इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है। वह सारा श्री जी. के. भट्ट के बारे में है। श्री भट्ट इस विभाग में आने से पूर्व सप्लाई में मामूली से क्लर्क थे। आयुर्वेद विभाग में तीन साल का डिप्लोमा कोर्स पास किया, उसके बाद 'बी' क्लास वैद्य नियुक्त किये गये। उनको 'बी' क्लास वैद्य की नियुक्ति दी गई और उसके अन्दर भी एक सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की गयी। उसमें भी, सभापति महोदय, श्री जी. के. भट्ट का नाम १३ वां था। १३ वे स्थान पर ये 'बी' ग्रेड के वैद्य थे। लेकिन सरकार और विभाग को इस व्यक्ति विशेष को प्रमोशन देना था, दूसरों के हक को मारना था। बी ग्रेड में १३० वें स्थान पर वह व्यक्ति था लेकिन उसको प्रधान वैद्य उदयपुर के अन्दर नियुक्त किया। १२९ व्यक्ति उनसे सीनियोरिटी के आधार पर ऊपर थे उनके अधिकारों पर कुठाराघात करके इस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। इनको उदयपुर में लगाया जाता है। चुनाव आते हैं तो उदयपुर में रखा जाता है। मैं उन केसेज के बारे में बाद में आऊंगा जो मैं बताने वाला हूं लेकिन पहले इस व्यक्ति के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बी ग्रेड में १३० वां स्थान पर था उसको प्रधान वैद्य बना कर ए ग्रेड औषधालय में नियुक्त किया जाता है। इतना ही नहीं उसके बाद इस व्यक्ति को बिना पी. एस. सी. की एप्रूवल लेकर के गजेटेड पोस्ट पर विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया। जो व्यक्ति १३० वें स्थान पर था उसको प्रधान वैद्य बना कर गजेटेड पोस्ट पर फिजिशियन स्पेशियेलिस्ट के पद पर नियुक्त किया। इस व्यक्ति के लिये ३ जून १९६१ को आयुर्वेद विभाग ने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख कर दिया कि इनकी ६ महीने तक के लिये नियुक्ति करना चाहते हैं उसके पूर्व पब्लिक सर्विस कमीशन विज्ञापन देकर किसी की नियुक्ति कर दे और एप्रूव करके भेज दे। इस तरह केवल छः महीने के लिये नियुक्ति की गई।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि श्री जी. के. भट्ट के लिये छः महीने के लिये परमीशन ली गई थी, केवल छः महीने के लिये जयपुर का अनुसंधान केन्द्र है उसके लिये पी. एस. सी. की एप्रूवल ली गई थी लेकिन उसकी बिना चिन्ता किये ही बिना पी. एस. सी. की कान्करेंस के ही, उसके विपरीत इस व्यक्ति को उदयपुर अनुसंधान केन्द्र में लगाया गया। एज ए. स्पेशियेलिस्ट इस व्यक्ति को लगा दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने समय समय पर इस व्यक्ति के बारे में सरकार से रिकार्ड मांगा। डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट होती है विभाग से वह मांगी गई लेकिन कभी भी आयुर्वेद विभाग ने वह रिपोर्ट नहीं भेजी जिसको आयुर्वेद विभाग को भेजना चाहिये था आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र उदयपुर में उसकी नियुक्ति कर दी। वह ६२ का मामला है। मंत्री हैं उनके वह लाडले हैं। उनके विरुद्ध खुले आरोप हैं। खुल कर चुनाव में प्रचार करते हैं। पार्टी पोलिटिक्स में खुल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कर काम करते हैं, चुनावों में काम करते हैं वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, उनको करप्ट करने के लिये आयुर्वेद विभाग के मंत्री का प्रचार करते हैं और पी. एस. सी. से कान्करेन्स ली उसके विपरीत उनको उदयपुर में इसी दृष्टि से लगाया। उययपुर में पहले से ही श्री प्रभुदत्त शर्मा पीलिया बीमारी के विशेषज्ञ थे। पी. एस. सी. से अपोइन्टेड थे। चूंकि इस व्यक्ति को एडजस्ट करना था इसलिये पी. एस. सी. से अपोइन्टेड व्यक्ति को हटा कर इसको एडजस्ट किया गया केवल ६२ के इलेक्शन का फायदा उठाने के लिये एडजस्ट किया और श्री प्रभुदत्त शर्मा जो पीलिया विशेषज्ञ हैं उनको वहां से हटा दिया गया। उन्हें जयपुर अनुसंधान केन्द्र में डाल दिया गया। जयपुर अनुसन्धान केन्द्र में जिस पोस्ट की जगह थी गिनीवर्म विशेषज्ञ की जगह थी उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का किया गया था जिसके अपोइन्टमेन्ट के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी थी श्री रूपशंकर जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा गिनीवर्म विशेषज्ञ के स्थान पर एप्रूव्ड हो चुके थे उनकी नियुक्ति जयपुर में होनी चाहिये थी लेकिन श्री भट्ट को एडजस्ट करने का था उदयपुर। इसलिये उदयपुर में जो थे उनको जयपुर लाया गया और श्री रूपशंकर एक साल तक अबेयन्स के अन्दर रहे। और एक साल के बाद रेवाशंकर की गिनीवर्म विशेषज्ञ के स्थान पर नियुक्ति की।

भीखाभाई के प्यारे श्री भट्ट संग्रहणी के विशेषज्ञ के नाम से आये और वे अनुसन्धान केन्द्र में चले आ रहे हैं। गजेटेड पोस्ट पर नियुक्ति के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन ने बार बार यह मांग की है सन् ६१ से बराबर पब्लिक सर्विस कमीशन परफोर्मा को पूर्ति के लिये कहता आ रहा है। राज्य सरकार के आयुर्वेद विभाग से उनके बारे का जो रिकार्ड है वह मांगता रहा और पब्लिक सर्विस कमीशन यह कहता रहा कि हम इस पोस्ट के बारे में विज्ञापन करेंगे एप्लीकेशन आमन्त्रित करेंगे लेकिन राज्य सरकार उसके लिये किसी भी प्रकार तयार नहीं हुई कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उस पोस्ट के लिये विज्ञापन करवाया जाय। पब्लिक सर्विस कमीशन ने बारबार परफोर्मा की मांग की कि आप जिस स्पेसिलाइज्ड पोस्ट पर नियुक्त करना चाहते हैं आप उसके लिये हमें रिक्वेस्ट नहीं कर रहे और न परफोर्मा ही दे रहे हैं। वह व्यक्ति विशेषज्ञ के नाम से राज्य सरकार से वेतन पाता चला आ रहा है।

श्री जी० के० भट्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने फेल भी हुए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्पेसलाइज्ड पोस्ट के लिये एप्लीकेशन्स आमन्त्रित की गईं। उसमें इन्टरव्यू के लिये ये भट्ट भी आये उनको रिजेक्ट कर दिया गया। डिप्लोमा होल्डर को स्पेसिलाइज्ड पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। स्पेसिलाइज्ड पोस्ट के लिये वह व्यक्ति उपयुक्त होता है जो पांच वर्ष का डिग्री कोर्स पास किया हुआ हो या जिसको पांच वर्ष से अधिक का अध्यापन का अनुभव हो, किसी निश्चित विषय पर अनुसंधान किया हुआ हो, विशिष्ट विषय पर निबन्ध लिखा हो। भट्ट महोदय में इनमें से कोई भी योग्यता नहीं थी वे सिर्फ तीन साल का डिप्लोमा कोर्स पास हैं। अध्यापक का

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिनको अनुभव नहीं इस कारण किसी भी स्पेसिलाइज्ड पोस्ट पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। आयुर्वेद विभाग में इस प्रकार से मनमानी पब्लिक सर्विस कमीशन के स्पष्ट डाइरेक्शन के बाद भी उनके डायरेक्शन की अवहेलना की जा रही है।

भट्ट के बारे में केवल यही बात नहीं गवर्नमेंट के पास जो इनका रिकार्ड है उसके अन्दर भी इस प्रकार की चीजें मौजूद हैं। भीखाभाई के वे खास आदमी हैं। जिस समय आयुर्वेद मंत्री जिनेवा कॉन्फ्रेन्स में गये हुए थे। कोन्स्टीट्यूएन्सी की डिलिमिटेशन की बातें चल रही थीं। भट्ट उदयपुर में बैठे हुए थे उन्होंने जिनेवा पत्र लिखा भीखाभाई के नाम एड्रेस कर के। उसमें यह लिखा कि भीखाभाई आपका निर्वाचन क्षेत्र है उसमें रद्दोबदल की जा रही है आपके साथ विश्वास घात किया जा रहा है, मुख्य मंत्री आपके साथ विश्वास घात कर रहे हैं। इससे कहीं राजस्थान के अन्दर कैरों हत्याकांड की आवृत्ति न हो जाय। इस प्रकार के पत्र के नीचे श्री भट्ट के हस्ताक्षर किये हुए थे। वह पत्र सी० आई० डी. विभाग के हाथ लग गया। उनके हस्ताक्षरों की जांच की वे इन्कार कर गये कि ये मेरे हस्ताक्षर हैं। उसके बाद वे कहने लगे टाइप्ड मेटर है वह मेरे हाथ का नहीं सिगनेचर्स में रद्दोबदल की। आखिर विभाग इसी नतीजे पर आया जिनेवा के लिए जो पत्र लिखा गया था वह श्री जी० के. भट्ट का ही लिखा हुआ था। इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन की अवहेलना कर के एक स्पेसिलाइज्ड पोस्ट पर अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा जहां पर इस प्रकार की मान्यता हो, इस प्रकार की बातें करने के लिए जो सरकार तुली हुई हो पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश को ताक में रखकर काम किया जा रहा हो, तो ऐसी हालत में इस पर जो चार लाख रुपये का खर्च कर रहे हैं वह फिजूल है। संविधान में जो अधिकार पब्लिक सर्विस कमीशन को दिये हुए हैं वे केवल मजाक मात्र रह जाते हैं जब कि उनके आदेशों का पालन नहीं होता। जब आप मनमानी करने बैठे हैं, येन केन प्रकारेण अपने आदमियों को ही लेना चाहते हैं, तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को रखने से कोई फायदा नहीं इसको एबोलिश कर देना चाहिये।

आज आप लापरवाही के कारण समय पर रिक्वीजीशन नहीं कर सकते इस कारण सैंकड़ों अधिकारी अवेटिंग आर्डर्स में पड़े रहते हैं। ६२,६३ के अन्दर कई अधिकारियों को पोस्टिग के आर्डर्स इस्यू नहीं किये गये। उनके आर्डर्स में जो डिले हुई उस कारण लाखों रुपयों का नुकशान राज्य सरकार को हुआ है। और उन अधिकारियों को राज्य सरकार की गलती के कारण अवेटिंग आर्डर्स समय पर इस्यु नहीं किये गये हजारों रुपया वेतन के रूप में उन पर खर्च करना पड़ा। इसी प्रकार सभापति महोदय, ६३ से ६५ के बीच में सत्तर मामले राज्य सरकार के पास आये हैं उनको दस दिन से ८४ दिन तक अवेटिंग ऑर्डर में रुकना पड़ा। इस तरह से इनको वेतन भत्ते के रूप में काफी रुपया देना पड़ा इस कारण राज्य सरकार का ६३ से ६५ तक

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

३६,८७५ रुपये वेतन भत्ते के रूप में देना पड़ा।

आज जब कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात करते हैं तो अपनी असमर्थता जाहिर करती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ आपकी लापरवाही के कारण अधिकारियों के पोस्टिंग आर्डर्स जारी नहीं किये जा सके, पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेस्ट नहीं की गई आखिर इसके जिम्मेदार कौन हैं। आपने इसके लिये किसी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की।

अन्त में एक केस दृष्टान्त के रूप में रखना चाहता हूं। जिसके अन्दर राजस्थान सरकार ने खुलकर पब्लिक सर्विस कमीशन की अवहेलना की है उसका मजाक उड़ाया है इससे बड़ा दृष्टान्त और कोई नहीं हो सकता। मैसूर राज्य को विद्युत अभियन्ता को राणा प्रतापसागर परियोजना पर विद्युत अभियन्ता के पद पर नियुक्त कया गया। इन महाशय के लिए ५ सितम्बर १९६१ को राज्य सरकार द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचना दी गई मैसूर से आये इन महाशय को १ अगस्त १९६१ से ६ दिसम्बर ६२ तक केवल आधी वार्षिक तौर पर नियुक्त किया जाय। उसके बाद ६६ तक के लिये इनकी नियुक्ति के बारे में सरकार ने एप्रूवल चाहा। यह कागज पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आया। सारे केस को एग्जामिन करके इस नतीजे पर आये आसानी से इस पोस्ट को फिल अप किया जा सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य सरकार से मांग की कि राज्य सरकार इस पोस्ट को पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट करे ताकि समय पर विज्ञापन देकर प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये जा सकें और इन्टर्व्यू के पश्चात् आदमी की नियुक्ति की जा सके। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसकी तो चिन्ता ही नहीं की। दूसरी ओर डाईरेक्शन्स दिये गये कि इस अधिकारी की संबन्धित पत्रावलियां उनको दी जावे। उनको भेजने में सरकार ने लापरवाही की और आज स्थिति यह है कि दुबारा रिमायन्डर दिया गया तो विभाग ने जवाब दिया कि उस व्यक्ति की इस स्थान पर नियुक्ति कर दी गई है और वह ६३ तक रहेगा। पी. एस. सी. की रिक्वेस्ट वे खा जाते हैं। पी, एस. सी. रिक्वेस्ट करने के बाद डाईरेक्शन देती है विभाग को। विभाग उसकी परवाह नहीं करता। इस संबंध में जो रिमार्कस इसमें दिये हैं उससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती।

उन्होंने लिखा है :

"आयोग ने पुन : सावधानी से विचार किया है और खेद के साथ यह प्रगट करता है कि उसे अपने पूर्व निर्णय में परिवर्तन करने के लिए कोई भी कारण नहीं दिखाई देता। अभी भी आयोग का यही मत है कि मुक्त रूप से सीधी भरती के द्वारा पद की पूर्ति के लिए आयोग को एक प्रार्थना भेजी जानी चाहिये जिससे न केवल वही अधिकारी, जिसे अनियमित रीति से नियुक्त किया गया है, बल्कि अन्य व्यक्ति भी, जो निर्धारित योग्यताओं की शर्तों के अनुसार योग्य पाये जाए सेवा नियोजन के समान अवसरों को प्राप्त कर सकें जैसा कि देश के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रत्याभूत किया गया है।"

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इस प्रकार का रिमार्क और ऊपर का जो पैरा है उसमें भयंकर रिमार्क देते हुए राजस्थान सरकार को इस पोस्ट के लिये लिखा है ।

जब यह स्थिति चल रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर पी. एस. सी. का गठन. आपने क्यों किया ? पी. एस. सी. का रुप इस प्रकार का है कि राजस्थान के नागरिक आज यह मान कर चलते हैं कि उस पर दबाव और एप्रोच बड़ों का है। वहां हमारी पहुँच नहीं हो सकती ।

इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए नियुक्तियां करने के लिये मेम्बर्स भेजने के लिए सरकार तैयार नहीं है । दल विशेष के ही आदमियों को आप स्थान देने को तैयार हैं वह आज जो सिफारिशें भेजती है उसको भी सीरियसली फोलो करने के लिए यह सरकार तैयार नहीं है। इससे बढ़कर बुरी बात और नहीं हो सकती ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के १४ वें प्रतिवेदन में हर विभाग के बारे में, हर विभाग की नियुक्तियों के बारे में भयंकर रिमार्क्स पी. एस.सी. ने दिये हैं । सरकार गम्भीरता से उन पर विचार करती है तो उसे मानना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने जान बूझकर उसकी अवहेलना की है । और राजस्थान सरकार संविधान की दुहाई देकर आज चाहती है कि राजस्थान की जनता की नियुक्तियों के बारे में पी. एस, सी. से सुझाव अगर मिलें तो गम्भीरता से सारे प्रश्न पर उसे विचार करना चाहिये ।

श्री जावंदसिंह (करणपुर) : गंगानगर में ज्यादा शरणार्थी लोग बसे हुए हैं । धौलपुर में हैं । हिन्दुस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ । वे उधर जाना चाहते थे । पर उन को आज जंगलों में निकाल दिया । उनको उजाड़ा जा रहा है ।

(घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा सा माइक के पास खड़े होकर बोलें ।

श्री चन्दनमल वैद : भाषा की भी इनकी कठिनाई है । इसलिए सुनाई दे रहा है । समझ में भी नहीं आया ।

श्री सभापति : भाषा कैसे शुद्ध हो सकती है, पर सुनाई तो दे ।

श्री जावंद सिंह : लाखों की तादाद के बीच वे शरणार्थी पड़े हैं । बच्चे भूखों रह गये । वे आज वहां इतने तंग हैं कि पानी नहीं मिलता उनको। तो उन लोगों की कुछ न कुछ सुनाई की जानी चाहिए ।

तो उन लोगों को कुछ न कुछ साल छः महीने की दो फसलों के लिये थोड़ी रकम दें और बसाया जावे । इसका इन्तजाम नहीं किया गया तो लाखों की तादाद में लोग तबाह हो जाएंगे । वे घरबार हो जावेंगे ।

श्री सभापति : आप किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री जावंदसिंह : शरणार्थीयों के बारे में बोल रहा हूं, अब पानी के बारे में बोल रहा हूँ ।

(श्री जावंदसिंह)

शरणार्थियों को बेदखल किया जा रहा है। उनको बसाया जावे। उजाड़ा न जावे। इसके अलावा जो किसान को पानी नहीं मिलेगा तो वे लोग किस तरह रह सकते हैं।

(घंटी)

पानी की बहुत कमी है। इसलिए पानी का साधन होना बहुत जरूरी है। ट्यूब वैल लगाकर आप पानी का इन्तजाम करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस समय बहस जन सेवा आयोग पर हो रही है।

श्री जावंदसिंह : दूसरी बात का सवाल ही नहीं है। पानी के बिना सब उजड़ते जा रहे हैं। गंगानगर में जहां बहुत अच्छी फसल पहले होती थी. वहां पानी के नहीं होने से छः आना फसल रह गई है। सरकार को सारी बात मालूम है। जहां पहले लाखों मन करोडों मन अनाज होता था वहां आज हजारों मन भी नहीं हो रहा है। पानी की पूरी पूरी कमी है। कुछ तो फसलें ऐसी भी है जिन को पानी ही नहीं लगा। उनकी लगान माफी की जानी चाहिये। नहीं तो बहुत कठिनाई होगी। यह सरकार के लिये शर्म की बात होगी अगर पानी का इन्तजाम नहीं हुआ तो।

बिजली एग्रीकल्चर के लिये बढ़ाई जावे। पर इसमें पक्षपात और भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से होता जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिये बिजली में गड़बड़ी हो रही है, पानी दे नहीं रहे हैं। जहां आ रहा है, वहां भी बहुत कम पानी आ रहा है। अगर बिजली दे दी जावे तो गंगा नगर का काफी किसान फायदा उठा सकता है।

(घंटी)

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोटा) नहरें नहीं होंगी, तो पी. एस. सी. क्या करेगी वहां पर।

श्री सभापति : वे खत्म कर रहे थे, आपने और बुला लिया उनको।

श्री जावंद सिंह : गवर्नमेन्ट ने पिलाई में भी धांधली बाजी कर रखी है। किसी को दो दो बार पानी मिल जाता है, किसी को एक बार भी नहीं। पानी के लिये भारी अन्याय हो रहा है। जल्दी से जल्दी इसके लिये सुनाई हो। इन्तजाम होना चाहिये।

राजस्थान कैनाल के लोगों को जमीन मिले पांच पांच सात सात साल हो गये। तो इसके लिये पानी की कठिनाई है। हर साल परेशान नहीं करना चाहिये। मेरा तो ख्याल है सरकार की नीति इस बारे में साफ हो जानी चाहिये। ताकि किसान हर साल परेशान न हो।

श्री सभापति : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आमींद) सभापति महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो अपना विवेचन प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। जैसा कि एक नोट प्रसारित किया गया है और उसमें भी आयुर्वेद विभाग और वन विभाग के संबंध में वहां पर अधिकारियों

नोट— × श्री जावन्दसिंह का मूल भाषण पंजाबी में था। आदेशानुसार पंजाबी भाषण का हिन्दी रूपान्तर करवाया गया है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

की नियुक्ति किस प्रकार से की गई और उनके अभाव में वह डिपार्टमेन्ट किस तरीके से चल रहा है

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन-सु०) पाइन्ट आफ आर्डर सर, कोरम पूरा नहीं है । तब तक के लिए सदन स्थगित कर दिया जाये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको इसी समय सूझती है क्या ? पहले से ही हो रहा था यह ।

(गणपूरक घंटी)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि लोकसेवा आयोग द्वारा इस टिप्पणी में जिन जिन अधिकारियों का जिन जिन स्थानों के लिए उनका चयन किया था उनको उन स्थानों पर नहीं रखा आयुर्वेद विभाग ने उनको इधर उधर रद्दोबदल कर दिया और बिल्कुल एक गलत तरीका उन्होंने अपनाया है और दूसरा जो उन्होंने विवेचन किया है चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट्स के लिए यह इस प्रकार की नीति है कि जिसके द्वारा राजस्थान के वनों को किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें उसके संबंध में योजना बनी । उसके जो मुख्य अधिकारी हैं उनके अभाव में हमारे वनों में किस प्रकार से क्या किया जा रहा है या उनको संरक्षण नहीं मिलने की वजह से उनमें जिस प्रकार से तरक्की होनी चाहिए या उसके प्राड्युज़ को किस प्रकार से बढ़ाया जाये वह उनके अभाव से बिलकुल राजस्थान के वन नितान्त कटते जा रहे हैं और उनसे बड़ा नुकसान हो रहा है । तो इस प्रकार की जो आवश्यक नियुक्तियां हैं और जिसके संबंध में राजस्थान में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि यहां इस प्रकार के आदमी नहीं मिल सकें कि उनको चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट्स के स्थान पर नियुक्ति नहीं हो सके मगर क्योंकि सरकार इसके संबंध में पूरी तरह से ध्यान नहीं देकर उस पद को बराबर खाली रख रही हैं जिसकी वजह से यह डिपार्टमेन्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, यहां पर जिस प्रकार से काम होना चाहिए और जो उसके सबोर्डिनेट आफिसर्स हैं उनके ऊपर किस प्रकार से उनकी देखरेख हो ताकि वनों को सुरक्षित रखा जा सके इस अभाव की वजह से इस डिपार्टमेन्ट को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है । इस प्रकार से मैं निवेदन करू सभापति महोदय, कि जिस विभाग में इस प्रकार की प्रणाली बना ली गई है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी दिए जायें और इसके अन्दर इस बात को भी रखा गया है कि मैरिट-कम-सीनियोरिटी को देखकर उन लोगों को चान्स दिया जाता है- सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में मैं निवेदन करू कि सिंचाई विभाग में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अयोग्य होते हुए भी आसन पर या जिस पद पर हैं उनको किसी कारण से भी नहीं बैठना चाहिये ऐसे लोगों की पदोन्नति कर दी गई है । मेरे यहां के जो गुलाबपुरा के असिस्टेन्ट इन्जीनियर एस० डी० ओ० इरीगेशन के हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि वह आदमी इरिगेशन फेसेलीटिज़ किस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है, इरिगेशन देने का क्या तरीका है, किस प्रकार से उनका मेन्टीनेन्स करना चाहिये इस प्रकार से जो इरिगेशन के जितने भी कामकाज हैं उनके सम्बन्ध में उनको

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

किसी प्रकार की जानकारी नहीं है और पता नहीं किन कारणों से वैसे आदमी जो कि ओवरसियर रहने के काबिल नहीं है उसको असिस्टेन्ट इन्जीनियर बना दिया ।

तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के लोगों को पदोन्नत करने की वजह से हमारे विभागों का काम जो कि प्राडक्शन के लिए नितान्त आवश्यक है और जिसकी वजह से आज देश में जितना हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं कम से कम पानी से ज्यादा जमीन को पिलाना चाहते हैं, उसके द्वारा एग्रीकल्चरल प्रॉडक्शन बढ़ाना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो कि बिलकुल अकर्मण्य हैं और उस काम के लिए योग्य भी नहीं हैं उनको बैठा दिया जाता है तो उससे हमारी एफीशियेन्सी कभी नहीं बढ़ सकती । अगर आप इसमें इस बात को और लगा दें कि एफीशियेन्सी कम मैरिट्स और सीनियोरिटी दोनों के लिहाज से उनको प्रमोट किया गया तो ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसे पदों के योग्य नहीं हैं वसे लोगों को उस प्रकार के पदों पर बैठाया गया तो इससे आपकी एफीशियेन्सी भी खत्म हो जायेगी और आपके जितने कामकाज हैं वह भ्रष्ट हो जायेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा करप्शन बढ़ेगा और जिस जनता को आप आराम पहुंचाना चाहते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, उनको फेसेलिटीज देना चाहते हैं वह तमाम चीजें समाप्त हो जायेंगी । इसलिए इन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिये कि एफीशियेन्सी, मैरिट्स और सीनियोरिटी सबको देखते हुए भी उसके प्रीवियस कन्डक्ट कि किस प्रकार से वह ऑफिसर काम करता है, उसने किस प्रकार से काम किया है, करप्शन के सम्बन्ध में, दूसरे मामलों के सम्बन्ध में और कोरे मैरिट्स से काम करने या किसीकी चापलूसी करने से यही कोई मैरिट की चीज नहीं होती है । उसके हर पहलू के उपर ध्यान रखकर प्रमोट करना चाहिये ताकि यहां का एडमिनिस्ट्रेशन सुधरे और अच्छा काम हो और लोग एफीशियेन्सी से काम को कर सकें । इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया और आज जिस प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से प्रमोशन के लिए नामावली बनती है, हालांकि यह होता है कि जो भी प्रमोशन कमेटी बैठती है उसमें भी कई लोगों के अलग अलग पहलू होते हैं और उनके दृष्टिकोण रखते हुए वह लोग उस तरीके से उनको प्रेमोट करने की कोशिश करते हैं । बहुत सी जगह ऐसी बातें सुनी गई लेकिन मैं सुनी हुई बातों के ऊपर यहां पर निवेदन नहीं करूंगा लेकिन जहां तक प्रमोशन कमेटी और जो भी इसके बारे में निर्णय लेते हैं उनको बिलकुल स्टेन्डर्ड का ध्यान रख कर, एफीशियेन्सी का ध्यान रखकर, आनेस्टी का ध्यान रखकर, हर प्रकार की बातों का ध्यान रखकर इस पर निर्णय लेना चाहिये तभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा ठीक हो सकेगा । आज जो सबसे बड़ी बात मुझे अखर रही है वह यह है कि हमने जब राजभाषा हिन्दी अपना ली है तब भी हमारे जितने भी इम्तिहान होते हैं, आर० ए० एस०, आर० पी० एस०, आर० ए० सी० एस० और इस प्रकार के जितने भी हमारे स्टेट के इम्तिहान होते हैं उसमें अंग्रेजी के पर्चे रखे जाते हैं और हिन्दी भाषा का उसमें कोई कम्पलसरी पेपर नहीं है और सिर्फ आप्सनल पेपर है जिसकी वजह से लोग जो हिन्दी भाषी नहीं हैं वह लोग हमारे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा घुसते आ रहे हैं । वह लोग

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हमारी भाषा नहीं समझते, हमारा उनसे सम्पर्क बहुत कम हो पाता है इसलिए यह चाहिये कि जब राजस्थान ने अपनी स्टेट की भाषा हिन्दी को मान लिया है तो हिन्दी का एक अनिवार्य पर्चा होना चाहिये जिसको पास करके लोग यहां ज्यादा से ज्याद अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकें और हमारे लोगों की बातों को समझ सकें और ठीक तरह से यहां के काम काज में हिस्सा बंटा सकें।

इसी प्रकार से जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन लोगों को हमारे यहां लिया जाता है जो कि कमीशन के चेयरमेन और मेम्बर्स होते हैं तो वे भी कम से कम हिन्दी भाषी होने चाहिये न कि दूसरी भाषाओं को बोलने वाले लोग हों ताकि वह हिन्दी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें और हिन्दी स्पीकिंग एरिया के लोगों को इस क्षेत्र में और इन सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दे सकें। इन बातों को ध्यान में रखते तो उसकी वजह से हमारे यहां जितने भी ऑफीसर्स हैं, कर्मचारी हैं वह राजस्थान के लोग या दूसरे जो कि हिन्दी भाषा में काम करने वाले लोग हैं वह इसमें ज्यादा से ज्यादा आयेंगे और उनकी वजह से जो कठिनाइयां आ रही हैं हर पेपर सेक्रेटेरियट से निकलता है तो वह अंग्रेजी में निकलता है। पंचायतों में भी अंग्रेजी में जाता है जबकि सरपंच हमारे अंग्रेजी पढ़ने वाले नहीं हैं। तहसील में और पंचायतों में आदेश जाते हैं वह भी अंग्रेजी में जाते हैं और उसकी वजह से बड़ी कठिनाई होती है तो इन बातों को जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से नहीं चला सकेंगे और लोक सेवा आयोग जो कि एक मुख्य चीज है जिसके अन्दर कि लोग इम्तिहान देकर और उसमें पास होते हैं और अलग अलग पदों पर उनकी नियुक्तियां होती हैं वह लोग जब तक इस प्रान्त की भाषा और इस प्रान्त के लोगों को समझने का सामर्थ्य नहीं रखेंगे तब तक वे लोग ज्यादा एफीशियेन्सी से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकेंगे और सही तरीके से न्याय भी नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए यह आवश्यक चीज है। अगर हम अपने प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं.......

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह तो पहले ही नहीं है।

श्री सभापति : आप गिनते रहते हैं क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब इस प्रकार की व्यवस्था हमारे आयोग के द्वारा नहीं की जाएगी तो यह व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल सकेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हमको नियुक्तियां करनी पड़ती है, उसमें देखना पड़ता है।

(गण–पूरक–घण्टी के पश्चात्)

सभापति महोदय, जहां तक कि टेक्निकल साइड के स्टाफ का सवाल है आज जिस बात को देखना बहुत आवश्यक है कि टेक्निकल आदमियों की कमी रहती है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जैसा कि हमारे प्रान्त में डाक्टरों के सम्बन्ध में, इंजीनियर्स के सम्बन्ध में, ओवरशियर्स के सम्बन्ध में या दूसरे इसी प्रकार के टेक्निकल आदमियों के सम्बन्ध में होता है, जिनका कि हमारे प्रान्त में नितान्त अभाव है और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो इम्तिहान लिया जाता है या जो इण्टरव्यू लिया जाता है उसकी बड़ी लम्बी लम्बी तारीखें दे दी जाती हैं जिसकी वजह से कई दफा हमको इन टेक्निकल आदमियों की सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है। तो यह जो टेक्निकल आदमियों का सवाल है, मैं नहीं कहता कि कोई आदमी क्वालिफाईड नहीं हो उसको भी लाकर बिठा दिया जाय या उसको भी मान्यता दे दी जाय, मगर जो आदमी क्वालिफिकेशन रखता है और जो क्वालिफाईड परसन्स की वहां पर डिमाण्ड है वैसे लोग अगर हमको इस प्रकार से मिल जायं जो कि और जो स्थान खाली पड़े हुए हैं उनके वे योग्य हैं तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को कुछ न कुछ रियायत देनी चाहिए ताकि हमारा जो काम इस तरह के टेक्निकल डिपार्टमेंटस में होता है और जिनमें कि लोक सेवा आयोग के द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो उसकी स्वीकृति के लिए लोक सेवा आयोग को कुछ रियायत देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की कमी रखी जाती है वही कमी रखी गई तो उससे जो हमारे प्रांत के विकास का काम है वह काम रुक जाएगा, उस विकास के काम में बाधा पड़ेगी। मगर रात दिन इस प्रकार की बातें सुनी जाती हैं कि इस प्रकार के टेक्निकल आदमियों की कमी रहती है फिर भी लोक सेवा आयोग स्वीकृति प्रदान नहीं करता और इसकी वजह से कई दफा बड़ी कठिनाई आ जाती है। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और यह जो हमारा आयोग बनाते हैं वह आयोग भी अगर राजस्थान को उसी दृष्टि से देखें कि राजस्थान का हित किस चीज में है, राजस्थान किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है तो इन चीजों की जो कमियां नजर आती हैं वह कमी नजर नहीं आए। मगर जहां पर बड़े २ अफसरों का सवाल है, बहुत सी ऐसी सेवायें हैं जिनकी नियुक्ति यहां पर काम करने वाले लोगों की नहीं करके और उनके अन्दर क्वालिफाईड लोग होते हुए भी बाहर से लाकर बिठा दिया जाता है तो कम से कम लोक सेवा आयोग को जिसमें जहां कि इस प्रकार का प्रावधान है कि लोकल आदमियों को उनकी मेरिट और उनकी एफिशियेंसी और उनकी सीनियोरिटि को देख कर प्रमोट किया जाता तो ऐसे बहुत से स्थानों पर हमारे यहां के लोकल आदमियों को प्रोत्साहन मिलता। उसकी बजाय आप तमाम फाइनेंशियल रूल्स खत्म करते हुए, किन्हीं कारणों की वजह से वैसे लोगों को यहां पर लाकर बिठा दें और उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्वीकृति कर दें तो ऐसी बातों में खास तौर से ध्यान देना चाहिए ताकि राजस्थान की सेवा करने वाले लोग जो कि बरसों से राजस्थान की सेवा कर रहे हैं और उन पदों के योग्य हैं वैसे लोगों को जरूर प्राथमिकता मिलनी चाहिए ताकि हमारा जो काम है वह सुचारू रूप से चल सके और वह व्यक्ति भी तरक्की कर सके।

मैंने पहले भी निवेदन किया था जब कि हमारे यहां के कर्मचारी और हमारे यहां के

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ऑफिसर हैं उन लोगों में राजस्थान के प्रति स्नेह नहीं होगा, राजस्थान के प्रति हमदर्दी नहीं होगी तब तक राजस्थान का विकास होना सम्भव नहीं है। आज जिस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे ऑफिसर्स की है, जिस प्रकार अफसर लोग बाहर से आते हैं या जिनको राजस्थान से मोह नहीं है, वैसे लोगों के द्वारा राजस्थान का हित नहीं हो सकता है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली राजस्थान में हो रही है उसी वजह से यह महसूस हो रहा है कि जैसे सरकार बहुत धीमे तरीके से काम कर रही है। तो इनसे जो है, हमको कम से कम यह मानकर कि आज तो सारा भारत एक है हम नहीं कहते कि राजस्थान में दूसरे लोग नहीं आवें, मगर जो भी आवें कम से कम उनको इस स्थान को अपना ही स्थान समझना चाहिए और पूरी हमदर्दी से काम करना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार की पद्धति चल रही है, देश की प्रगति में जिस प्रकार का अधिकारियों का हाथ होना चाहिए, उनकी जितनी लगन होनी चाहिए, उस कमी को देखकर मैंने पिछली बार जब बहसहुई थी सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, मैंने उस समय भी यही कहा था-हमारे मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहब दोनों ही जी. ए. डी. के यहां पर मौजूद नहीं हैं-- लेकिन मैंने उस दिन यह सवाल किया था कि हमारे यहां पर जो कर्मचारी हों, जो हैड आफ दी डिपार्टमेंट हों वे किस प्रकार के होने चाहिए। मैंने उस समय भी कहा था कि हमने यहां पर समाजवादी समाज की व्यवस्था कायम करने की नीति अपनाई है। वैसी हालत में हमारे अधिकारियों को इस वाद में आस्था रखनी चाहिए और उसी तरीके से काम करना चाहिए ताकि यहां जो समाजवादी ढंग से हम काम करना चाहते हैं, समाजवादी ढंग की जो नीति हम अपनाना चाहते हैं उसमें उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। मगर इस बात की हमारे अफसर हैं उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है जिसकी वजह से बराबर रातदिन यह कहने में आ रहा है। तो यह खास आवश्यकता है कि अगर आप सही तरीके से इस देश की और इस प्रदेश की उन्नति करना चाहते हैं तो आपके अधिकारियों और कर्मचारियों की जिस प्रकार की व्यवस्था हमने अपनाई है और जिस प्रकार की व्यवस्था को हम अपनाना चाहते हैं और देश को पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जितने काम करने वाले हैं उनकी कम से कम इसमें आस्था होनी चाहिए और जो आदमी इसमें आस्था नहीं रखता है उस आदमी को गवर्नमेंट के काम में हिस्सा लेना नहीं चाहिए। उस आदमी के लिए और भी बहुत से क्षेत्र हैं, वह किसी भी क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम इस ओर सही तौर से काम करें और हमारे देश में जो गरीबी है और बेकारी है, हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके देश को प्रगति के पथ पर ले जायं तो उसका यही सिर्फ रास्ता है और वह रास्ता जो है समाजवादी समाज की रचना का रास्ता है और हम इसी रास्ते को अपना कर जो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : सभापति महोदय, लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अन्तर्गत होता है। उसके अन्तर्गत जो कार्य लोक सेवा आयोग को दिया गया है वह है अपोइन्टमेन्ट्स, प्रमोशन और डिसिप्लीनरी एक्शन के केसेज यानि नई नियुक्तियां करनी हो तो लोक सेवा आयोग को पूछा जाना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। प्रमोशन के केसेज भी लोक सेवा आयोग के पास जाने चाहिए और यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई डिसीप्लीनरी एक्शन लिया जाय तो वह भी लोक सेवा आयोग की राय से लिया जाता है। यह आयोग जब गठित किया गया तो उसका प्रावधान संविधान में रखा गया। उस वक्त मंशा यही थी कि यह इण्डीपेन्ट आयोग होगा जो कि सरकार के दबाव में नहीं होगा और और इस कारण इसकी नियुक्ति गवर्नर करता है, मेम्बरान की नियुक्ति। परन्तु अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि कई इसके अन्दर पोलिटिकल अपोइन्टमेंट्स होते हैं। अभी हाल में करीब एक वर्ष पूर्व रामचन्द्रजी चौधरी को अपोन्ट किया गया, वह भी एक पोलिटिकल अपोन्टमेंट ही कहा जावेगा। इसी प्रकार सबसे पहले श्री देवीशंकरजी तिवाड़ी का जो अपोइन्टमेंट किया गया वह भी पोलिटिकल अपोन्टमेन्ट ही माना जायगा।

पोलिटिकल अपोन्टमेन्ट के अलावा कुछ इस आयोग के सदस्य भूतपूर्व सरकार के मुलाजिम हैं। इसमें एक परसेन्टेज होता है कि कितने लोग सर्विसेज के हों और कितने बाहर के। तो जो सर्विसेज के लिए जाते हैं उनमें भी यह देखने में आता है कि वे सरकारी मुलाजिम जो लोक सेवा आयोग के सदस्य बनाए जाते हैं वे भी वे ही अफसर होते हैं जो इन्डीपेन्डेन्ट नहीं रहते बल्कि जिनका रिकार्ड इस प्रकार का रहा है कि उन्होंने हमेशा सरकार की जी हजूरी की है। जितने आयोग के सदस्य सरकारी मुलाजिमों में से नियुक्त हुए हैं उनमें शुरू में लक्ष्मीलालजी जोशी का नाम है। अर्से तक वे इस आयोग के सदस्य रहे और उनका संबंध मुख्य मंत्रीजी से कैसा रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। इसी कारण उनकी इस आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति की गई और वह जब तक रहे इस आयोग के अन्दर उन्होंने जितनी नियुक्तियां वगैरह कीं उनके लिए कहा जा सकता है कि वह पक्षपात रहित नहीं थीं।

इसी प्रकार एक सदस्य, इस समय जो आयोग के सदस्य हैं वे पहले रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमेन थे और जिस जमाने में वे रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन थे उस समय सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार वे मिनिस्टरों के हुक्मों की तामील करते थे मिनिस्टरों के टेलीफोनों पर अदालत के केसेज़ के अन्दर और तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादलों के अन्दर उन्होंने जब तक वे चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहे तो मिनिस्टरों का हुक्म बजाया। उसके एवज में जो उनको दिया गया वह लोक-सेवा आयोग के सदस्य हैं। तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि हमको इसको एक इन्डिपेन्डेन्ट बोडी ही रखना चाहिए और इसमें ऐसे सदस्य नहीं बनाने चाहिए सरकारी मुलाजिमों से या बाहर जिन्होंने केवल सरकार की जी हजूरी की हो, बल्कि इन्डिपेन्डेन्ट सदस्य इसके बारे में नियुक्त होने चाहिए। इस प्रकार के सदस्य

(श्री मान्धातासिंह)

जो नियुक्त हुए हैं लोक-सेवा आयोग में तो उसका नतीजा यह हो रहा है कि सरकारी मुलाज़मत में मिनिस्टरों के कई रिश्तेदार घुस गये हैं, वह भी लोक-सेवा आयोग के जरिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : कई आपके भी रिश्तेदार हैं। मिनिस्टरों के ही रिश्तेदार नहीं हैं।

श्री मान्धातासिंह : मेरा कोई रिश्तेदार सर्विस में नहीं है। इस संबंध में गोविन्द कान्तजी और दामोदरजी व्यास के तीन रिश्तेदार हैं, दो तो उनके भाई हैं....

श्री जेठमल बरवड़ (परवतसर) : क्या वे राजस्थान के नागरिक नहीं हैं? क्या वे योग्य नहीं हैं। अगर मंत्रियों के बच्चे या रिश्तेदार किसी जगह पर जाते हैं तो योग्यता के अनुसार जाते हैं तो आपको क्या एतराज है? आप भी तो थे सर्विस में।

श्री मान्धातासिंह : जो मैं कहना चाहता हूं वह सुन लें पहले। उसके बाद आप की बारी आये तो आप बोल लें।

दामोदरजी के रिश्तेदार हैं भूरामलजी, जेठमलजी ये तो उनके भाई हैं और तीसरे उनके जवाई हैं ताराप्रकाशजी। मथुरादासजी के भाई श्री किशन माथुर, और निरन्जन-नाथजी आचार्य के एक रिश्तेदार है श्री गोकुलेश्वरजी भट्ट। कुम्भारामजी के जवांई राधाकृष्णजी चौधरी हैं और खुद मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं। एक तो उनके दामाद हैं श्री मन्नालाल गोयल और एक उनके साले हैं श्री मन्नालाल आर्य....

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : यह तो बता दें कि श्री मुन्नालाल गोयल उनके दामाद होने से पहले सर्विस में आये हैं या बाद में आये हैं?

एक माननीय सदस्य : यह भी बता दें कि ये कितने योग्य व्यक्ति हैं?

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, नागरिक रसद) : यह भी बतायेंगे कि आर. ए. एस. में उनका सिलेक्शन उनको दामाद होने से पहले हुआ है या बाद में हुआ है।

श्री मान्धातासिंह : उनका सिलेक्शन दामाद होने से पूर्व हुआ है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : फिर क्या कहते हैं?

श्री मान्धातासिंह : परन्तु मेरा निवेदन करना यह है कि इस समय वे हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं जब कि उनसे कई सीनियर लोगों को हैड आफ दी डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया है। क्या कारण है यह तो मंत्री महोदय ही बता सकेंगे कि उनको क्यों हैड आफ दी डिपार्टमेंट बनाया गया है जब कि उनसे वरिष्ठ लोग मौजूद हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : योग्यता?

श्री मान्धातासिंह : चूंकि लोक-सेवा आयोग का गठन इन्डिपेन्डेन्ट नहीं है इसलिए लोक-सेवा आयोग इस तरह से टोलेरेट करता हैं, बल्कि उसमें पार्टनर बनता है इस तरह की नियुक्तियां करने में। केवल मिनिस्टरों के रिश्तेदार ही नहीं लेकिन जो सदस्य हैं

(श्रीमान्धातासिंह)

उसके अन्दर बैठे हैं, जोशीजी उन्होंने श्याम सुन्दरजी जोशी को आर. ए. एस. में सिलेक्ट किया है। उनके एक नजदीकी रिश्तेदार थे ब्रह्मदत्तजी वे जब राजस्थान बना उस वक्त केवल नायब तहसीलदार की पोस्ट पर सिलेक्ट किये गये थे, वे आज डिप्टी सेक्रेटरी हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ब्रह्मदत्तजी किस के रिश्तेदार हैं ?

श्री मान्धातासिंह : श्री लक्ष्मीलालजी जोशी के।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वे सर्विस में पहले से नहीं थे। उनका खानदान शुरू से सर्विस कर रहा था। लक्ष्मीलालजी जोशी आपका जन्म नहीं हुआ उस समय से सर्विस कर रहे हैं।

श्री मान्धातासिंह : लोक-सेवा आयोग का एक कर्तव्य है प्रोमोशन को देखना। इनको जो इतना रेपिड प्रमोशन मिले हैं वे इस कारण से मिले हैं कि उनके रिश्तेदार थे। हाई कोर्ट के जजेज को भी नहीं छोड़ा गया है। राणावतजी के लड़के हैं उनको आर. ए. एस. में लिया गया है। जस्टिस बेरी की लड़की आर. ए. एस. में सिलेक्ट हुई है। लोक-सेवा आयोग में इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति नहीं होने के कारण इन्डिपेन्डेन्ट सिलेक्शन नहीं होता है और न इन्डिपेन्डेन्ट प्रकाशन्स होते हैं।

मैं एक अर्ज और करूंगा कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर एक ऐसा पैट्रोनेज चला रखा है कि अगर उस डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट आफ पेट्रोनेज कहा जाय तो अनुपयुक्त नहीं होगा। उस डिपार्टमेंट के अन्दर यह रूल है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोई शख्स नहीं हो सकता है जिसको कि २ साल का एक्जीक्यूटिव एक्सपीरियन्स न हो। पब्लिक सर्विस कमीशन ने १९४९ के अन्दर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का सिलेक्शन किया, परन्तु दुर्भाग्य से उस सिलेक्शन में मिनिस्टरों के रिश्तेदार नहीं आये। उस डिपार्टमेंट के अन्दर मिनिस्टरों के तीन रिश्तेदार हैं–– श्री किशनजी माथुर जो कि माथुर साहब के भाई हैं, श्री राधाकृष्णजी चौधरी जो कुम्भारामजी के दामाद हैं और श्री गोविन्दकान्तजी जो रामकिशोर व्यास के पुत्र हैं। इन तीनों में से राधा कृष्णजी और गोविन्दकान्तजी का सिलेक्शन १९४९ के अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नहीं हुआ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप किस तरह से हुए थे ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : दामाद की योग्यता से। विरोधी पक्ष के नेता ने दमाद को नहीं किया यह हम मानते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा।

श्री चन्दनमल बैद : नेता महोदय आपके अच्छा नहीं समझते हैं।

श्री मान्धातासिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिस्ट दी है असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स की उसको ६ साल तक दबाये रखा और उसको आउट नहीं किया गया। वह केवल

(श्री मानधातासिंह)

इस कारण से कि मिनिस्टरों के रिश्तेदारों को उसमें सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि उसमें कुछ ग्रेजुएट्स सिलेक्टेड थे । वह लिस्ट आउट नहीं हुई । ६ साल बाद जब ६५ में माथुर साहब कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट के इन्चार्ज हुए तो उन्होंने रूल्स बदले, और रूल्स इस प्रकार से बदल गये कि जिनमें जो लोग रह गये थे वे आ सकें । उन रूल्स के बदलने के बाद में दुबारा सिलेक्शन हुआ जिसमें मिनिस्टरों के रिश्तेदार रह गये थे उनको लिया गया, और जो ग्रेजुएट्स पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट किये गये थे, उनको ओमिट किया गया । यह एक सरकार के लिए शर्म की बात है कि इस तरह से भाई–भतीजावाद फैलाते हैं ।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : क्या उनको देश से निकाल दें । वह आपकी पॉलिसी देश–निकाले की अब नहीं चलेगी ।

श्री मान्धातासिंह : लोक सेवा आयोग एक इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी है उनकी रिकमन्डेशन नहीं मानते हैं । ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट किया गया था उनको नहीं लिया गया और मिनिस्टरों के रिश्तेदार होने के नाते सिलेक्ट किया गया । पब्लिक सर्विस कमीशन ने दो को सिलेक्ट किया था उनके नाम एक तो विजयवर्गीय और दूसरे का नाम हुकमा राम था ।

इन तीन मिनिस्टरों के रिश्तेदारों को जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है उनको असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के बाद में डिप्टी रजिस्ट्रार बनाया गया । उसके लिए भी यह आवश्यक है कि ५ साल तक काम करेगा एज असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार परन्तु इनको ५ साल तक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का काम नहीं करने पर भी डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है । और उसके बाद केवल उसी से सरकार संतुष्ट नहीं रही उनको और भी फायदा पहुंचाया गया । उनमें से एक गोविन्दकान्तजी को डेपुटेशन पर भेजा गया और डेपुटेशन एलाउन्स दिलवाया गया, और श्री राधा कृष्णजी चौधरी को झोटवाड़ा फार्मिग सोसाइटी का चैयरमैन बनाया गया । उस फार्मिग सोसाइटी के अन्दर खुद कुम्भाराम जी के शेयर्स हैं । यह सब सरकारी प्रिन्सीपल्स के खिलाफ है कि इस तरह से रिश्तेदारों को नियुक्त किया जाय । जिस आफिसर के शेयर्स फार्मिग सोसाइटी में हो और दामाद को चैयरमैन सोसाइटी का नियुक्त किया जाय तो उस सरकार के लिए इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है ।

दूसरा, मैं अर्ज करना चाहता हूं बी० डी० ओ० की तकररी के सम्बन्ध में, यानी विकास अधिकारियों को सरकार ने खिलौना बना रखा है । कभी उसको आर० ए० एस० में केडर करते है और कभी डिकेडर करते हैं, वह केवल एक मकसद के लिए कि सरकार को अपने मर्जीदां बी० डी० ओ० को एपोइंट करना होता है

(४ म० प०)

तब तो सर्विस को नोन आर० ए० एस० केडर कर देते हैं, ताकि मर्जी में आवे उसको बी० डी० ओ० अपोइन्ट कर देते हैं । इसमें वह लोग जो पुलिस ओफीसर्स थे वे भी नियुक्त हुए हैं, जो टीचर्स भी थे नियुक्त हुए हैं, एग्रीकल्चर ओफि-

(श्री मानधातासिंह)

सर्स भी नियुक्त हुए हैं। इस प्रकार जिस किसी को भी बी. डी. ओ. लिया गया बाद में इन पोस्ट को इन–केडर आर. ए. एस. कर दिया और आर. ए. एस. में उनका सिलेक्शन करवा दिया। लोक सेवा आयेग की थर्टीन्थ रिपोर्ट की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा जिसके पेज २४ पर लिखा हुआ है—

"A refrerence was made to certain irregular appointment made by the Goverment to posts of Block Development Officers. Thereafter also the Government kept on making appointments to thehese posts from time to time and requested the Commission to grant their concurrence. On the advice of the Commission the Government undertook to draft specific rules for recruitment to these posts and on that basis the concurrence of the Commission for continuance of the temporary appointments was accorded from time to time. No such rules were, however, finalished and the Commission were latter informed that the idea of making separate rules for recruitment to these posts had been dropped."

सरकार ने रूल्स इस वजह से फ्रेम नहीं किये कि रूल्स फ्रेम करने के बाद मनमानी ढंग से जिसको चाहें बी० डी० ओ० अपोइन्ट नहीं कर सकते थे। रूल्स फ्रेम नहीं करने का यही मतलब था कि मर्जी में आवे उसको बनाया जाय। बी० डी० ओज में बडे बडे ओफिसर्स के रिश्तेदार हैं मिनिसस्टर्स के रिस्तेदार हैं और इरेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स हुए हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार निष्पक्षता भाव से अपोइन्ट्स करती है।

जहां तक प्रमोशन का सम्बन्ध है, यह निवेदन है कि पहले प्रमोशन के लिए सीनियोरिटी कम मेरिट का क्राइटेरिया रखा गया था लेकिन अब मेरिट पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सीनियोरिटी के लिए यह कहा जा सकता है कि it is matter of fact और मेरिट के लिए कहा जा सकता है कि it is a matter of opinion सीनियोरिटी तो लिस्ट में है इसलिये इट इज ए मैटर ओफ फेक्ट लेकिन मेरिट किस तरह का है इसके बारे में हरेक शख्स की अलग अलग ओपीनियन हो सकती हैं इसलिये इट इज ए मैटर ओफ ओपीनियन जिसको प्रमोशन देना होगा उसके लिये कह देंगे कि यह मेरिट में आता है और जिसको नहीं देना है उसके लिये कह देंगे मेरिट नहीं है। इसमें मनमानी करने को हैंड मिल जाता है। इसलिये मेरा मतलब यह था कि सीनियोरिटि पर स्ट्रिक्ट होना चाहिये, सीनियोरिटी पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

एक निवेदन और कर दूं. शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के लिये कोटा मुकर्रर कर रखा है वह पूरा नही किया गया है। साढ़ा बारह परसेन्ट कोटा होना चाहिये लेकिन एक्च्युअली देखा जाय तो चपरासियों में ज्यादा से ज्यादा मिनिटसीरियल स्टाफ में

(श्री मानधातासिंह)

शिड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोगों को रख लिया जाता है लेकिन ओफिसर्स में इनका जो रिप्रजेन्टेशन है वह इतना कम है कि शायद १ परसेन्ट भी नहीं होगा। इसलिये सरकार को यह कोशिश करनी चाहियें कि शिड्यूल कास्ट और ट्राइब का जो कोटा है उसको पूरा किया-जाय।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को लोक सेवा आयोग की इंडिपेन्डेन्स की ओर ध्यान रखना चाहिये और आयोग में अपोइन्टमेंट्स किये जायं व निष्पक्ष लोगों के ही किये जायं। इस प्रकार से नहीं किया जाय कि जो लोग सरकार की जी हुजूरी करते हैं या ऐसे लोग जो पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस को बिलोंग करते हैं उनकी एक तरह से पोलोटिकल लाइफ को खत्म करना है इसलिये उनको आयोग में नियुक्त कर दिया जाता है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेंडा): सभापति महोदय, आज राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार के बीच में जो कुछ भी नियुक्ति और सरविसेज के संबंध में मामलात हैं उन पर विचार करने के लिये लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पेश हुई है।

सभापति महोदय, जिस वक्त मोटर पास से गुजरती है पी. एस. सी. की खूबसूरत बिल्डिंग नजर आती है तो ऐसा महसूस होता है कि इसमें बैठ कर इन्साफ होता होगा। उनके द्वारा नियुक्तियों, प्रमोशन्स, अपोइन्टमेन्टस होती हैं उनमें व्यक्तियों को कुछ न्याय मिलता होगा लेकिन वह वाला हिसाब है: "अल हवासे मुद्दई भी मुन्सिफ भी किसे वकील कहें और किसे मुन्सिफ कहें"

श्री चन्दनमल बैद: सभापति जी को वकील करो।

श्री अब्दुल जब्बार: खुद वकील हो गये, खुद मुन्सिफ हो गये तो कौनसी अदालत होगी सेपेरेशन ओफ जुडिशियरी का दावा करने वाले कहें कि हमीं वकील हैं और हम ही मुद्दई हैं। जो कर दिया वह कर दिया। यह लोक सेवा आयोग का आडम्बर क्यों रखते हो। खूबसूरत बिल्डिंग में लोक सेवा आयोग को रख कर कहते हो कि हम सरविसेज में इन्टरफियर नहीं करना चाहते हैं, प्रमोशन उनको देना चाहते हैं जिनको मिलना चाहिये और योग्य आदमियों को लेना चाहते हैं।

सभापति महोदय, इस रिपोर्ट को पढने के बाद ऐसा मालूम पड़ता हैं कि लोक सेवा आयोग की परवाह सरकार नाम मात्र भी नहीं करती है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा पोथा विधान सभा में कांस्टीट्यूशन के तहत पेश किया गया है, विधान सभा के हर सदस्य का कर्तव्य हैं बहस के दौरान कहा जाता है कि फलां का रिश्तेदार है उसको फलां जगह से लिया गया, फलां का लड़का या दामाद ले लिया गया। हमें किसी के रिश्तेदार से दुश्मनी नहीं है, किसी के लड़के या दामाद से दुश्मनी नहीं है। हमें दुश्मनी इस बात के लिये है कि एक राइट आदमी को राइट जगह नहीं पहुँचा कर रोंग आदमी को पहूंचा दिया जाता है, जो हकदार हैं उनके हक को दबोचकर पहुंच जाता है, यह विधान ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी के अधिकार को कुचल कर दूसरे को आगे पहुंचाया जाय। यह खुले रूप से हिंसा होती है, मनसा, वाचा, कर्मणा को मानने वाले अहिंसा परमोधर्मः

(श्री अब्दुल जब्बार)

का नारा लगाने वाले किसी के अधिकार का हनन करते हैं तो हिंसा करते है और यह हिंसा कत्ल की तारीफ में आती है यदि सही माने में अहिंसा परमोधर्म: को मानने वाले हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिये ।

सभापति महोदय, इस किताब में कई जगह रिमार्क्स पढ़ने को मिलते हैं मजेदार रिमार्क्स हैं ! कहा जाता है कि सरकार फलां जगह की पूर्ति फलां व्यक्ति से पूर्ति मत करो । पर सरकार क्या करती है कि पद का नाम ही बदल देती है, तनख्वा और ग्रेड बदल देते हैं और लोक सेवा आयोग की परवाह नहीं करते हैं । कितने ही केसेज के सम्बन्ध में सरकार को आयोग ने तगमा दिया है, वीर चक्र दिया है परमवीर चक्र दिया है इन पन्नों में लोक सेवा आयोग ने उनको चिपका कर मंत्री मंडल को घुमाना चाहिये बाजार में और कहना चाहिये कि देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग हमें यह तगमा देता है, बाद में लोक सेवा आयोग की किस प्रकार मजाक उड़ाई जाती है ।

उदयपुर में भूगर्भ शास्त्री के लिये १० अगस्त को आलेख भेजा, एप्लीकेशन्स मांगी गई और जिन लोगों ने एप्लीकेशन्स और फीस भेजी उनको बुलाया तक नहीं जाता है और परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी जाती है कि फोर्म के साथ फीस तक आयोग को वापिस लौटानी पड़ती है । भला यह कौन से रिश्तेदारी की बात है मैं कहना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग को हम इंडिपेन्डेन्ट बनाना चाहते हैं या उसको सरकार का गुलाम बनाना चाहते हैं ? पी. एस. सी. को सरकार की टांग के नीचे रखना चाहते हैं या इसको सरकार की गर्दन के ऊपर रखना चाहते हैं ? यदि सरकार गैर कानूनी तोर पर प्रमोशन, अपोइन्टमेन्ट्स आदि देती है तो लोक सेवा आयोग को उनकी खिलाफत करनी चाहिये । यदि कांग्रेस हकूमत चलाना चाहती है और उसके हथोड़े में लोहा लगा हुआ है तो मैं कहूंगा कि लोहे की जगह फौलाद लगावे और सरकार के सर पर मारने का आह्वान करे । हमेशा इस बात का दावा करने वाले कि हम जनता की वोइस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो वह वोइस कहां गई ?

इस तरह आवेदन-पत्र मंगवाये जायं, उसके साथ फीस आये और वापिस आयोग कह दे कि क्योंकि मंजूरी नहीं आई है इसलिए हम फीस वापिस कर रहे हैं । ऐसी हालत में उम्मीदवार क्या कहेंगे ? वे कहेंगे कि यह सरकार है या खिलोना है, यह सरकार है या वनिये की दूकान हैं ! जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे रेत के मकान बना कर जब चाहें तोड़ देते है और जब चाहें फिर बना लेते हैं, उस तरह यह सरकार करती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग के साथ में खिलवाड़ न किया जाय । आप प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, मैं कहता हूं कि आप किसी भी नाकाबिल को नौकर रखें–इसमें हमें एतराज नहीं है लेकिन जो सामने वाले का क्लेम पड़ रहा है उसके अधिकार का हनन करने का आपको क्या अधिकार है ? अगर नहीं है तो क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाते हैं ? लेकिन नहीं, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे और जो नीचे की ड्यूटी पर हैं इसको आप टोप पर पहुंचा देंगे....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह चमत्कार हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार : यह जो चमत्कार है, इसे मिटाना पड़ेगा । आप नहीं मिटायेंगे तो हम मिटायेंगे । यह चमत्कार का आविष्कार करें तो शक्ति का प्रयोग करेगा वह मनुष्य जिनके अधिकारों का हनन हुआ है । आपको यह देखना पड़ेगा, यह हालत न हो कि शक्ति का प्रयोग करना पड़े । वैसे मनुष्य शक्ति का प्रयोग नहीं करता है लेकिन जैसे मजबूरी में मनुष्य तंगायद और जंगायद होता है–यह मिसाल है । तो आपने देखा कि अगर आज कर्मचारी लोग नारे लगाते हैं तो कल आन्दोलन में भी उतरेंगे और फिर तोड़ फोड़ की नीति को भी अपनायेंगे । इसलिए यह इस सरकार की जिम्मेदारी है........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। आपकी नहीं चलेगी ।

श्री अब्दुल जब्बार : हम चक्कर में नहीं लेना चाहते हैं । हमारा चक्कर बड़ा नहीं है । आप लोगों ने अपने चक्कर में फांस रखा है, उसको तोड़ेंगे ।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, कई कई जगह इसमें ऐसे केस हैं, जैसे बीकानेर में एक जेल के ऊपर असिस्टेन्ट सुपरिटेंडेंट के लिए लिखा है, वह हिन्दी में लिखा है मैं उसे ट्रान्सलेट नहीं कर सकता, तो असिस्टेन्ट सुपरिनटेन्डेन्ट की जगह लगाया जाता है और वह भी आफिसियेटिंग था, लेकिन उसको सुपरिटेन्डेन्ट जेल बनाया जाता है । उसके लिए आयोग लिखता है कि नहीं, यह इस लायक नहीं है लेकिन आयोग के लिखने की परवाह नहीं की जाती है । इसी तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अन्दर एक व्यक्ति सरप्लस होता है, उसको लेबर डिपार्टमेंट में लगाया जाता है । कहां लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट का आदमी जो सिर्फ यह जानता है कि दूध में कितना पानी मिलाया है, मच्छर कैसे मारे जाते हैं, फिनाइल कैसे छिड़की जाती है, मकान बनाना है तो प्लिन्थ कहां तक होगी । वह सेनीटेशन के बारे में जानता है लेकिन उसको आप लेबर का सुपरवाइजर बना दें, तो आयोग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता । लेकिन आप उसकी परवाह नहीं करते हैं । सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि खास तौर से बड़े दिल की गहराई से लब्ज निकालते हुए कांग्रेस के मेम्बरों को निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आयोग को तो आप इंडिपेन्डेन्ट बनायें । अरे किसी रिश्तेदार का अपोइन्टमेंट होता है तो हम........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इंडिपेन्डेन्ट है, भई ।

श्री अब्दुल जब्बार : कहां है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह कहां नहीं है ?

श्री अब्दुलजब्बार : मैं कहता हूं कि हमारी सरकार हो और उस सरकार के ऊपर ऐसा लांछन आ जाय, तो मैं समझता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सारे डूबोगे ?

श्री अब्दुल जब्बार : सारे डूबेंगे, अगर सरकार जनसंघ की हो और उसके ऊपर ऐसा लांछन लगे ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने जो नगरपालिकाओं में किया है वह हमें मालूम है ।

श्री अब्दुलजब्बार : आपको क्या पता है, अगर नगरपालिका में हम हाऊस टैक्स नहीं लगाना चाहें तो आपको चिढ़ होती है । जनसंघ उनमें नियमों के अनुसार काम कर रहा है और आमदनी ड्योढ़ी कर दी है । यह रिकार्ड है जनसंघ का म्यूनिसिपल कमेटी में ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसी प्रकार, सभापति महोदय, इस आयोग के कई एक रिमार्क्स इतने खतरनाक हैं कि देख कर आश्चर्य होता है । और यह सरकार अपने को सरकार कहलाने की अधिकारी नहीं है । यह सरकार हर काम में मनमानी करती जा रही है, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा सीनियोरिटी कम-मेरिट पर प्रमोशन देने के बारे में, इसका मतलब यह हुआ किन्तु इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आपको इसको डिफाइन करना चाहिए, आप यह डिफाइन कर दें कि मेरिट का मतलब क्या होता है; Whether he is a person qualified for the post, to which he is going to be promoted. लेकिन क्या चीज़ है इस रिपोर्ट में कि जो टेक्निकल काम ही जानता है, जो ट्रेक्टर चलाने वाला है उसको आपने इन्जीनियर बना दिया । भला सोचने की बात है कि जो ट्रेक्टर चलाने वाला व्यक्ति है उसको खेती से क्या मतलब है । लेकिन आप कहते हैं कि उसने दो साल में योग्यता प्राप्त कर ली । ठीक बात है, पच्चीस साल तक कोई वकील के पास मुन्शी होता है तो उसको हाई कोर्ट की सनद मिल जाय कि तुमको वकील बना दिया है क्योंकि तुमने पच्चीस साल तक मुन्शीगिरी की है । तो दो साल तक जिसने ट्रेक्टर चलाया उसको आपने कह दिया कि तुम इन्जीनियर हो गये, खेती कराओ और मौज उड़ाओ । इससे कोई आयोग की इज्जत बनती नहीं है कि एक तरफ सीनियोरिटी-कम-मेरिट की बात करते रहो और इस तरह प्रमोट करते रहो । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी कोशिश करें कि कर्मचारियों में किसी किस्म की भी ऐसी भावना नहीं फैले कि सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है इससे बचने का एक ही तरीका है कि जो लोक सेवा आयोग बना हुआ है, सब काम को उसकी जिम्मेदारी पर छोड़ दीजिये । वह जो लिखता है उसका बराबर जवाब दीजिये । आयोग ने यहां तक बताया है कि फाइल में से कागज चले गये, जो उसने रिमार्क्स दिये हैं उसमें है कि कान्फीडेन्शियल पेपर्स चले जाते हैं । इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात क्या हो सकती है, इस पर सरकार को शर्म आनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मैंने जो लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में निवेदन किया है उसके अन्त में निवेदन करता हूं कि इस आयोग को बिल्कुल इंडिपेन्डेन्ट बनाया जाना चाहिए और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी है तो आयोग के काम में सरकार को इन्टरफीअर नहीं करना चाहिए । अभी तक इस प्रकार के कामों के द्वारा सरकार को कलंकित किया गया है और जनतंत्र कोलंकित किया गया है । उस पर नियंत्रण रखने का, सुपरवीजन रखने का

(श्री अब्दुल जब्बार)

सवाल हैं वह नहीं रख सकेंगे तो लाजिमी चीज है कि जनता को परेशानी होगी क्योंकि कर्मचारी काम नहीं करेंगे अगर गलत कर्मचारियों को आगे बढ़ा दिया जायगा। तो सवाल यह है कि आपने क्या नहीं किया है, पटवारी को तहसीलदार बना दिया, बी. डी. ओ. बना दिया, एक मास्टर को बी. डी. ओ. बना दिया और बी. डी. ओ. को मजिस्ट्रेट बना दिया उसका उससे क्या लेना देना। आप कहेंगे कि वह आर. ए. एस. है लेकिन उसको जुडिसियरी का तर्जुबा नहीं होता है। ठीक है उसकी क्वालिफिकेशन हैं लेकिन क्वालिफिकेशन से यह नहीं कह सकते कि उसमें एक्सपीरियेन्स से क्वालिफिकेशन आ जायगी। इसी प्रकार से प्रेक्टिस में भी होता है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिये। एक यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कर्मचारियों में किसी तरह की अनसेटिसफेक्शन से रिवाल्यूशनरी टाइप की फीलिंग फैले उससे पेश्तर इस तरह का कदम उठायें कि सीनियोरिटी-कम-मैरिट के ऊपर एक क्राइटेरिया बनाया है इसको बदलने की कोशिश करें और सीनियोरिटी पर ज्यादा प्रिफरेंस दें। क्योंकि जहां तक मैरिट का सवाल है उसमें वही भाई भतीजावाद चलेगा, और चलेगा–उसको आप नहीं रोक सकते हैं। तो मैं आयोग को इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में दाद देता हूँ, और हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरे पास जितने शब्द हैं उनसे मैं दाद देना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि आयोग इससे कठोर से कठोर शब्दों का हथोड़ा सरकार के ऊपर मारे। इसके साथ ही मैं सरकार की निन्दा करता हूँ और सरकार की भर्त्सना करता हूँ कि वह आयोग की तौहीन करती है उसकी बेइज्जती करती है और उसको शर्मिन्दा करती है। आयोग के जो लिखे हुए रिमार्क्स हैं उन पर यह सरकार अमल नहीं कर सकती तो इससे बुरी बात और नहीं हो सकती।

श्री सभापति : (श्री मथुरेश बिहारी के खड़े होने पर) आप भी बोलना चाहते हैं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई): सभापति महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन पर चल रही चर्चा पर माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं। संविधान में, भारत के संविधान के तहत अगर कोई अभूतपूर्व चीज मिली है जिससे जनता को और कर्मचारियों को संरक्षण मिल सका है तो वह देनगी हमारे संविधान की–एक हाईकोर्ट और जुडिसियरी और दूसरी थी लोक सेवा आयोग। क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप नहीं बढ़ सके इस कारण से संविधान के तहत यह संरक्षण दिया गया कि प्रेसीडेन्ट की ओर से उसकी नियुक्ति की जायेगी और उनको इंडिपेन्डेन्ट बनाया जायेगा ताकि सरकार, प्रजातन्त्र में चुनी हुई सरकार को हस्तक्षेप करने और मनमानी करने की प्रवृत्ति में कमी कर सके। लेकिन यह जो प्रतिवेदन हमारे समक्ष आया है उसका अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि हमारी सरकार को जिस प्रकार अपने विभागों के अन्दर धांधली और मनमानी करने का अधिकार है उसी प्रकार से लोक सेवा आयोग को महदूद न मानकर, सीमित न मानकर, अपने को असीमित मानते हुए हर बार उनके काम में हस्तक्षेप करती है। इसमें जो आयोग का पत्र दिया गया है, जो

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

सचिव महोदय को आयोग ने दिया–उसको परिशिष्ट १७ में दिया है। उसको पढ़ने से यह साफ जाहिर हो जाता है, यह साफ प्रगट हो जाता है कि लोक सेवा आयोग और सरकार के अन्दर कितना मतभेद है और कितनी उनके मौलिक सिद्धान्तों और अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करने पर यह सरकार उतारू हुई है। किन दलीलों के साथ इस परिशिष्ट में पत्र लिखा –वह सारी बातें इसके अन्दर पूरी पढ़ने से प्रगट होगा। मैं यह कहूंगा कि आपने जो आयोग को परिसीमित करने के लिए कदम उठाया है और जिसके लिए– उन्होंने पत्र लिखकर आपके समक्ष आज से करीब करीब दो वर्ष पहल पेश किया ,उसके लिए आपने अब तक क्या किया और किस तरह से आपने उनके अधिकारों को सीमित करने के लिए जो कदम उठाये, जो इसके अन्दर संशोधन किए तो उन्होंने जिस वक्त दलीलों के साथ लिखा कि यह गवर्नमेंट संविधान के आर्टिकल ३१६ और ३२० के अन्तर्गत अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है–उसका क्या जवाब दिया और उसके जरिये से आपने अपने आपको कितना सुधारा–यह इस रिपोर्ट से कहीं नहीं मालूम होता है। और मैं यह कहूँगा कि जब आप इस हद तक जाते हैं कि उनके अधिकारों को आप केवल इसलिए सीमित करना चाहते थे और संशोधन करने के लिए तैयार थे कि आपको मनमानी करने का अधिकार हो।

इसके साथ साथ जिस तरह इसके अंदर दिए हुए परिशिष्ट और उसमें जो आंकड़े दिए हैं उनकी तादाद की जोड़ लगाने को मिली तो उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि जो कार्यवाही की है वह अनुचित और खतरनाक है। जिसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। आयोग के प्रतिवेदन आज ही नहीं कई बार हमारे सामने पहले भी आये हैं और यह १४ वां प्रतिवेदन हमारे सामने आज आया है। अभी तक इससे यह मालूम नहीं हुआ कि जो आपत्तियें आयोग द्वारा उठाई गईं उनका किस तरह से आपने निराकरण किया और आयोग को इन्डिपेन्डेन्ट बनाने की तरफ कदम उठाया। इसको देखने से ऐसा लगता है कि पिछला प्रतिवेदन है और आपका अभी जो यह प्रतिवेदन आया है उनमें जो आपत्तियें उठाई गई हैं उनका निराकरण नहीं होकर तरक्की हो रही है और बार बार निवेदन करने पर भी आप दो दो तीन तीन वर्षों तक केस उनको रेफर नहीं करते और रेफर करते हैं तो आप उसमें अपनी मनमानी करते हैं और जिसको आप अपोइन्टमेंट दिलाना चाहते हैं उनको आप अपोइन्ट कराते हैं। उनसे तो केवल आप एक मोहर मात्र ही लगवाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपने केवल उसकी मोहर लगाने के लिए ही इस आयोग को कायम कर रखा है। आज आपकी इस १४ वें प्रतिवेदन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह अपनी दयनीय स्थिति को पहुँच चुका है और यह सिद्ध हो चुका है कि सारे मौलिक अधिकार गवर्नमेंट को हैं और आयोग को कुछ नहीं है। इसलिये जब तक इस पर आप अपना स्पष्टीकरण नहीं करते, सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण न आ जाये तो मैं समझता हूं कि ऐसे प्रतिवेदन पर चर्चा करना कोई महत्व नहीं रखता। और यह सब बेकार है। इसलिए इस पर सबसे पहले स्पष्टीकरण आना चाहिये।

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि इसमें यह देखने को मिला हैं कि आयोग के पास जितने केसेज जाते हैं उनका सही तरीके से डिस्पोजल नहीं होता और इसके लिए आप यह कहेंगे कि उनको समय नहीं मिलता और इसके लिए शिक्षा और सर्विसेज के लिए आपने अलग आदमी बनाया और एक आदमी उनका लेकर उनका चयन करना चाहिये। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपके इस आयोग के अध्यक्ष हैं उनको आपने विभिन्न कार्यों में, विभिन्न कमेटियों में कहीं सदस्य और किसी में अध्यक्ष बनाकर उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया है। मैं समझता हूँ कि आप उनको खुश करने के लिए शायद ऐसा करते हों पर उनको सदस्य और आप अध्यक्ष बनायें। वे उस जगह भी काम करते हैं और आयोग में भी काम करते हैं और इस कारण समय का अभाव उनको जरूर होता है। यह सब आपकी नीति के कारण है कि जिसके कारण उनको समय नहीं मिलता और आप उनको दूसरे कामों में लगाते इसका भी असर पड़ता है। जब कोई माननीय सदस्य बराबर कई समितियों में सदस्य हो या आये जाये तो उसका काम सुन्दर नहीं हो सकता। जब आपको यह बात भेजी जाती है तो आप इन्डीपेन्डेन्ट दूसरी कमेटी रख दें ताकि चयन जल्दी हो सके। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इस नीति का स्पष्टीकरण करें कि आपकी इस सम्बन्ध में क्या नीति है और आपके आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं वे किसी और संस्था के सदस्य और अध्यक्ष न हो ताकि आपकी मर्जी पर चलने की चीज है वह नहीं रह सके और वे अपना काम इन्डिपेन्डेन्ट रूप से कर सकें। इसके बाद मैं यह भी कहूंगा कि जिस प्रकार आपने परिशिष्ट १४ भाग (क) में आपने जो अव्यवस्था दी हैं उसकी तादाद १४ वीं प्रतिवेदन से भी प्रतीत होती है कि सरकार ने अपने आप को निरंकुश मान लिया है। विभिन्न विभागों में १४७८ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मामले, एक वर्ष से अधिक, भेजने में विलंब हुआ है दूसरों में ५७५ ऐसे मामले हैं जिसमें २ वर्षों के बाद आपने मामलों को भेजे हैं और उनको आयोग को भेजने और रेफर करने में समय लगा है। इसी तरह ८५६ मामले ऐसे हैं जिनमें ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है जिनकी योग्यता निर्धारित क्वालिफिकेशन की नहीं थी और जो निर्धारित क्वालिफिकेशन थी उनको योग्यता का आधार नहीं रखते हुए भी उनकी नियुक्ति कर दी और जब आयोग ने आपको ऐसे मामले बताये, फिर भी आपने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आप १० या २० मामलों में पक्षपात नहीं करते हो लेकिन हजारों मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और ऐसा करके आपने आयोग को इतना असहाय कर दिया है कि वह सिवाय आपके रेफर किये हुए केसेज में मंजूरी देने के कोई बात नहीं कर सकता है।

मैं आपको स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट का एक मामला बताऊंगा। उसकी एक शाखा तोड़ी गई तो जितने मुलाजिम थे उस शाखा के उन सब को सरप्लस करार दे दिया गया और जब प्रश्न उनको दूसरी जगह एडोप्ट करने का आया तो उनको दूसरी जगह एडोप्ट कर दिया। लेकिन जब पदोन्नति का प्रश्न आया तो मैं कहूँगा कि

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

सरकार ने आंखें मूंद ली और आज उनका दो वर्षों से मामला चल रहा है। केबिनेट से उनका फैसला हो गया कि एज लिमिट को पदोन्नति के लिये ऐसे व्यक्तियों के लिये ध्यान में नहीं रख कर उनको पदोन्नति के लिये आयोग से कहा गया कि उनकी पदोन्नति कर दी जावे। आयोग ने कहा कि एज लिमिट के मामले को आपने ठीक नहीं किया है। इसलिये आयोग उनका इन्टरव्यू नहीं ले सकते। २५० आदमियों का मामला है जो आयोग से सिलेक्शन नहीं किये जाते हैं और उधर डाइरेक्टर महोदय हैं उनके साथ इस तरह से ज्यादतियें कर रहा है कि जो पहले से नौकर थे उनको तो उन्होंने सीनियर बनाये नहीं और जो बहुत बाद में सर्विसेज में आये और जूनियर चल रहे थे उनको सिनीयर बनाया। इसी तरह अन्य विभागों में भी इसी तरह की कार्यवाही चल रही है। आप सदन को बतावें कि आपके पास कौनसी नीति है, क्या उत्तर है जिससे आपने कानून होते हुए भी आयोग को केसेज समय पर रेफर नहीं किये। मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उन उच्च अधिकारियों से जिन्होंने ऐसा किया और मामलों को आयोग के पास रेफर समय पर नहीं किया उनसे कभी एक्सप्लेनेशन लेने की चेष्टा की या उनसे एक्सप्लेनेशन काल करके चार्ज शीट दिया कि उन्होंने नियम के अनुसार लोक सेवा आयोग में केसेज क्यों नहीं रेफर समय पर किये।

इस तरह आपने परिशिष्ट देकर ऐसा चूतक दिया है कि आपके अधिकारी सारे निमयों का उलंधन करते हैं और मनमानी की है और अपने लोगों को अपोइन्टमेंट दिया है। पहले उन्होंने ६ महीनों के लिये नियुक्त किया है और फिर उन्होंने एक्सटेन्शन कर दिया है। इसलिये मैं सभापति महोदय सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप आयोग को क्यों नहीं इन्डिपेन्डेन्ट बना देते। आप क्यों उनके अधिकारों में हस्ताक्षेप करते हैं, आपकी क्या पॉलिसी है उनको इन्डिपेन्डेन्ट बनाने की?

अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो यह आयोग इन्डिपेन्डेन्ट नहीं है और आपके ऊपर यह कलंक रहेगा कि आप अपनी राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में मनमानी करने पर, अपने मनमाने ढंग से अपोइन्टमेंट्स करने में, पदोन्नतियां करने में मनमानी करने पर उतारू हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, अब तक तो लोगों को तसल्ली थी कि सीनियर है तो प्रोमोशन मिलेगा पर अब सरकार ने आयोग पर कुठाराघात किया है सर्विस क्लास के लिए मेरिट कम सीनियोरिटी का नियम पकड़ लिया है। आप चाहे मेरिट कम–सीनियोरिटी की यह दलील दें, लेकिन आपके आज तक के जो कारनामे रहे हैं, जैसे आप आयोग को अयोग्य मान कर अपनी शाखाएं समितियां बना कर मनमानी करते हैं, यह और भी दूषित कदम है सर्विस क्लास के लिये। आप जिसको मेरिट मानें उसका आधार क्या है, उसकी कसौटी क्या हैं, इसकी एक कसौटी जो संविधान में थी आयोग की कसौटी उसको तो आप बेकार समझते हैं और यह कहते हैं कि हैड आफ दी डिपार्टमेंट समझे कि यह मेरिट में अच्छा है तो, उसी को कर दिया। मैं तो कहता हूं आपको सीनियोरिटी को ही मानना चाहिये। जो अधिकारी अयोग्य है, सीनियर है पर

(श्री मथुरेशविहारी माथुर) .

अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है, उसको समय से पहले चार्जशीट देकर रिटायर कर दें। यह जो संशोधन आपने किया है, इससे सारी सर्विस क्लास आपके कदमों को चूमेगी, हैड आफ दी डिपार्टमेंट से ही पदोन्नति मिल सकेगी।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि ये दोनों नीतियां अपनाई हैं आयोग को सीमित करने की, इनको खत्म करें। आयोग के जरिये ही सारी सर्विसेज का चयन होना चाहिये, पदोन्नति की कार्यवाही होनी चाहिये जिस विभाग में जो जो क्वालिफिकेशन्स निर्धारित हैं, उनके अनुसार जो कार्य नहीं कर रहे हैं, एक कलम से आर्डर कर देना चाहिये, जो निर्धारित क्वालिफिकेशन्स में नहीं आते उनको डिमोट कर देना चाहिये, वर्ना पक्षपात पूर्ण नीति असंतोष प्रकट करती है सर्विस क्लास में और जनता में दोनों में ही।

श्री हरि प्रसाद शर्मा (पाटन) : माननीय भीखाभाई पधार गये हैं, उनसे भीलवाड़ा के बारे में वक्तव्य दिला दें।

भीलवाड़ा मिल की हड़ताल के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री का वक्तव्य

श्री भीखा भाई (श्रम मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा के श्रमिकों ने तारीख १५.३.६६ को हुई हड़ताल के दिन की मजदूरी काटने के प्रश्न को लेकर तारीख ६.४.६६ के १० बजे प्रातः से हड़ताल कर दी थी श्रम विभाग के बीच-बचाव से यह हड़ताल आज प्रातः समाप्त हो गई है। श्रमिकों व मालिकों के बीच निम्न समझौता हो गया है :—

(१) तारीख १५ मार्च, १९६६ का वेतन दे दिया जायगा।

(२) तारीख ६.४.६६ से १३.४.६६ तक की हड़ताल की अवधि का पैसा श्रमिकों को अग्रिम (एडवान्स) के रूप में दिया जायगा। यदि एक साल के दौरान कोई हड़ताल की गई तो यह पैसा बाद में वेतन में एडजस्ट कर लिया जायगा।

(३) किसी भी श्रमिक को विक्टिमाइज नहीं किया जायगा तथा जिन १३ आदमियों को सस्पेन्ड किया गया है, उनके सस्पेन्शन आर्डर भी वापिस ले लिये गये हैं।

बोनस का प्रश्न पहले ही इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया है।

अब वहां स्थिति पूर्ण तरह सामान्य है।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : पुराने एग्रीमेंट के अनुसार इस मिल के मजदूरों का वेतन अन्य मिलों के मजदूरों के वेतन के समान करने का तय किया था, उस सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री भीखाभाई : सुना नही, फिर से फरमाइये।

श्री भैरोंसिंह : मिल और मिल मजदूरों के बीच में पहले एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार इस मिल के मजदूरों का वेतन अन्य मिलों के मजदूरों के समान करने का समझौता हुआ था, वह बराबर क्यों नहीं किया ?

श्री भीखा भाई : यह डिस्प्यूट अभी नहीं था। अभी जो हड़ताल हुई वह १५ तारीख को हुई हड़ताल की एक दिन की तनख्वाह के बारे में थी, बोनस की मांग को लेकर नहीं थी। उसमें यह था कि बोनस एक्ट के अन्तर्गत मालिक ने यह कन्टेन्शन किया कि अगर वह प्रॉफिट नहीं करती है तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। आया वह मिल प्रोफिट करती है या नहीं उस प्रश्न को इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया है इसलिए वह विवाद समाप्त हो गया पर उन्होंने हड़ताल कर दी थी उसके वेतन का सवाल था वेतन का चुकारा नहीं हुआ तो हड़ताल करदी वह हड़ताल आज समाप्त हो गई है।

श्री हरि प्रसाद शर्मा : बोनस एक्ट के माफिक पेमेंट नहीं करने के कारण यह हड़ताल हुई ?

श्री भीखाभाई : यह हड़ताल तो एक दिन की १५ तारीख की हड़ताल के पैसे का चुकारा नहीं होने के कारण हुई।

(४. ३० म. प.)

लोक सेवा आयोग के १४ वें प्रतिवेदन पर विचार–विमर्श

श्री चन्दनमल वैद (उपमंत्री, नियुक्ति विभाग): सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि आज इस सदन ने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। और यह उदारता शासन की तरफ से प्रारम्भ हुई और सदन के माननीय सदस्यों को छूट दी कि वे अपने अपने इलाके को अपनी-अपनी कॉन्सटीट्यूएन्सीज की जो अपनी-अपनी समस्याएं यहां रखना चाहें बिना किसी एजेंडा के रख सकते हैं और उसके बाद हमारे माननीय सदस्यों ने जनसेवा आयोग के १४ वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में उदारता का परिचय दिया। बहुत लम्बे समय के बाद आज एडर्जन हो रहे हैं तो सबका मानस यह है कि पिछले दिनों भावावेश में, तेजी में आकर काम किए उनको भूल जाय और आपस में सहयोग की भावना को लेकर जाय।

जन सेवा आयोग की बहस पर कई मुद्दे की बातें उठाई गई हैं और कई इन्डिविज्युअल सर्विसेज की इन्डिविज्युअली जिन लोगों को नियुक्त किया है उनके बारे में मुद्दे उठाये गये हैं, पहले मैं जो यह मुद्दे के प्रश्न उठाये हैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा।

यह मुद्दा उठाया गया कि जो लोग राजनीति में कार्य कर चुके हैं, इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, उनको जनसेवा आयोग का सदस्य नहीं नियुक्त किया जाय। दूसरा मुद्दा यह उठाया कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं उनको जनसेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाय। जो अपने सेवाकाल में सरकार की जी हुजूरी करते रहे हैं उनको जन सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त करने से जनसेवा आयोग जी हुजूरों का जमघट बन जाता है। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि केवल इस बिना पर कोई राजनीति में काम करते हैं, इस विधान सभा के सदस्य बन जाते हैं, उनके सम्बन्ध में यह शंका करना कि अब उनमें निष्पक्षता नहीं रही, अब उनमें इमानदारी नहीं रही, अब उनमें सिन्यिोरिटि नहीं रही है तो मैं समझता हूं वे अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं विरोधीदल के नेता से पूछना चाहूंगा कि वे विरोधी दल के नेता

(श्री चन्दनमल वैद)

है, उनके सम्बन्ध में हम शंका करने लगें कि वे निस्पक्ष नहीं है, अपने भाव न्यायपूर्ण ढंग से रखने में असमर्थ हैं, तो क्या यह शंका उचित कही जा सकती है ? मैं मानता हूं कि हमारे विरोधीदल के नेता में काफी सिन्सियोरिटी है, निष्पक्षता है और मेरे बस का हो तो मैं उनको कहूं कि आप पब्लिक सर्विस कमिशन के मेम्बर बन जाइये । पर क्योंकि आप राजनीति में आ गये, विधान सभा के सदस्य हो गए इसलिये पब्लिक सर्विस कमिशन के सदस्य नहीं बन सकते, यह मैं समझता हूं एक बड़ा अन्याय होगा ।

एक माननीय सदस्य, जो सर्विसेज से आये हैं उनको यह कहते हुए सुन कर बड़ा दुख हुआ कि जितने सर्विसेज के लोग जन सेवा आयोग में आये हैं वे जी हुजूरी हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद यह नतीजा निकलता है कि यह जी हुजूरों की रिपोर्ट है । तो यह कहना कि क्योंकि सर्विसेज से गये हैं, वे सब जी हुजूरी हैं, यह पब्लिक सर्विस में जो सदस्य काम कर रहे हैं उनके साथ अन्याय होगा । जिन्होंने निष्पक्षता से कार्य किया है, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं । जो वहां उन लोगों ने काम किया है, जो पब्लिक सर्विस कमिशन में कार्य हो रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो यह रिपोर्ट आई है, उसमें कितनी निष्पक्षता है, कितनी संजीदगी है, कितना बल है, कितना प्रभाव है, इस दृष्टि से उनके कार्यों को जज करें तो ठीक होगा ।

बनिस्बत केवल इस बात के कि वह राजनीति काम करने वाले थे, वे इस सदन के माननीय सदस्य थे या मन्त्रीमण्डल के सदस्य थे या सेवा-निवृत सदस्य थे, इसीलिए उसका काम निष्पक्ष नहीं है, यह न्याय की बात नहीं होगी । हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए । आखिर जन सेवा आयोग का कर्तव्य क्या है ? उनका कर्तव्य यह है कि जो संविधान में जनता को अधिकार हैं उनकी रक्षा करते हैं या नहीं । आज सर्विसेज में आने का संविधान के अनुसार सब को समान अवसर है ।

दुख इस बात का है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कमीशन में बाहर से आने वाले सदस्य केवल एक हैं और राजस्थान के ज्यादा सदस्य हैं इसलिए वे निष्पक्ष नहीं हो सकते । तो क्या हम मानें कि राजस्थान में रहने वाले लोग कार्य करने का माद्दा या योग्यता नहीं रखते कि अपना काम कर सकें ? यह दकियानूसी बात होगी कि हम अपना काम नहीं कर दूसरों को यहां बुलाएं । यह तो पुराने अंग्रेजों के जमाने वाली बात होगी । हमने अपने देश के काम किए हैं, हमें अपने राज्य के लोगों की खूबी देखनी चाहिए । वे हाई कोर्ट के मेम्बर्स हों, पी० एस० सी० के मेम्बर्स हों । इसी संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को देखना चाहिये और सारी बातों को जज करना चाहिए कि हमारी कमीशन के सदस्यों में कितनी निष्पक्षता के साथ, स्वतन्त्र विचारों के साथ काम किया है या नहीं । अगर वे निष्पक्ष नहीं होते तो फिर इस रिपोर्ट में जो इतनी बातें बताई गई हैं, कहां से आतीं ? इसमें कहा गया है कि

(श्री चन्दनमल बैद)

सरकार ने १७२ अनियमित्ताएं की हैं, टेम्पोररी नियुक्तियां जो की हैं, उनके बारे में आपत्तियां हैं।

इसमें से बहुत से मामले इसलिए रिपोर्ट में दर्ज हैं कि उस साल के दौरान में उनका फैसला नहीं हो सका। अगर हो जाता तो इस रिपोर्ट में वे दर्ज नहीं होते। १७२ में से बहुत सी बातों का फैसला हो चुका है। बहुत सी बातों के बारे में कमीशन की कॉन्करेंस ली जा चुकी है और थोड़े ऐसे मामले रह गए हैं जिनके बारे में कमीशन के साथ पत्र–व्यवहार चल रहा है।

श्री मथरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : कितने केसेज़ का निपटारा हो चुका है?

श्री चंदनमल बैंद : अधिकांश हो चुके हैं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : तादाद बताएं।

श्री चंदनमल बैंद : मेरे कहने का मतलब है कि ६० प्रतिशत से ज्यादा केसेज में कॉन्करेंस दी जा चुकी है, निपटारा हो जा चुका है। बहुत कम ऐसे मामले हैं, जिनमें पत्र-व्यवहार चल रहा है।

इस सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुल तीन मामले ऐसे हैं जिनमें कमीशन ने असहमति प्रकट की। जहां हजारों कर्मचारियों को सरकार भरती करती है उनमें केवल तीन मामले ऐसे हैं जिनमें असहमति प्रकट की है और बाकी सारे मामलों पर, कमीशन ने न मालूम कितने हजार कर्मचारियों का सिलेक्शन किया, उनमें से केवल तीन में सरकार ने असहमति प्रकट की। उन तीन में से एक तो वे हैं जो पोलीटिकल सफरर्स हैं, उनकी एज बढाकर हम सर्विसेज में भर्ती करें या नहीं एक रूल में चेंज करना चाहते थे उसके सिलसिले में कमीशन के साथ थोड़ा मतभेद हुआ। इसके अलावा एक और है। उसके अलावा दूसरा मामला है डाइरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो टेक्निकल पोस्ट्स हैं वे हम उनकी पर्व्यू से बाहर लेना चाहते हैं। तो हजारों मामलों में से केवल तीन में सरकार ने निश्चित रूप से असहमति प्रकट की है, तो यह कोई बुरा रेकार्ड नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं कि कमीशन की हर बात को सरकार मान ले। मैं विरोधी दल के नेता से सहमत हूं कि कभी भी जहां स्टेट के हित का सवाल हो, जनता के हित का सवाल हो या नीति का मुद्दा हो उसमें अगर हम असहमति प्रकट करते हैं तो बुरा काम नहीं करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मेरी आपत्ति पेंडिंग मामलों पर है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर कोई जवाब आप नहीं दे रहे हैं।

श्री चंदनमल बैद : मैं जानता हूं कि कि इस बारे में जितना आदर्श चाहते हैं उस आदर्श के साथ काम नहीं हुआ, लेकिन इस साल से पहले की रिपोर्ट में जहां पांच मामलों में सरकार ने असहमति प्रकट की तो इस साल तीन मामले हैं। तो हमने प्रगति की है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले साल जो रिपोर्ट पेश होगी तो वह इससे बेहतर होगी और दूसरे मामलों में भी प्रगति की होगी। मैं मानता हूं कि कई

(श्री चन्दनमल बैद)

बातों में विभागाध्यक्षों की तरफ से, सचिवालय की तरफ से जवाब देने में देरी हो सकती है लेकिन उस देरी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बराबर विभागाध्यक्षों को पत्र लिखे हैं और परिपत्र लिखे हैं कि ऐसे मामलों में जहां कमीशन की आपत्ति हो तो उसका जल्दी निराकरण करें। बहुत से मामले तो शंका पर आधारित हैं, अगर शंका का निदान समय पर हमारी तरफ से हो जाता तो वे रिपोर्ट में नहीं आते।

श्री सभापति : जो रेकार्ड्स ट्रेसेबल नहीं और अपीलों का फैसला नहीं होता है, पांच साल तक एपेलेंट फिरते हैं, एपेलेंट मर जाते हैं, ऐसे केसेज में सरकार को सीरियस व्यू लेनी चाहिए।

श्री चन्दन मल बैद : यहां जो टेबुल दी हुई है उससे जाहिर है कि पहले से सुधार हुआ है।

श्री सभापति : सुधार और बिगाड़ के बारे में मैं नहीं कहता लेकिन I would like to draw your attention to a case cited at page 50; जिसमें किसी तहसीलदार ने अपील की थी, पांच साल तक वह पेंडिंग रही, रिकार्ड नहीं पहुंचा, रेकार्ड अन्ट्रेसेबल हो गया, मामला चलता रहा, फिर उसकी विडो ने दरख्वास्त दी कि अपील करने वाला मर गया, ऐसे केसेज़ में सरकार को सीरियस व्यू लेनी चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि कुछ इसमें ढील हुई है. सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मामलों में और सचेत रहेंगे, यह विश्वास मैं दिला सकता हूं।

इसके अलावा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ के बारे में सवाल उठाए गए और कहा गया कि इन कमेटीज़ में एक ही जन सेवा आयोग का सदस्य होता है और इनमें बहुमत उनका होता है जो जन सेवा आयोग के सदस्य नहीं हैं, इसलिए जन सेवा आयोग का एक सदस्य होने के नाते वह अल्पमत में होता है, उसकी आवाज नहीं रहती। मैं निवेदन करूं कि ऐसी कमेटीज का चेयरमैन जन सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष होता है और उसकी अध्यक्षता में ही सारी कार्यवाही होती है, एक तरह से उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कार्य का संपादन होता है और कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे उन पर शंका कर सकें। अगर प्रमोशन्स का सारा काम जन सेवा आयोग को सौंप दिया जाय तो मुश्किल होगा, इतना बड़ा काम हो जायगा कि उनके लिए संभालना मुश्किल हो जायगा इसलिए जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ के सदस्य होते हैं वे जन सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को बुलाकर सारे कार्य संपादन करते हैं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : आपने कहा कि हमारी प्रगति पिछले वर्ष से ज्यादा हुई हैं। मैं तो आपका ध्यान सिर्फ एक लाइन की तरफ आकर्षित करूंगा जिसमें लिखा है, कि 'इस वर्ष की स्थिति जैसे भी हो गत वर्ष से कम सन्तोषजनक रही है।' उनका आब्जर्वेशन है, तेरहवीं रिपोर्ट से चौदहवीं रिपोर्ट में वर्क अनसैटिस्फैक्टरी रहा है और बजाय सुधार के कमी आई है। आप कह रहे हैं कि प्रगति हुई है। कौन से ऐसे आंकड़े हैं

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

आपके जिनसे हम मानें कि आपकी तरफ से ज्यादा प्रगति रही ?

श्री चन्दन मल बैद : मैंने आपको अर्ज किया था कि १३ वीं रिपोर्ट को आपने पढ़ी होगा तो आपने देखा होगा कि असहमति के केसेज पांच थे, जब कि १४ वीं रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि तीन केसेज ही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कितने मामलों में पब्लिक सर्विस कमीशन ने असहमति प्रकट की और यह रिपोर्ट पेश करने का मतलब यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यह बताये कि कितने केसेज में राज्य सरकार ने असहमति प्रकट की। कॉन्स्टीट्यूशन में यह है कि सदन की मेज पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह बताया जावेगा कि कितने केसेज में असहमति प्रकट की। मुद्दे की यह बात है। गत साल पांच केसेज में और इस साल तीन केसेज में असहमति प्रकट की। इसलिये हम पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं बल्कि आगे की ओर जा रहे हैं।

इसके अलावा एक प्रश्न यह उठाया गया कि डाइरेक्टर आफ टेक्निकल एज्युकेशन की जो कुछ पोस्ट्स है उनको हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से हटा लिया। क्यों हटा लिया ? किस कारण से हटा लिया ? इसके लिये इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा ३२० (३) के अनुसार हमको यह अधिकार है जिसको में आपके सामने पढ़ कर सुना देता हूं :

'Provided that the President as respects the all India services and also as respects other services and posts in connection with the affairs of the Union, and the Governor, as respects other services and posts in connection with the affairs of a State, may make regula-tions specifying the matters in which either generally, or in any particular class of cases or in any particular circumstances, it shall not be necessary for a Public Service Commission to be consulted.'

इसमें हमारे लिये जरूरी हो गया कि आज आप इस बात को सोचें कि टेक्निकल सर्विसेज में जो लोग हैं उनकी स्थिति यह नहीं है कि टेक्निकली क्वालिफाईड लोग हमारे पीछे फिरें। बल्कि स्थिति इसके विपरीत है। हमें उनके पीछे पीछे फिरना पड़ता है, आप किसी प्रकार आकर नौकरी कीजिये, फलाने कालेज के प्रिन्सिपल बनिये, एग्जीक्युटिव इन्जीनियर बनिये, चीफ इन्जीनियर बनिये, बोर्ड में आइये। इस तरह की स्थिति है। उसके लिये हमारे लिये यह जरूरी हो गया है कि इस पोस्ट को हमारे परव्यू में लाकर इस प्रकार की व्यवस्था करें। डॉक्टर, इन्जीनियर और दूसरी इस प्रकार की टेक्निकल जगह उनके लिये हम उनको बुला सकें और पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आने से बहुत ज्यादा देर हो रही थी तो हमको मजबूर होकर अपने परव्यू में लेना पड़ा। किसी के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि इतने डॉक्टर बेकार फिर रहे हैं और दूसरों को ले लिया। जितने मेकेनिकल इन्जीनियर्स, डॉक्टर्स, वगैरह हमारी सर्विस में जगह खाली है उनको ले सकते हैं। बल्कि स्थिति तो यह है कि बाहर से डॉक्टर, इन्जीनियर्स आदि को बुलाना पड़ता है।

(श्री चन्दनमल बैद)

माननीय सदस्य जानते हैं कि डॉक्टर नहीं मिलते है। केरल से बुलाकर उनको भर्ती किया जाय, यह कहा जाता है। तो वे हमारे पीछे नहीं फिर रहे हैं बल्कि हम उनके पीछे फिर रहे हैं। यह कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्व्यू से निकाल कर अपॉर्चुनिटी को मार दिया जबकि इसके विपरीत स्थिति है। स्थिति यह है कि हमने यह व्यवस्था की है कि हम उन लोगों को जल्दी से जल्दी सर्विसेज में ला सकें कुछ एडवान्स इन्क्रीमेन्ट, ग्रेड इन्क्रीमेंट देना हो तो देकर या बैटर ग्रेड दे सकें तो देकर जिससे हमारे प्रान्त में ऐसे लोगों की कमी है वह दूर हो सके।

सभापति महोदय, एक प्रश्न और उठाया गया कि सरकार मेरिट के आधार पर प्रमोशन करने जा रही है उससे बड़ी धांधली हो जावेगी। मुझे खुशी है कुछ माननीय सदस्यों ने इशारा किया है कि मेरिट और एफिशियेन्सी के आधार पर प्रमोशन करना चाहिये। सरकार अभी भी कुछ पोस्ट्स का सीनियोरिटी और मेरिट-कम-एफिशियेन्सी के आधार पर प्रमोशन करती है और आगे भी करेगी। सरकार का यह आधार है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, सर्विस रिकार्ड जिनका अच्छा है, जनता में जिनके प्रति कोई शंका नहीं है, उनकी सर्विसज़ को रिकग्नाइज किया जाय। हम यह महसूस करते हैं कि जो एफिशियेन्टली काम करते हैं या मेहनत से काम करते हैं उनकी सर्विसेज़ रिकग्नाइज़ होंगीं तो, मैं समझता हूं, हमारी स्टेट की सर्विसज में एक स्प्रिट आने वाली है, एक जोश आने वाला है, उनका मनोबल बढ़ने वाला है घटने वाला नही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): रिपोर्ट में एक ऑब्जेक्शन रखा है जो आरम्भ में मैने पढ़ कर सुनाया था उस विषय में आपने कोई उत्तर प्रदान नहीं किया।

श्री चन्दनमल बैद : आप यहां नहीं विराज रहे थे। मैंने पढ़ कर सुना दिया था। मुझे दुःख है कि आप यहां नहीं विराज रहे थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आयुर्वेद विभाग के बारे में।

श्री चन्दनमल बैद : इन्डिविजुअल बातें हैं उनका जवाब दे देता हूँ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने कहा कि टेक्निकल साइड में सरकार को पी. एस. सी. के अधिकार सीमित करने के अधिकार हैं। आर्टिकल ३१६ और ३२० के तहत बगैर परामर्श के उनके अधिकार को सीमित कर दिया। आप ऐसा कर सकते थे कि नहीं और सरकार की स्पष्ट नीति क्या है? आपने एक जवाब दे दिया कि टेक्निकल साइड में किया, शिक्षा के लिये किया और दूसरे मामले में सीमित किया।

श्री चन्दनमल बैद : ३२० तो मैंने पढ़ कर सुनाया।

श्री सभापति : जब तक रेग्युलेशन ऑफ लिमिटेशन्स ऑफ फन्क्शन्स नहीं करते हैं तब तक गवर्नमेन्ट को अधिकार है। माननीय सदस्य अपने मन्तव्य को स्पष्ट नहीं कर

(श्री सभापति)

सके। उनका शायद यह पूछना था कि नोटिफिकेशन कर दिया। सेप्टेम्बर से नवम्बर तक विदआउट पी. एस. सी. के नहीं हो सकता था।

श्री चन्दनमल बैद : उन्होंने प्रश्न पूछा मैं उसी समय समझ गया था। इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया था। इस सम्बन्ध में विधि विभाग से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि कर सकते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : श्री जी. के. भट्ट के बारे में आप बताने का कष्ट करें।

श्री चन्दनमल बैद : श्री जी. के. भट्ट के बारे में आप बहुत चिन्तित हैं। उनको वहां से रिवर्ट कर दिया गया। जयपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उनको रिवर्ट किया था ४ अप्रेल को। उनके केस में फिर उनको बहाल कर दिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं। उनका जयपुर में स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वापिस ११ अप्रेल को मिनिस्टर कन्सर्न्ड ने बहाल करके रिवर्ट कर दिया।

श्री चन्दनमल बैद : मंत्री महोदय से परामर्श करने के बाद ही जवाब दे रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कब रिवर्ट किया ?

श्री चन्दनमल बैद : १२ अप्रेल को।

(५ म. प.)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ, वह यह कि, सभापति महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट वक्तसर वितरित नहीं होती है। इस सम्बन्ध में जैसा कि मैंने सुझाव दिया कि हर वित्तीय वर्ष के शुरुआत में या दो तीन महीने पश्चात् रिपोर्ट पब्लिश हो जानी चाहिये और सदस्यों में वितरित हो जानी चाहिये ताकि इस महत्वपूर्ण आयोग की रिपोर्ट पर बहस हो सके। क्या यह संभव नहीं है ?

श्री चन्दनमल बैद : इसमें दिक्कत यह है कि यह रिपोर्ट ६४ के दिसम्बर में प्राप्त हुई उसके बाद हिन्दी का अनुवाद कराना जरूरी था, क्योंकि हमारी प्रक्रिया के अनुसार हिन्दी का अनुवाद आवश्यक है, इसमें कुछ देर लगी, साल भर तो नहीं कह सकता, आठ-नौ महिने देर से आयी है और हमें भी कुछ समय लग गया है अन्यथा इस बारे में यह मन्शा नहीं कि रिपोर्ट आ जाय और हम सदन के सामने न रखते हों हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी रिपोर्ट हमारे पास आये उसको जल्दी से जल्दी पेश किया जाय।

श्री सभापति : और किसी माननीय सदस्य को किसी बात के बारे में पूछना हो तो पूछ सकते हैं :

(५.०२ म. प.)

शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति अध्यापकों की नियुक्ति

विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : सभापति महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उसका जवाब दिलवा दिया जाय।

श्री सभापति : न शिक्षा मंत्री उपस्थित हैं और न उप-शिक्षा मन्त्री। दोनों ही उपस्थित नहीं है। अगर कोई होता तो मैं उनसे अनुरोध करता।

राज्य में खाद्य–स्थिति विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सभापति महोदय, खाद्य–स्थिति के बारे में मैं एक समस्या की ओर खाद्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस विषय में कुछ स्पष्टीकरण कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, आज ऐसी स्थिति है कि आपने अभी हाल ही में जो गेहूँ की निर्धारित रेट थी ६५ रु० उसका जो नोटिफिकेशन था उसको विथड्रा कर लिया है लेकिन मंडियों के अंदर आपके एनफोर्समेंट ऑफिसर, अपना काम दिखाने में लगे हुए हैं। एक प्रकार का कैम्पन चला रखा है अपनी रोजी के लिये। वे जो इन्दराजात व्यापारियों की वही में हैं इन्क्लूडिंग टैक्स वह ६५) से ज्यादा पड़ता है। आपके नोटिफिकेशन में ६५) रुपये का भाव था वह इन्क्लूडिंग टैक्स था। लेकिन मंडियों में जो आढ़त का काम करते हैं, व्यापारी हैं उन्होंने अपनी आढ़त लेकर बारदाना का पैसा लेकर अपने माल को ले गये, बाहर भेजा जो उनकी वही खातों में दर्ज था। उसको अब एनफोर्समेंट ऑफिसर उन इन्दराजात को लेकर एक एक मंडी में सैकड़ों की तादाद में केस बना रहे हैं। केस बनाकर डी० आई० आर० में और ३०७ में पुलिस में रिपोर्ट दे देते हैं। उन व्यापारियों को अब अपने अरेस्ट की फिक्र है। जिन मामलों में एप्रोच हो जाता है उनको दबा दिया जाता है बाकी के लिये पुलिस के अन्दर चालान दे रहे हैं। खाद्य मन्त्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग आढ़त लेते हैं वे मजदूर हैं, जो मंडी का खर्चा लेते हैं बारदाना का खर्चा लेते हैं वह कोई गेहूं की कीमत नहीं इसलिये उनका प्रॉफिटियरिंग का प्रश्न पैदा नहीं होता। क्या इस बारे में आप स्पष्टीकरण करके आप अपने एनफोर्समेंट अधिकारियों को हिदायतें देंगे?

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बोहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन स्थगित हो रहा है आगे जब मिलेंगे उस बीच में पहले तो म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में शरीक होंगे उसके बाद जनरल इलेक्शन आ जायगा।

ए खाक नशीनों उठ बैठो वह वक्त करीब
आ पहुँचा है,
जब तख्त गिराये जायेंगे जब ताज उछाले
जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : मुझे पता नहीं वान्दीकुई से आने वाले

(श्री नाथूराम मिर्धा)

माननीय सदस्य ने जो बात कही वह किस एरिया से सम्बन्धित है वह मैं कह नहीं सकता। जो भाव ६५) रुपया निर्धारित किया गया था। ऐसी हालत में अगर किसी ने आढ़त के पैसे ज्यादा लिये हैं तो वह ऑफेन्स तो कमिट किया ही है। ६५) रुपये के अन्दर सारी चीजें इन्क्लूडेड है। इस तरह से उनका ऑफेन्स तो बना है। आप मेरे नोटिस में लाये कहां के मामले हैं ऑफ हैन्ड तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना मैं मानता हूं यदि इस तरह से आढ़त ली है ६५ से कितना ज्यादा लिया है? ज्यादा लिया है तो वह ऑफेन्स तो है ही। कानून जो हमारा था इस बारे में साफ था। कितने पैमाने पर कहां इस प्रकार का प्रॉब्लेम है डिटेल्स मैं जानता नहीं इसलिये मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं क्या समाधान किया जा सकता है?

एनफोर्समेंट इन्स्पेक्टरों के यदि यह बात नोटिस में आती है तो उनका कर्तव्य है कि वे उनको पकड़ें। आप कहते हैं कि वे कमाने के लिये कर रहे हैं, कुछ दबा देते हैं आप इस बारे में पर्टीकुलर और स्पेसिफिक इन्सटांसेज दीजिये ताकि सीनियर लेवल आफिसर हमारे, उनको देख सकें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, मेरे पास गंगानगर, नोहर से तार आये है उसमें लिखा है कि चना मन्डियों में सड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि कम से कम चना सड़ना तो नहीं चाहिये। आप बाहर नहीं भेजना चाहते तो कम से कम उसको सड़ने न दें। बाहर नहीं भेजने की जो हठधर्मी है या आपकी नीति है वह आप जाने। मेरा तो यह निवेदन है कि आप चने को सड़ने मत दीजिये। तार में जो आरोप लगाये गये है वे कहां तक ठीक हैं कह नहीं सकता? तथ्यहीन बात हो तो आप प्रकाश डाल दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : नोहर से तार मेरे पास भी आये हैं और भी माननीय सदस्यों के पास भी आये होंगे। यह चना जिसके लिये बात करते हैं वह व्यापारियों का चना है। हमने जो यह शर्त रखी थी कि पचास प्रतिशत चना हमें दें और पचास प्रतिशत बाहर भेज सकते हैं। उसी के अन्दर का बचा हुआ चना है। व्यापारी चाहते हैं कि हम उनको बाहर भेजने के लिये इजाजत दे दें ताकि वे मनचाहा मुनाफा कमा सकें। दर असल यहां के व्यापारियों की नीयत यह मालूम देती है कि हमें माल बाहर भेजने की इजाजत दे दी जायगी। वे हर लेवल पर कोशिश करते हैं। यहां तक कि जब दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जोन तोड़ने का प्रश्न आया तो इन व्यापारियों ने यह अन्दाज लगा लिया कि जोन अब टूट जायेंगे और उनका माल ऊंचे भावों पर बिकेगा। उनको यह आशंका थी उनका माल बाहर जाने दिया जायगा। अभी तक जोन्स के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ फिर भी जिस प्रकार के डिसकशन्स हुए उससे ज़ोन्स के तोड़ने के खिलाफ काफी लोगों की राय थी। अभी तक इस बारे में केन्द्रीय सरकार की केबिनेट ने फैसला अभी तक नहीं किया कि ज़ोन्स रहेंगे या क्या सिस्टम रहेगा? जो बहस हुई उससे यह समझा गया कि ज़ोन्स वैसे

Page No. 123

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के वैसे रहने वाले हैं। जोन्स इसी प्रकार रहते हैं तो राजस्थान के बाहर चने को ले जाने की किसी भी हालत में इजाजत नहीं दे सकते। यह वह चना है जो व्यापारियों ने पुराना ले रखा है, वही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह चना सड़ तो नहीं रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं सड़ रहा है यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि चना यदि ज्यादा दिन पड़ा रहता है तो वह खराब जल्दी होता है। हमने इस चने को फूड कॉर्पोरेशन की मार्फत खरीदने की व्यवस्था की है ऐसा चना फूड कॉर्पोरेशन ५५ रुपये क्विन्टल के हिसाब से खरीद ले। ५५ रुपये क्विन्टल में व्यापारी लोग वेचने के लिये तैयार नहीं दिखते।

फूड कॉर्पोरेशन को सारे राजस्थान से कोई भी व्यापारी बेचना चाहे उसके लिये कॉर्पोरेशन ने टेन्डर्स इन्वाइट किये हैं। व्यापारी चाहते हैं कि ६१,६२,६३ के भाव खरीदे तो वे दे सकते हैं लेकिन जिस प्रकार की क्वालिटी है उसमें कॉर्पोरेशन उतने पैसे देने को तैयार नहीं। व्यापारी यह दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि नया चना आयगा उसको फिर गोदाम में रख लिया जाय और जो पुराना है वह बाहर भेजने की इजाजत चाहते हैं। उनके दिमाग में यह है कि शायद जोन्स समाप्त हो जाय और हमें इजाजत मिल जाय। व्यापारियों के दिमाग की कल्पना व्यापारी जानें। राजस्थान सरकार का फैसला है सरप्लस जो पुराना चना है वह कॉर्पोरेशन की मार्फत हम खरीदने के लिये तैयार है और आगे भी रहेंगे। समय समय पर टेन्डर्स द्वारा खरीदने का सिस्टम फूड कॉर्पोरेशन ने रखा है। ३१ मार्च तक कॉर्पोरेशन को चना वेचेगा उसकी लिमिट ५५ रुपया क्विन्टल रखी है। उसके बाद ५२ रुपया क्विन्टल ही खरीद सकेंगे। लेकिन व्यापारियों ने बेचा नहीं। उनका ज्यादा कमाने का दृष्टिकोण है। इसी दृष्टिकोण को लेकर कोई चने को सड़ाता रहे तो जबरदस्ती तो खोसना हमारे हाथ में नहीं है।

इसलिये हम, जो हमारा इरादा है, उसे बिल्कुल साफ तौर से सारे राजस्थान के व्यापारियों के सामने जाहिर कर चुके हैं और उसमें परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नही है। अगर वे अपना माल नहीं वेचने चाहें तो उनकी मरजी की बात है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : मन्त्री महोदय ने अभी जो कहा कि लोक सेवा आयोग ने प्रगति की है इसे देखते हुए शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स ने कितनी प्रगति इसके सहारे से की है, इसका जरा विवरण समझा दें—और।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): मन्त्री महोदय ने कहा कि वे बाहर का व्यापार फूड कॉर्पोरेशन की मार्फत करेंगे। पर इसमें मुझे यह शंका है कि इन दिनों चना फसल का किसानों के हाथ से उनके खेतों से आरहा है। इन दिनों तो चना बाहर नहीं भेज रही है सरकार इसलिये किसान को बाहर भेजने से जो बाजार के ऊंचा जाने की सम्भावना है उस सम्भावना से होने वाला लाभ उसको आज नहीं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मिलेगा, पर दो चार या छः महीने बाद जब कि किसान से लेकर व्यापारी अपने पास स्टॉक कर लेंगे तब उनको कहीं बाहर भेजने की इजाजत तो नहीं दे देगी ? एक बात ।

दूसरी बात यह बताइये कि आगे की मैं इसलिये कह रहा हूं कि किसानों को तो आज सस्ता देना पड़ रहा है पर व्यापारियों की होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी हुई है तो आगे जाकर आप उनको परमिशन दे दें बाहर भेजने की तो लूट का सारा माल उनके हाथ लगेगा और महंगा बेचेंगे और उसमें काफी कमाई करेंगे ।

क्या इसके लिये सरकार सदन को आश्वासन देगी कि जब भी चना भेजा जावेगा बाहर तो फूड कॉर्पोरेशन के मार्फत ही भेजा जावेगा, किसी प्राइवेट व्यापारी के मार्फत कभी नहीं भेजा जावेगा ।

अब जिनको आपने होल्डिंग करने का लाइसेन्स दे रक्खा है कि वे एक हजार मन, दस हजार मन, लाख मन जितना चाहें गल्ला होर्ड कर सकते हैं और फिर वे भाव के ऊंचे बढ़ने की इन्तजार करते रहें, गोदाम की व्यवस्था ठीक से उन के पास होती नहीं, भाव की इन्तजार में समय निकलता जाता है और इस तरह से वह पड़ा-पड़ा गोदामों में सड़ने लगता है और कम होता जाता है, तो वह अनाज व्यापारियों के घर की सम्पत्ति नहीं हो सकती, राष्ट्र की सम्पत्ति है उसको अगर व्यापारी बाहर नहीं निकालता है तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ? सरकार को उनको कहना पड़ेगा कि चने का एक दाना भी उनके पास सड़ गया तो डी. आई. आर. की तहत उन पर कार्यवाही की जावेगी ।

श्री जुगलाल (रावतसर) : जयपुर जिले में जौ की हालत खराब हो रही है । ७५ रु० में बिक रहा था आज ५०) का हो गया है । जौ राजस्थान में काफी है, इसकी भी निकासी होनी चाहिये इस साल भाव और गिरने की उम्मीद है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, तीन मुद्दे सामने हैं । भीलवाड़ा से आने वालों ने दो मुद्दे रखे । एक तो यह कि आज तो आपने यह नीति बनाई कल नया चना आवेगा तो उसके बाद में किसानों के पास से तो सस्ता व्यापारियों के पास चला जावेगा और फिर व्यापारियों को आप छूट दे देंगे बाहर भेजने की । तो इससे किसानों को घाटा हो जावेगा ।

मैं सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि आने वाले साल के लिए राज्य सरकार की यह नीति रहेगी चाहे वह जौ हो चाहें चना हो या और कोई धान हो जो राजस्थान में सरप्लस होगा उसकी खरीद का काम फूड कॉर्पोरेशन करेगा और वह नया चना हो या पुराना हो, सारा का सारा जो सरप्लस होगा वह फूड कॉर्पोरेशन खरीदेगा और वही बाहर भेजेगा, एक लिमिट नये पुराने चने की ५५) की अमुक तारीख तक की थी । इसके बाद आवेगा तो ५२) तक करेंगे तथा नया और पुराना चना कुल मिलाकर किसान चाहे

(श्रीनाथूराम मिर्धा)

कार्पोरेशन को बेचे या व्यापारी कार्पोरेशन को बेचे हमारी लिमिट ५५) क्विन्टल तक कार्पोरेशन के खरीदने की रहेगी इससे ज्यादा सरप्लस होगा वह कार्पोरेशन राज्य की जरूरत के मुताबिक यहां रखने के बाद बाकी की जितनी जितनी दूसरी स्टेटों की जरूरत होगी स्टेट टू स्टेट बेसिस पर फूड कार्पोरेशन की मार्फत बेचेंगे । व्यापारी बेचेगा तो भी कार्पोरेशन वही प्राइस देगा जो किसान के बेचने पर उसे मिलेगी । यह आगे आने वाले चने की बात कही ।

दूसरी बात कही कि चना खराब होता है तो स्टॉक करने पर पाबन्दी क्यों नहीं होनी चाहिये ।

माननीय सभापति महोदय, जो अपना कानून है नियम है और उनके तहत लाइसेंस होल्डर या डीलर जो फूड ग्रेन का व्यापार करता है उसको लाइसेंस लेने के बाद और सरटेन फार्म्स में डिक्लेरेशन देने के बाद चाहे जितना स्टाक चाहे जिस नाज का रख सकता है । इसलिए इससे ज्यादा पाबन्दी लगाने की आवश्यकता सरकार नहीं समझती क्योंकि आफटर ऑल व्यापारी भी कमाई के लिए व्यापार करता है । देश का धन बरबाद करने के लिए नहीं करता । अगर जानबूझ कर नुकसान करेगा तो उसका भी तो लाखों रुपया डूबेगा । इसलिए ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिये कि इसमें वे अपना नुकसान करेंगे राष्ट्र का नुकसान करने के लिए और इसलिये उन पर कोई नई पाबन्दियां लगायें कि वे स्टॉक नहीं रख सकते, उसे खराब होने से पहले पहले सरकार को या कार्पोरेशन को अमुक भाव पर बेचना ही होगा ; तो यह व्यापार की स्वतन्त्रता के संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के भी विपरीत होगा । यह हम नहीं कर सकते । फिर यह मानकर चलिए कि व्यापारी अपना नुकसान नहीं करेगा । हो सकता है एक दो परसेन्ट क्रैंक आदमी हों जो ऐसा भी कर डालें ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उनके पास गोदाम नहीं है । मरजी आवे वहां रख देते हैं । लालच के मारे पड़ा रखते हैं और इस तरह से वह सड़ता रहता है । तो इसमें नुकसान राष्ट्र का भी तो है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे भी तो इस लालच में खराब होते हैं । इसलिए उस लिमिट तक जाने की जरूरत नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लाइसेन्स में भी तो गोदाम रखने के लिए उनको जरूरत पड़ती है । पर जितना देश में सड़ता है वह उन्हीं लोगों के यहां सड़ता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं कि अमुक स्थान पर इतना इतना चना या अन्य अनाज पड़ा है । तो इसलिए कोई आदमी जानबूझकर अपना माल खराब नहीं होने देगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक बात पूछना चाहता हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले ये तीन जवाब पूरे कर दूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जरा सी धौंस तो दे दो उनको ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, आज राठौड़ी जमाना नहीं रह गया है कि हम जैसा माननीय सदस्य कहते हैं वैसे धौंस दे दें। बिना किसी कानून के धौंस आज व्यापारी भी नहीं मानता। फिर रूल्स में काफी धौंस हो गई है। यह मैं खुलासा कर चुका हूं कि बाहर वे भेज नहीं सकेंगे। फूड कार्पोरेशन की मार्फत ही माल राजस्थान से बाहर जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके पास कानून है, उनकी तबियत ठीक कर दो।

श्री नाथूराम मिर्धा : भाई ज्वालाप्रसाद जी........

श्री सभापति : वे भी धौंस ही दे रहे हैं, जवाब देने जैसी कोई बात नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक जौ कि बात कही गई....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ये भी धौंस की बात कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ऐसा नहीं मानता उनको।

तो जहां तक जौ का प्रश्न है फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ७५) के भाव से उतर कर ५०)पर भाव आ गए। तो ये भाव तो डाउन वर्ड जावेंगे। आज छिपा हुआ जौ व्यापारी बाहर निकाल रहा है। उसे पहले उम्मीद थी कि बाहर भेज सकेगा, पर अब निराश होकर बाजार में निकालेगा तो भाव तो गिरेंगे। फिर हमारी नई व्यवस्था से उनको आशा नहीं रह गई, और नई फसल भी आ रही है।

अब जौ के बारे में भी हमने जो व्यवस्था की है वह मैं बता दूं। वैसे जौ के राजस्थान से बाहर जाने पर पाबन्दी लगा रक्खी है। पर मिलिटरी परपजेज के लिए मिलिटरी के लोग आकर ओपन टेण्डर से मिलिटरी क्रैडिट नोट पर खरीद करते थे। मैंने इस मुद्दे को इस बार फूड मिनिस्टरों की कान्फ्रेंस में रखा है कि जो आर्मी की नीड है वह भी फूड कार्पोरेशन के मार्फत ही पूरी की जाय। उन्होंने इसे एग्री किया किया है। तो फूड कार्पोरेशन आर्मी की नीड कितनी है इसे जानकर जौ की खरीद भी उनके लिए कार्पोरेशन करेगी और वह उनको सप्लाई कर दिया जावेगा। बाकी जौ का बाहर जाने का प्रश्न नहीं है।

अब बाजार में जो दूसरी चीजों के भाव रहेंगे उसी के अनुसार मार्केट ट्रेन्ड में जौ के भाव भी रहेंगे। फूड कार्पोरेशन जौ का स्टॉक नहीं बनावेगा। मिलिटरी नीड के लिये उनकी जरूरत माफिक ही खरीदेगी। टेण्डर इसके लिए होंगे। अब प्रोड्यूसर दो या दूसरे डीलर दो। बाकी नॉर्मल डिस्ट्रिब्यूशन राजस्थान से जैसा होता रहेगा।

यह सोचना कि गेहूं का भाव ६५ रुपया है और जौ का भाव ७५ रुपये है तो वह सम्भव नहीं है। तो दूसरे फूडग्रेन्स से जो कोरिलेशन है वह नॉर्मल तरीके से जो स्थिति है उसमें आयेगा और उसी हिसाब से हमको आशा करनी चाहिए चाहे हम किसान हों या चाहे व्यापारी हों।

श्री सभापति : आपको सदन में आने से बहुत कठिनाई हुई है। खाद्य-नीति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी

(श्री सभापति)

विशेष अनुमति इसलिए दी थी कि आज सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो रही है और सदन सम्भवतः दीपावली तक के लिए स्थगित हो रहा है। इसलिए कोई भी माननीय सदस्य यहां से असन्तुष्ट होकर नहीं जायें और सदन के माननीय सदस्यों को आपकी उपस्थिति का लाभ मिले इससे लोगों को बहुत जानकारी हो गई। आपने वैसे यहां आकर कोई पाप नहीं किया।

कु'० श्री महेन्द्र सिंह (दीगोद) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में ३ जिले कोटा, बूंदी और झालावाड़ को कॉर्डन कर रखा है उसका कारण क्या है ? क्या सरकार चाहती है कि इन तीन जिलों में जो अधिक अनाज पैदा होता है उसका लाभ जहां अनाज पैदा नहीं हुआ है वह नहीं उठा पावें ? क्या सरकार यह चाहती है कि इन तीन जिलों को कॉर्डन करने उन जिलों के लिए कोई टार्गेट फिक्स करदें कि भाव क्या होंगे ? यदि ऐसा है तो किन मिनिमम भावों को सरकार रखेगी ?

श्री **कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : सभापति महोदय, यह जो जिला-वन्दी की है उसको सरकार तोड़ने वाली है या नहीं और अगर नहीं तोड़ने वाली है तो जो आने वाला अनाज है उसके लिए सरकार ने मिनिमम प्राईस क्या फिक्स की है जिससे भाव नीचे जायेंगे तो सरकार लेने के लिए तैयार है ? एक तो माननीय मन्त्री महोदय यह बात बता दें। दूसरे कोटा जिले के अन्दर एक सब-डिवीज़न छबड़ा है वहां पर आपको सूचना आई होगी कि मक्का का काफी स्टॉक हो चुका है और इसके कारण से टंकी माल का परसेन्टेज फिक्स कर रखा है। जब कि स्थिति यह है कि मक्का के अन्दर २ परसेन्ट से ५ परसेन्ट टंकी उसके अन्दर पाई जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार निर्देश दे चुकी है या देने जा रही है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर माननीय मन्त्री महोदय दे दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभापति महोदय, सवाल एक है कि इस समय जो सरकार की पॉलिसी है उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो फ्री मार्केट है डिमाण्ड एण्ड सप्लाई पर चलने लगा है और वह उस समय चलने लगा है जब कि मोटा अनाज किसान ला रहा है। किसान ने इस उम्मीद से खेती की कि जो भाव हैं उसके माफिक उसको पैसा मिलेगा इसलिए जैसा पहले था वैसा कम से कम उसको कोई प्रोटेक्शन सरकार को देने का विचार रखना चाहिये और वह प्रोटेक्शन जैसा कि यहां जयपुर वाले कहते हैं कि ७२ रुपये क्वी० था वह आज ५० रुपये क्वी० आ गया। मैं नहीं कहता कि फिगर्स कितने पहुँचे हैं। ७२ और ५० यह ५० पर्सेन्ट की जो किसान के ऊपर मार पड़ी है उसके लिए सरकार को किसानों को प्रोटेक्शन देना चाहिए और पहले कांग्रेस ने तो यह भी तय किया था कि हम सब्सिडी देंगे। अगर मार्केट गिर जायगा तो किसानों की इकोनॉमिक प्राड्यूस की कीमत मिले यह सरकार देखेगी और कांग्रेस चाहती थी कि उसमें सब्सिडी देनी चाहिए।

आपकी इजाजत से मैंने स्पीकर साहब से बात

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

की थी खाद्य मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे अजमेर के अन्दर पानी की स्कीम अभी तक मई के अन्दर आने का विश्वास दिलाया था परन्तु लोगों को मई के अन्दर पानी मिलने वाला नहीं है यह भी आपको साफ हो गया है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अजमेर के लिए पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और उसका तुरन्त प्रबन्ध होना चाहिए। अजमेर के अन्दर सड़कों के ऊपर औरतें पानी के बरतन लिए फिर रही हैं। औरतों का अपने घरों से कुओं पर जाना शुरू हो गया है और ३ लाख के शहर की आबादी में कोई पानी की व्यवस्था नहीं होने वाली है और उसके लिए सारी जगह पैनिक है। नयज्योति में और दूसरे अखबारों में बराबर इस तरह के समाचार निकलते हैं और सरकार को चेतना चाहिए और अजमेर वालों के लिए कम से कम पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ ३॥ करोड़ रुपये का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और एक तरफ आज लोग उम्मीद लगाये हुए थे वह मायूस हो गये हैं। ३ लाख के शहर में यह दुर्दशा हो रही है औरतों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। यह एक ऐसी विशेष स्थिति पैनिक की स्थिति, डर की स्थिति सारे शहर में पैदा हुई है। मैं सरकार से कहूँगा कि सरकार को इसकी कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए, कोई स्टेटमेन्ट देना चाहिए जिससे लोगों के अन्दर से पैनिक उठ जाये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हमारे क्रान्तिकारी नेता जनरल सेक्रेट्री बन गये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, जहां तक कोटा से आने वाले दो माननीय सदस्यों ने प्रश्न रखे दो तरह से एक तो यह कि जो कोटा, बूंदी और झालावाड़ एरिया का कॉर्डन कर रखा है इसको हटाने वाले हैं या नहीं दूसरा प्रश्न यह रखा कि यह कॉर्डन-अप क्यों किया ? इसके लिए मैं पहले भी सदन में कह चुका हूँ कि जहां सरप्लस पैदावार है उसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ हैं जो इस साल में सरप्लस पौकेट्स हैं और जो खरीफ में थीं और उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अलावा प्रतापगढ़ सबडिवीज़न आफ चितौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो कि आगे होने वाला है सरप्लस इन सारे इलाकों को हमने कॉर्डन किया है। और वह इसलिए किया है कि रबी और खरीफ में जो पैदावार है उसको सरकार रीज़नेबल प्राईसेज़ पर किसानों से या ट्रेड से दोनों से खरीद करेगी। राजस्थान के दूसरे इलाकों में जहां अकाल की स्थिति है उन लोगों को रीज़नेबल भावों के ऊपर वह अनाज मुहैय्या करा सके इस दृष्टिकोण से हमने मक्का और ज्वार की खरीद और आने वाली फसल को और जो लेवी का कानून है उसके लिए रेसिस्ट किया जा रहा है। हमको बहुत ज्यादा माल नहीं मिला है लेकिन जहां तक मक्का और ज्वार की खरीद है हम दूसरे इलाकों से खरीद चुके हैं और राजस्थान के कमी के इलाकों में कलेक्टर से पूछकर और वहां की जरूरत की माफिक पहुँचाना है और जो किसानों को दाम दिया है वह दूसरे इलाके में जहां कमी है और वहां जो भाव हैं उससे कम नहीं दिया है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि ७५ वाला ५० रुपये आ गया

Page No. 129

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है उसी तरह से जवार और मक्का को ४५ से ४८ के बीच में खरीद रहे हैं उसके मुकाबिले में दूसरे इलाकों के अन्दर आज किसान को जो दाम मिल रहा है चाहे कोर्स ग्रेन हो चाहे दूसरा हो उसके और उसके बीच में जो कुछ दिन पहले अन्तर था वह बहुत कम रह गया है। कन्ज्यूमर प्राईसेज़ में बहुत कम अन्तर रह गया है और चीजें नार्मेलिटी की तरफ आ रही हैं। इसलिए जहां कॉर्डन-अप करने का इरादा है वहां सरप्लस है। गवर्नमेन्ट ने जहां सरप्लस महसूस किया उनमें वह कॉर्डन-अप होगा, उसके अलावा प्रतापगढ़ सब-डिवीजन के अलावा उदयपुर को भी कर रखा है कि वहां से न तो माल अन्दर आ सकता है और न बाहर ही जा सकता है। इसलिए सरप्लस इलाके से जहां कमी वाला इलाका है वहां एडजस्ट हो जाये और राजस्थान के ऊपर भार न हो इसलिए यह निर्णय लिया है। मैं इस पॉलिसी को आगे बहुत बड़े पैमाने पर एक्सटेन्ड करने से और कमी के इलाकों में कई तरह की दिक्कतें होती हैं और मार्जिन्स और प्राइस में बहुत अन्तर रहता है इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया कि जो अरेन्जमेन्ट हमने कर रखा है मक्का या ज्वार के अलावा चाहे वह गेहूं हो, चना चना हो इनको खरीदने के लिए जहां ज्वार और मक्का खरीदने का काम पहले राज्य सरकार की तरफ से होता था उसको फूड कार्पोरेशन को दिया है ताकि सरप्लस व्हीट और चने की भी रीज़नेबल प्राइस किसानों को मिल सके।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह रीज़नेबल प्राइस क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मिनिमम प्राइसेज हैं जिसके बारे में आपने कहा है कि डिक्लेरेशन होना चाहिए तो वह डिक्लेरेशन ऑलरेडी मौजूद है। जो लास्ट ईयर मैंने व्हीट के बारे में, चने के बारे में उसकी क्वालिटि के आधार पर मिनिमम प्राइसेज़ इस सदन में बताई थी, वे मिनिमम प्राइसेज़ किसानों के लिए आज भी स्टैंड करती हैं और इसके अलावा मिनिमम प्राइस किसी भी स्टेट में डिक्लेअर करते हैं वह एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो कि भारत सरकार ने लास्ट ईयर ही बनाया था और इस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की बैठक इस साल भी हुई थी, उन्होंने यह निर्णय लिया कि लास्ट ईयर और इस ईयर के हालात में बहुत बड़ा अन्तर नहीं आया है और इसी लिए किसानों के लिए मिनिमम प्राईसेज की जो लास्ट ईयर घोषणा की थी जिसका मुझे इस समय रुपया आना-पाई सहित तो याद नहीं है लेकिन करीब करीब यही थी कि चालीस रुपये क्विन्टल मिनिमम प्राईज़ चने की थी, व्हीट की लोएस्ट क्वालिटी की मिनिमम प्राईस ४७-४७॥) रुपये थी, उससे ऊंची क्वालिटी की ४८-४८॥) थी और ऊपर की क्वालिटी की, सबसे अच्छी क्वालिटी की ५०) रु० थी और इसी के आधार पर जो प्राईसेज हमने मैक्जिमम फिक्स की थी वह थी ६५) रु० क्विन्टल तो हाईएस्ट क्वालिटी के व्हीट की, ५३-५४) रु० लोएस्ट क्वालिटी के व्हीट की और ५७) ५८) रु० मीडियम क्वालिटी के व्हीट की थी। तो उसके बीच के अन्दर आज जो हमारे नॉर्मल मार्केट हैं, इनमें जो बहुत से डेफिसिट इलाके हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जहां कहीं कुछ गेहूं है, वहां पर ६५,७०) में अच्छा से

Page No. 130

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अच्छा गेहूँ मिल रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मिनिमम प्राईसेस जो ग्रालरेडी फिक्स हैं वे वही रहेंगी। फिर फूड कॉर्पोरेशन इन इलाकों में, अगर कोई किसान अपना माल वेचना चाहता है तो मिनिमम प्राइसेज़ जो हमने खरीदी की, लास्ट ईयर मार्केट के भाव को देख कर फिक्स की थी, वह बेचने की प्राईसेज तो अलग थीं, वह करीब-करीब बेचने की जो मेक्जिमम प्राईस थी, करीब ६१,६२) रुपया अच्छी क्वालिटी का गेहूं, करीब ५७,५८) रुपया मिडियम क्वालिटी का और ५३,५४) में लोएस्ट क्वालिटी का गेहूं, तो अगर कोई किसान या व्यापारी इन भावों से नीचे भाव जाते हों और वह कॉर्पोरेशन को माल बेचना चाहता है तो कॉर्पोरेशन उस माल को खरीदने को तैयार रहेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार के भाव जो हैं, गत वर्ष मिनिमम प्राइसेज़ थी और उसके बाद रिलेवेन्ट प्राइसेज़ थी उनको देख कर तय किया

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जो प्राइसेज बताई थीं, वह टेन्टेटिव प्राइसेज बताई अभी तक उसकी घोषणा नहीं की, लेकिन मिनिमम प्राइसेज़ वही रहेगीं जो लास्ट ईयर थीं और उसी के आधार पर हमारा फूड कॉर्पोरेशन जो खरीदने की प्राइसेज़ हैं जिनके बारे में टेन्टेटिवली मैंने अभी कहा है, इन प्राइसेज़ के आस-पास फूड कॉर्पोरेशन खरीदने को तैयार है। इन प्राइसेज में कुछ गुंजाइश हो सकती है, लेकिन यह मैंने बता दिया है कि आने वाली फसल में जैसा आपने कहा कि भाव बढ़ेंगे नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि अगली खरीफ की फसल आने के आसार तक कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। जो किसानों के पास सरप्लस स्टॉक है चना हो, गेहूं हो, जौ हो, जो कुछ भी हो, अगर उसको किसान वेचना चाहेगा, हम उस स्टॉक को खरीदने को तैयार हैं ताकि किसान को उसकी प्रोड्यूस की एक रीज़नेबल प्राइस मिल जाय। यह इसी दृष्टि से किया गया है, मार्केट की प्राइसेज़ को ध्यान में रखते हुए, अगर किसी पर्टीक्यूलर इलाके में किसान को कम दाम मिलते हैं the Food Corporation will come at all places where prices are going below. Therefore, the alternative arrangement before the Government is already there and all necessary arrangements will be made; किसानों को भी पूरे दाम मिल जांय, व्यापारियों को भी तरीके से काम करने का मौका मिल जाय और कन्ज्यूमर्स को भी रीजनेबल प्राइस पर फूड ग्रेन्स मिल जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक लगातार घण्टी)

श्री सभापति : सधन्यवाद, सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प.५.३५ बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ का उत्तर देखिये)

चना	१४८०४ टन
ज्वार	१०१८६ टन
मक्का	६७७८.५ टन
बाजरा	२८२९.५ टन
देशी गेहूं	३४३२.६ टन

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७७३ का उत्तर देखिये)

LIMESTONE, BUILDING STONE TEHSIL RAMGANIMANDI.

YEAR.	DEAD RENT.	EXCESS ROYALTY.
1960-61	2,20,824.06	24,186-90
1961-62	2,51,188.25	1,78,718.35
1962-63	2,71,041.22	2,97,647.36
1963-64	3,05,326.53	4,07,089.13
1964-65	3,04,095.57	3,79,829.13

SANDSTONE.

1960-61	78,395.39	14,942.23
1961-62	1,09,008.20	13,266.71
1962-63	72,235.12	13,040.84
1963-64	80,547·51	23,193.24
1964-65	83,595.76	53,739.42

शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, दिनांक १४ अप्रेल, १६६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	अन्तिम से ४	सैल्समैन	सेल्समेन
३	१३	१२- - ६५	१२-१-६५
४	६	जॉच	जाँच
४	१२	कलमा	कमला
४	१६	वताया	वताया
४	अन्तिम से ५	क्विटिल	क्विंटल
५	अन्तिम से ११	चुक्ता	चुकता
५	अन्तिम से ५	व्यान	व्यास
६	अन्तिम से १४	बोनस	बोनस
६	अन्तिम से ११	वारे	बारे
७	अन्तिम से २	क्वार्टर	क्वार्टर
८	अन्तिम से २	नहीं उन्होंने किया	उन्होंने नहीं किया
८	अन्तिम से २	ओर	और
१०	२	निलम्वित	निलम्वित
१०	७	(१	(१)
१०	६, २०	निलम्वित	निलम्वित
१०	अन्तिम से ६	ज्याया	ज्यादा
११-१२	शीर्षक	अप्रेल ६६	अप्रेल, ६६
११	७	के लिए तक	तक के लिए
११	१६	निलम्वित	निलम्बित
११	१७	सुखाड़िया)	सुखाड़िया) :
१२	८	आर्डिमेंस	ऑर्डिनेंस
१२	६	डिवीजनल	डिविजनल
१२	अन्तिम से ११	एसेन्डियस	एसेन्शियल
१२	७	वरी	बरी
१२	४	क्या	क्वा
१२	४	है	हैं

१	२	३	४
१३-१४	शीर्षक	अप्रेल ६६	अप्रेल, ६६
१३	१७	ते	ने
१३	१७	हे रेश	हैरेस
१४	१	कीष	कोष
१४	४	है।	है ?
१४	१५	मिटिंग	मीटिंग
१५-१६	शीर्षक	अप्रेल ६६	अप्रेल, ६६
१५	४	मिटिंग	मीटिंग
१५	६	आन	ओन
१५	अन्तिम से ६	जो	जो
१६	४	उत्तर	उत्तर
१७-१८	शीर्षक	अप्रेल-६६	अप्रेल, ६६
१७	७	डी आई आर	डी० आई० आर०
१७	अन्तिम से ४	हूई	हुई
१८	अन्तिम से ६	ब्यक्ति	व्यक्ति
१९-२०	शीर्षक	अप्रेल ६६	अप्रेल, ६६
१९	१	गोयल (टोंक)	गोयल (टोंक) :
१९	५	ऑब्जेक्शनेबल	ऑब्जेक्शनेबल
१९	६	मंगवाते	मंगवाते
१९	अन्तिम से ५	ब	व
२०	१२	उपलब्धि	उपलब्धि
२०-२१	२१	जवपुर	जयपुर
२१	अन्तिम से २	एडवाईज	एडवाइस
२२	९	डवलपमेंट	डेवलपमेंट
२३	अन्तिम से ११, १०	लोसेज	लॉसेज
२५	अन्तिम से ७	चसार	चमार
२५	अन्तिम से २	दवाब	दबाव
२६	१५	सुनार	सुथार
२६	१६	राजपुतान	राजपूतान
२७	४	केवल आदमी	केवल एक आदमी
[illegible]	१५	नही	नहीं
२९	१४	डिष्किमिनेशन	डिस्क्रिमिनेशन

१	२	३	४
२९	अन्तिम से ८	वोरी	वोरी
३०	११	क्री	की
३०	१५	मन्जी	मन्त्री
३१	८	इन्वोल्व	इन्वॉल्व्ड
३१	१५	मर्त्तबा	मर्तबा
३२	१४	पहिले	पहले
३५	१९	एक्पर्शन	एक्सपर्शन
३६	अंतिम से ९	आप –	आसे –
३८	१९	निपूक्ति	नियुक्ति
३९	शीर्ष	(श्री उप-मन्त्री नियुक्ति)	(श्री चन्दनमल वैद)
४३	१८	बृवेन्द्रपाल	बृजेन्द्रपाल
४५	शीर्ष	(श्र	(श्री
५०	८	चेमा	चर्ना
५२	अंतिम से ४	रोल पेपर	पैरोल पर
५३	शीर्षक	तारं कित	तारांकित
६०	४	लडढा	लडढा
६१	शीर्ष	लडढा	लडढा
६३	१	वर्षर्पी	वर्षीय
६६	अंतिम से ११	?	।
७३	३	घर	पर
८८	१५	?	।
८९	१५	?	।
९४	५	कुंए	हुए
९७	१	imberse	imburse
९८	९	मील	मिल
९९	अंतिम से १२व१५	मील	मिल
१०२	१६	वेदवली	बेदखली
१०२	अंतिम से ७	अध्यंत्र	अध्यक्ष
१०३	१	रिंद	रित
१०३	अंतिम से ११	रू०	रु०
१०३	अंतिम से ५	एड्राक	एडहाक
१०४	१	के	के हिसाब से
१०४	५	बेनखली	बेदखली

१	२	३	४
११०	४	निवेदन	—
११०	६	वेलस	वेल्स
११४	४	भंत्री	मंत्री
११४	१३	जो की	की जो
११६	१२	विटसेसेज	विटने सेज
११७	अंतिम से १३	कर्मचारी एवीडेन्स	कर्मचारी की एवीडेन्स
१२०	६	कगा	क्या
१२०	८	भ्री	श्री
१२१	शीर्षक	१३ अप्रेल	१४ अप्रेल
१२२	५	मटिंग	मीटिंग
१२२	८	उटाये	उठाये
१२२	१५	को	के
१२३	१६	की	कि
१२५	शीर्ष	(श्रीमानसिंह महार)	(श्री हरिराम चौहान)
१२५	६	मेरा	मेरी
१२६	१४	कोदा	कोटा
१२६	१४	अव्यापक	अध्यापक
१२७	७	घाहता	चाहता
१३१	१	कैसेज	केसेज
१३२	१	सालदिया	सालोदिया
१३६	१६	जीमन	जमीन
१३७	६	गैम	गेम,
१३८	१०	मैं	में
१४०	१२	सीगलत	से गलत
१४२	१०	काटल अटेंशन	काल अटेंशन
१४३	२०	मंडल यह	मंडल को यह
१४६	५	रहा	रही
१५३	शीर्षक	याचिका का उपस्थापन	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
१५३	१८	एनोमो	एनोमोली
१५४	२४	हुइ	हुई
१५५	शीर्षक	याचिका का उपस्थापन	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
१५७	"	" " "	"
१६१	१४	है	हैं

१	२	३	४
१६२	११	३१–३–६३	३१–३–६४
१६२	१२	निवेदन हैं	निवेदन है
१६३	८	एडमिनिस्ट्रेशन	एडमिनिस्ट्रेशन
१६३	१४	है	हैं
१६४	११	सदस्य है	सदस्य हैं
१६५	६	प्रान्त	प्राप्त
१६५	१६	करना हैं	करना है
१६५	१६	में	मैं
१६५	अन्तिम से ७	पल्लिक	पब्लिक
१६६	शीर्षक	यिमर्श	विमर्श
१६६	११	अपोइन्ठमेंट	अपोइन्टमेंट
१६६	अन्तिम से १५	की गई	करनी पड़ी
१६६	११	हुई हैं	हुई है
१६७	शीर्ण	श्री लक्ष्मक्षसिंत	श्री लक्ष्मणसिंह
१६७	अन्तिम से ५	ओव्वेजशन्स	ओब्जर्वेशन्स
१६६	५	नोत	का पुनीत
१६६	अन्तिम से ८	डिपार्टमेटल	डिपार्टमेंटल
१७०	१०	पोट्ठुओं	पिट्ठुओं
१७२	शीर्षक	प्रनिवेनन पर विचार यिमर्श	प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श
१७२	३	सरजन	सृजित
१७२	१२	पकाम	प में काम
१७२	अन्तिस से ८	करें	करे
१७३	३ और ५	आर्जी	आरज़ी
१७३	१३	पैरेलिसजि	पैरेलिसिस
१७५	शीर्ष	श्री कृष्णावुमार	श्री कृष्णकुमार
१७५	११	गजेटेड पोट्स	गजेटेड पोस्ट्स
,,	,,	पोस्ट	पोस्ट्स
१७५	६	ओब्जेक्शन	ओब्जर्वेशन
१७६	अन्तिम से १२	रही हैं	रही है
१७७	१७	१३ वे	१३ वें
१७८	शीर्षक	प्रतिवेदव	प्रतिवेदन
१७८	अन्तिम से १२-११	स्पैलियेलिस्ट	स्पेशियेलिस्ट
१८०	१०	तयार	तैयार

१	२	३	४
१८३	१७	राज्य को	राज्य के
१८३	१६	कया गया	किया गया
१८४	अन्तिम से १८	रिमार्कस	रिमार्क्स
१८६	शीर्षक	प्रनिवेनन	प्रतिवेदन
"	"	यिमर्श	विमर्श
१८६	११	सुनाई दे	सुनाई नहीं दे
१८६	अन्तिम से ३	शरणार्थीयों	शरणार्थियों
१८७	अन्तिम से ११	भी है	भी हैं
१६०	६	नहीं हो सके	नहीं कर सकें
१६०	८	हैं	है
१६०	१७	में	मैं
१६१	३	नहीं है	नहीं हैं
१६१	अन्तिम से १७	श्रोर	श्रोर
१६१	अन्तिम से १४	वसे	वैसे
१६२	१६	गई	गईं
१६५	२	श्रोवरशियर्स	श्रोवरसियर्स
१६५	श्रंतिम से ५	प्रात	प्रांत
१६८	१६	व्यवस्थ	व्यवस्था
१६६	१७	इण्डीपेन्ट	इंडिपेन्डेंट
२००	श्रंतिम से १०	रेधेन्यू	रेवेन्यू
२०३	४	जध	जब
२०३	श्रंतिम से १३	इतना	इतने
२०७	१५	thehese	these
२०८	३	मिनिसस्टर्स	मिनिस्टर्स
२०८	३	रिस्तेदार	रिश्तेदार
२०८	६	श्रपोइन्ट्स	श्रपोइन्टमेंट्स
२११	४	परमोधर्न	परमोधर्म
२२५	श्रंतिम से ८	व्यक्तब्य	वक्तव्य
२२८	१३	यें है	हैं
२२६	२	निस्पक्ष	निष्पक्ष
२३०	१	में नीति	नीति में
"	७	कर्त व्य	कर्त्तव्य
२३१	१४	मथरेशबिहारी	मथुरेशबिहारी

१	२	३	४
२३१	अंतिम से ६	जा चुका है	चुका है
२३२	४	पोलोटिकल	पोलिटिकल
२३३	अंतिम से ६	पेंडिग	पेंडिग
२३४	१	में	मैं
२३५	४	रिपोर्ट को	रिपोर्ट
२३७	२	है	हैं
२४०	४	कमीशन रिपोर्ट	कमीशन की रिपोर्ट
,,	अंतिम	जन जाति	जन जाति के
२४१	अंतिम से ५	केम्पन	केम्पेन
२४२	१८	प्रोफिटिरिंगन	प्रोफिटियरिंग
,,	अंतिम से १२	(निम्बोहेड़ा)	(निम्वाहेड़ा)
२४४	२	जाने	जानें
२४६	१	है	हैं
२४७	अंतिम से २	व्यापारा	व्यापारी
२५०	४	तहीं	नहीं
२५१	शीर्षक	खाद्य स्थिति	खाद्य स्थिति
२५२	१०	एग्री किया	एग्री
,,	१७	ट्रेन्ड	ट्रेन्ड
२५३	शीर्षक	खाद्यगस्थिति	खाद्य स्थिति
२५४	अंतिम से ४	की	को
२५५	१५	नय ज्योरि	नव ज्योति
२५७	अंतिम से ६,८	चना चना	चना
२५८	७	दे	वे
,,	अंतिम	६५,७०	६५) ७०)
२५९	१२	मिडियम	मीडियम
,,	११	५७,५८	५७) ५८)
,,	१२	५३,५४	५३) ५४)
२६०	१	आपमे	आपने
,,	अंतिम से ११	किसानों मी	किसानों का भी
२६१-२६२	स्कम्भ	—	२६१
,,	,,	—	२६२
परिशिष्ट २	१	RAMGANI	RAMGANJ
,,	अंतिम से ३	13.040.84"	13,040.84"